SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए प्रत्यक्ष करों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार
राजस्व विभाग

2025 का प्रतिवेदन संख्या 14

(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए
प्रत्यक्ष करों पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार
राजस्व विभाग
2025 का प्रतिवेदन संख्या 14
(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

___________ को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा गया

विषयसूची

	सामग्री	पृष्ठ
	प्रस्तावना	*i*
	मुख्य अंश	*iii-vi*
	संस्तुतियों का सारांश	*vii-viii*
	अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन	**1-36**
i.	प्रत्यक्ष कर	1-1
ii.	संगठनात्मक ढांचा	2-2
iii.	संघ सरकार के संसाधन	3-4
iv.	प्रत्यक्ष कर - रुझान एवं संरचना	4-9
v.	प्रतिदाय का रुझान	9-13
vi.	पैन आवंटन का रुझान, आयकर विवरणी दाखिल करने और करदाताओं की सकल कुल आय	13-25
vii.	प्रत्यक्ष कराधान प्राप्तियों का बजट बनाना	25-26
viii.	कर प्रोत्साहन का राजस्व पर प्रभाव	26-28
ix.	कर ऋण - एकत्रित न की गई मांग	29-31
x.	वाद प्रबंधन	31-33
xi.	कर का अपवंचन	33-34
xii.	आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता	34-35
xiii.	कर प्रशासनिक प्रक्रियाएं	35-36
	अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव	**37-61**
i.	प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी का प्राधिकार	37-37
ii.	प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का व्यापक ढांचा	37-42
iii.	निगमित कर एवं आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में लगातार एवं व्यापक अनियमितताएं	42-50
iv.	लेखापरीक्षा उत्पाद और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	50-53

	सामग्री	पृष्ठ
v.	लेखापरीक्षा प्रभाव - लेखापरीक्षा के मामलों के आधार पर संशोधन/ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश	53-58
vi.	लेखापरीक्षा के मामलों पर वसूली	59-59
vii.	समय-बाधित मामले	59-60
viii.	अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण	60-61
	अध्याय III: निगम कर	**63-103**
i.	परिचय	63-63
ii.	निर्धारण की गुणवत्ता	64-75
iii.	कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	76-88
iv.	चूक के कारण कर निर्धारण से बचने वाली आय	88-100
v.	कर/ब्याज का अधिक प्रभार	100-102
vi.	संस्तुतियाँ	102-103
	अध्याय IV: आयकर	**105-135**
i.	परिचय	105-105
ii.	निर्धारण की गुणवत्ता	106-115
iii.	कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	115-125
iv.	चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	125-132
v.	कर/ब्याज का अधिक प्रभार	132-134
vi.	संस्तुतियाँ	**134-135**
	परिशिष्ट	**137-151**
	शब्द-संक्षेप	**153-154**

प्रस्तावना

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के राजस्व - प्रत्यक्ष कर विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे उदाहरण सम्मिलित हैं, जो 2022-23 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए, साथ ही वे भी सम्मिलित हैं जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए थे लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके; जहां भी आवश्यक हो, 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पन्न की गई है।

मुख्य अंश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत संघ सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। यह प्रतिवेदन मुख्य रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों आदि के अनुपालन पर चर्चा करता है, जो प्रत्यक्ष करों के प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं पर लागू होते हैं। प्रतिवेदन को चार अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनकी मुख्य बातें नीचे वर्णित हैं:

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 16,63,686 करोड़ रहीं, जो वित्त वर्ष 2021-22 (₹ 14,12,422 करोड़) की तुलना में 17.8 *प्रतिशत* अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.2 *प्रतिशत* प्रतिनिधित्व किया और सकल कर राजस्व में इसकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2021-22 में 52.1 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 54.5 *प्रतिशत* हो गई।.

वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.8 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जारी प्रतिदाय में 38.0 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

प्रत्यक्ष करों के दो प्रमुख घटकों में से, निगम कर से संग्रह 16.0 *प्रतिशत* बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 7.12 लाख करोड़ से वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 8.25 लाख करोड़ हो गया और आयकर से संग्रह वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 6.73 लाख करोड़ से 20.0 *प्रतिशत* बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 8.08 लाख करोड़ हो गया।

निगमित निर्धारितियों की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 में 9.65 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 10.19 लाख हो गई, जो 5.6 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करती है। अ-निगमित निर्धारितियों की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 में 6.72 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 7.29 करोड़ हो गई, जो 8.5 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज करती है।

वित्त वर्ष 2021-22 में मांग का बकाया ₹19.35 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 22.74 लाख करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 में शुद्ध संग्रहणीय मांग बढ़कर ₹ 69,396 करोड़ हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह ₹ 51,318 करोड़ थी। विभाग ने संकेत दिया कि 97.0 *प्रतिशत* एकत्रित न की गई मांग की वसूली करना कठिन होगा।

आयकर आयुक्त (अपील) के पास लंबित अपीलों की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 में 5.02 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 5.25 लाख हो गई। जबकि इन मामलों में अवरोधित राशि वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर ₹ 16.33 लाख करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 14.19 लाख करोड़ थी।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आयकर विभाग (आईटीडी) ने वित्त वर्ष 2022-23 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार लेखापरीक्षित इकाइयों में 2,15,759 संवीक्षा निर्धारण पूरे किए, जिनमें से आयकर विभाग ने 2,03,334 मामले प्रस्तुत किए। इसके अलावा, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले वित्तीय वर्षों में पूर्ण किए गए संवीक्षा निर्धारण के 64,956 मामले भी प्रस्तुत किए। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण में त्रुटियों के मामले 5.87 *प्रतिशत* (15,740 मामले) थी।

पिछले तीन वर्षों में, आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित निर्धारित त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांगों से ₹ 3,588.79 करोड़ वसूल किए। 31 मार्च 2023 तक की लेखापरीक्षा में पूर्व वर्षों के 59,352 मामले बताए गए हैं, जिन्हें 28 फरवरी 2025 तक आयकर विभाग से उत्तर न मिलने के कारण निपटाया नहीं जा सका।

इस प्रतिवेदन के अध्याय III और IV में ₹ 7,929.21 करोड़ के कर प्रभाव वाले 481 उच्च-मूल्य मामले सम्मिलित हैं, जिनमें से ₹ 6,526.27 करोड़ (मार्च 2025) के कर प्रभाव वाले 414 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए, जिनमें से मंत्रालय/ आयकर विभाग ने ₹ 4,271.94 करोड़ (65.46 *प्रतिशत*) के कर प्रभाव वाले 238 मामलों (57.49 *प्रतिशत*) को स्वीकार किया।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्देश जारी किए गए और संशोधन किए गए, जो 2023 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 04 में दी गई लेखापरीक्षा संस्तुतियों के आधार पर किए गए थे - 'धारा 281बी के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा एक निर्धारिती की संपत्ति की कुर्की' पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा और 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 01 - 'मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितीओं का मूल्यांकन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा, (पैरा 2.5.1 और 2.5.2 देखें)।

अध्याय III: निगम कर

अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक मंत्रालय/ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ₹ 6,252.06 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर के 287 उच्च-मूल्य के मामले भेजे गए हैं, जिनमें से ₹ 4,734.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले 46 महत्वपूर्ण मामलों का इस अध्याय में वर्णन किया गया है।

इस अध्याय में दर्शाई गई अनियमितताओं में सम्मिलित हैं: आयकर गणना पत्रक में ₹ 1,034.66 करोड़ का लाभांश वितरण कर (डीडीटी) न लगाना, जबकि निर्धारण आदेश में लगाने का निर्णय लिया गया था {पैरा 3.2.2 देखें (मामला I)}; ₹ 6,086.88 करोड़ के बजाय ₹ 6,626.85 करोड़ को आगे ले जाने की अनुचित अनुमति, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 539.97 करोड़ की अधिक आगे ले जाने की हानि हुई और संभावित कर प्रभाव ₹ 186.87 करोड़ हुआ {पैरा 3.3.2 देखें (मामला I)}; ₹ 116.70 करोड़ की आगे लाई गई व्यावसायिक हानि और ₹ 80.26 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्रास के समायोजन की अनुचित अनुमति, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 100.16 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 3.3.2 देखें (मामला II)}; मार्च 2022 में धारा 263 और 144बी के साथ धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 338.61 करोड़ की निर्धारित आय पर पहुंचते समय ₹ 87.68 करोड़ की पूर्व निर्धारित आय पर विचार न करने एवं आयकर गणना शीट में ₹ 68.89 करोड़ की आगे लाई गई हानियों के अनुचित समायोजन के परिणामस्वरूप ₹ 135.78 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज और अतिरिक्त प्रतिदाय सहित ₹ 132.29 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 3.4.3 (मामला I) देखें}।

अध्याय IV: आयकर

आयकर के 194 उच्च मूल्य के मामले हैं, जिनका कर प्रभाव ₹ 1,677.15 करोड़ है, जिनमें से आयकर निर्धारण में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 31 मामलों का इस अध्याय में वर्णन किया गया है, जिनमें ₹ 1,195.44 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित है।

इस अध्याय में दर्शाई गई अनियमितताओं में ₹ 38.98 करोड़ की सही निर्धारित आय के बजाय निर्धारित आय को शून्य के रूप में अनुचित रूप से अपनाना सम्मिलित है, जिसमें ₹ 18.55 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 4.2.2 देखें (मामला I)}; एओपी से संबंधित कर की दर और अधिभार को अनुचित तरीके से लागू करने के कारण ₹ 1,373.67 करोड़ के सही कर के बजाय सिस्टम द्वारा देय कर की अनुचित गणना ₹ 919.12 करोड़ की गई, जिसमें ₹ 571.71 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 4.2.3 देखें (मामला I)}; आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज का अनुचित आरोपण, जिसमें ₹ 98.32 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित है {पैरा 4.2.4 देखें (मामला I)}; ₹ 18.84 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्रास के सेट ऑफ की अनुचित अनुमति जिसमें ₹ 9.24 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 4.3.5 देखें (मामला I)}; ₹ 25.91 करोड़ के अस्पष्टीकृत निवेश को प्रभारित करने में चूक जिसमें ₹ 16.21 करोड़ का कम कर लगाया गया {पैरा 4.4.6 देखें (मामला I)}; अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज का अधिक लगाया जाना जिसमें ₹ 104.69 करोड़ का कर अधिक लगाया गया {पैरा 4.5.1 देखें (मामला I)}।

संस्तुतियों का सारांश

लेखापरीक्षा संस्तुति करती है कि:

- *केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आकलन में समान या एक जैसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को न्यूनतम करने के लिए आईटी प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने हेतु हाल ही में क्रियान्वित किए गए परिवर्तनों की प्रभावशीलता का निर्धारण करने की आवश्यकता की समीक्षा करने पर विचार करे।*

(परिच्छेद 2.3)

- *केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रणालीगत और संरचनात्मक कमजोरियों तथा राजस्व अपव्यय के जोखिम, यदि कोई हो, को चिन्हित करने के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र की निगरानी पर विचार करे।*

(परिच्छेद 2.3)

- *केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड संवीक्षा निर्धारण में त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणाली में उचित नियंत्रण स्थापित करने पर विचार करे, विशेष रूप से आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए) के कार्यान्वयन के बाद।*

(परिच्छेद 2.3)

- *विभाग उन मामलों का निर्धारण/समीक्षा करे जिनके लिए उपचारात्मक कार्रवाई का समय समाप्त हो गया है एवं निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करे तथा मौजूदा प्रणाली को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों जिनकी उपचारात्मक कार्रवाई का समय समाप्त हो गया है, की पुनरावृत्ति न हो।*

(परिच्छेद 2.7)

- *कर और अधिभार की अनुचित दरों का प्रयोग, ब्याज लगाने में त्रुटियाँ, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आयकर विभाग के आंतरिक नियंत्रण में कमज़ोरियों की ओर संकेत करते हैं, जिन्हें आईटीबीए प्रणाली संकेतों*

के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिससे निर्धारण अधिकारी मामले को अंतिम रूप देने से पहले गणनाओं को सत्यापित कर सकेगा।

(अध्याय III एवं IV)

- *यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में सुधार आरंभ करने के लिए कार्रवाई की है, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि ये केवल कुछ उदाहरणात्मक मामले हैं, जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई है। सभी तरह के निर्धारणों में, जिसमें गैर-संवीक्षा निर्धारण भी सम्मिलित है, ऐसी चूक या भूल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को न केवल वर्ष के दौरान पूरे किए गए निर्धारणों की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक पूर्णतया सुरक्षित सूचना प्रोद्यौगिकी प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है।*

(अध्याय III एवं IV)

- *केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यह जांच करे कि क्या देखी गई "त्रुटियां" चूक की त्रुटियां हैं या भूल की, और भूल की स्थिति में आयकर विभाग को कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।*

(अध्याय III एवं IV)

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

यह अध्याय प्रत्यक्ष कर क्रियान्वयन, प्रत्यक्ष कर संग्रह में राजस्व रुझानों और आयकर विभाग (आईटीडी) में कर प्रशासन प्रक्रिया का अवलोकन प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में संकलित आंकड़े/सूचना विभिन्न स्रोतों जैसे सीबीडीटी, निगमित मामलों के मंत्रालय, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केंद्रीय वित्त लेखा आदि से प्राप्त की गई है। लेखापरीक्षा ने प्राप्त आंकड़ों/सूचना का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया है।

1.1 प्रत्यक्ष कर

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रत्यक्ष करों के संग्रहण और अधिरोपण को आच्छादित करता है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्यक्ष करों पर नीचे चर्चा की गई है:

क) **निगम (कॉर्पोरेट) कर (सीटी):** निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो उद्यमों द्वारा अपने कारोबार से अर्जित निवल आय या लाभ पर लगाया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियां, निगम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दरों पर लगाया जाता है।

ख) **आयकर (आईटी):** आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनी कमाई या लाभ से अर्जित निवल आय या लाभ पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दरों पर लगाया जाता है।

ग) **अन्य प्रत्यक्ष कर (ओडीटी):** अन्य प्रत्यक्ष करों में निगम कर और आयकर के अलावा अन्य प्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं, उदाहरण के लिए, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी[1]), संपत्ति कर[2], आदि।

---

[1] भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर।

[2] संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 2(ईए) के अंतर्गत निर्दिष्ट कुछ परिसंपत्तियों से युक्त शुद्ध संपत्ति पर कर लगाया जाएगा।

1.2 संगठनात्मक संरचना

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और दो सांविधिक बोर्डों अर्थात् केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है, जिनका गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रत्यक्ष करों के संग्रहण और वसूली से संबंधित मामलों को देखता है।

31 मार्च 2023 तक, आयकर विभाग (आईटीडी) की स्वीकृत कर्मचारी संख्या और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 77,626 और 47,755 थी। अधिकारियों[3] की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या क्रमशः 10,862 एवं 9,328 थी। वर्ष 2022-23 के लिए आयकर विभाग का राजस्व व्यय ₹ 8,566 करोड़[4] था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संगठनात्मक संरचना नीचे चार्ट 1.1 में दी गई है:

चार्ट 1.1: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्षेत्रीय गठन का संगठनात्मक ढांचा

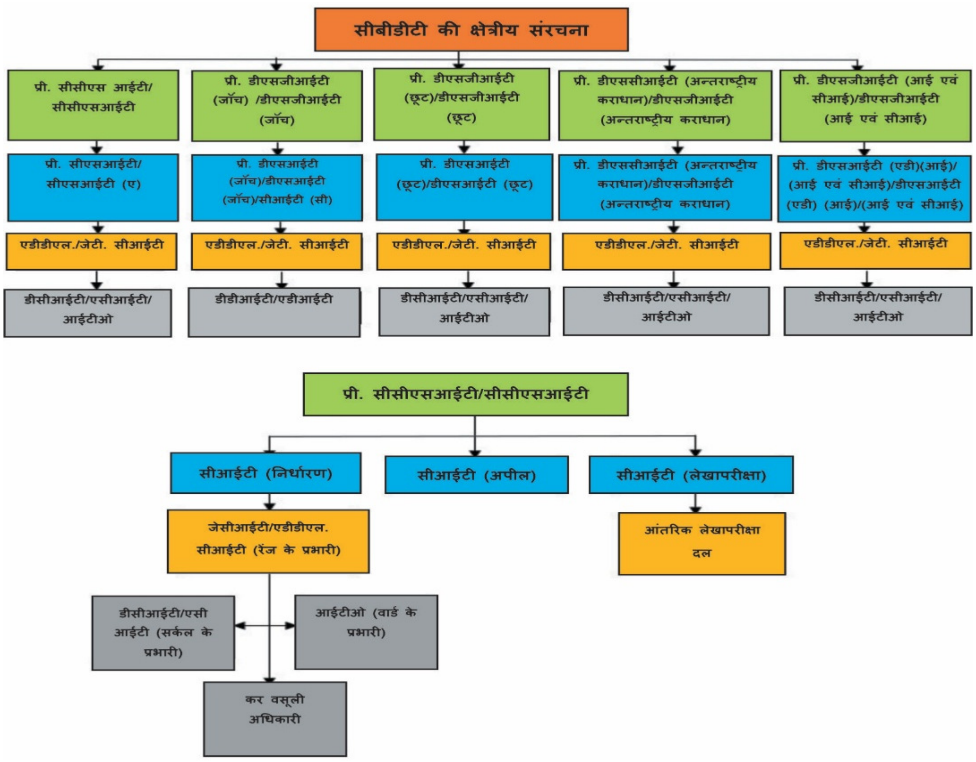

---

[3] प्र.सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र.सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अति.सीआईटी/अति.डीआईटी/ जेसीआईटी/जेडीआईटी, डीसीआईटी/डीडीआईटी/एसीआईटी/एडीआईटी एवं आईटीओ.

[4] वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय वित्त लेखे।

1.3 संघ सरकार के संसाधन

1.3.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि सम्मिलित हैं। केंद्र सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित हैं। नीचे दी गई तालिका 1.1 वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के संसाधनों का सारांश दर्शाती है।

तालिका 1.1: केंद्र सरकार के संसाधन		**(₹ करोड़ में)**
	वि.व. 2022-23	**वि.व. 2021-22**
.क. कुल राजस्व प्राप्तियां#	36,61,672	33,34,813
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*16,63,686*	*14,12,422*
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां[5]	*13,90,505*	*12,96,893*
iii. कर रहित प्राप्तियां	*6,05,594*	*6,24,192*
iv. अनुदान सहायता एवं अंशदान	*1,887*	*1,306*
ख. विविध पूंजी प्राप्तियां[6]	46,035	14,638
ग. ऋण एवं अग्रिम[7] राशि की वसूली	36,273	24,948
ध. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां[8]	88,64,893	82,49,152
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**1,26,08,873**	**1,16,23,551**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे।

नोट: अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां, संघीय वित्त लेखों से निकाली गई हैं।

[#] कुल राजस्व प्राप्तियों में वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 9,48,406 करोड़ और वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 8,98,392 करोड़ सम्मिलित हैं, जो सीधे राज्यों को सौंपे गए हैं।

तालिका 1.1 से देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में, प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 17.8 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई और वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व प्राप्तियों का 45.4 *प्रतिशत* रहा। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जारी किए गए प्रतिदाय में 38.0 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

---

5 वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आदि;

6 इसमें बोनस शेयरों का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में शेयरों का विनिवेश और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

7 संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम राशि की वसूली;

8 भारत सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाह्य रूप से लिए गए उधार;

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर क्रियान्वयन

वित्त वर्ष	प्रत्यक्ष कर संग्रह (₹ करोड़ में)				प्रतिदाय (₹ करोड़ में)		वास्तविक आयकर विवरणी दाखिल (संख्या लाख में)		राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)
	निगमित कर	आयकर	अन्य प्रत्यक्ष कर	कुल	निगमित कर	आयकर	अनिगमित निर्धारिती	निगमित निर्धारिती	
2018-19	6,63,571	4,61,652	12,495	11,37,718	1,05,828	55,209	619.8	8.5	7,168
2019-20	5,56,876	4,80,348	13,462	10,50,686	1,21,542	61,889	639.4	8.4	7,052
2020-21	4,57,719	4,70,633	18,822	9,47,174	1,73,402	86,122	662.8	9.2	7,319
2021-22	7,12,037	6,73,414	26,971	14,12,422	1,46,812	76,784	671.9	9.7	7,581
2022-23	8,25,834	8,08,221	29,631	16,63,686	1,75,097	1,33,358	729.8	10.3	8,566

स्रोत: केंद्रीय वित्त लेखा और प्रधान सीसीए; सीबीडीटी

1.4 प्रत्यक्ष कर - रुझान और संरचना

1.4.1 नीचे दी गई तालिका 1.3 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सकल कर राजस्व[9] (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.3: प्रत्यक्ष करों की वृद्धि

वित्त वर्ष	प्रत्यक्ष कर (₹ करोड़ में)	जीटीआर (₹ करोड़ में)	जीडीपी (₹ करोड़ में)	जीटीआर के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीडीपी के *प्रतिशत* के रूप में प्रत्यक्ष कर
2018-19	11,37,718	20,80,465	1,90,10,164	54.7	6.0
2019-20	10,50,686	20,10,060	2,03,39,849	52.3	5.2
2020-21	9,47,174	20,27,104	1,98,00,914	46.7	4.8
2021-22	14,12,422	27,09,315	2,36,64,637	52.1	6.0
2022-23	16,63,686	30,54,191	2,69,49,646	54.5	6.2

स्रोत: प्र.क. और जीटीआर - केंद्रीय वित्त लेखे, जीडीपी - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी - 7 जनवरी 2025 को सीएसओ द्वारा जारी प्रेस नोट।

1.4.2 तालिका 1.3 से देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों की जीटीआर में हिस्सेदारी 54.5 *प्रतिशत* थी और वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में जीटीआर में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में 2.4

[9] इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।

प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 6.2 *प्रतिशत* था, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 6.0 *प्रतिशत* था।

1.4.3 तालिका 1.4 में प्रत्यक्ष करों और उनके प्रमुख घटकों, यानी निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) की वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक वृद्धि दर्शाई गई है।

तालिका 1.4: प्रत्यक्ष करों की वृद्धि और इसके प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में))

वित्त वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि	निगम कर	पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि	आयकर	पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि	सकल घरेलू उत्पाद	पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि
2018-19	11,37,718	13.5	6,63,572	16.2	4,61,652	13.1	1,90,10,164	13.3
2019-20	10,50,686	(-)7.6	5,56,876	(-)16.1	4,80,348	4.0	2,03,39,849	7.0
2020-21	9,47,174	(-)9.9	4,57,719	(-)17.8	4,70,633	(-)2.0	1,98,00,914	(-)2.6
2021-22	14,12,422	49.1	7,12,037	55.6	6,73,414	43.1	2,36,64,637	19.5
2022-23	16,63,686	17.8	8,25,834	16.0	8,08,221	20.0	2,69,49,646	13.9

स्रोत: केंद्रीय वित्त लेखे; जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी - 7 जनवरी 2025 को सीएसओ द्वारा जारी प्रेस नोट।

1.4.4 उपरोक्त तालिका 1.4 से देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में निगम कर में 16.0 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई और इसी प्रकार वित्त वर्ष 2022-23 में आयकर में 20.0 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी में 13.9 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.4.5 निगम और आयकर दोनों के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के विभिन्न चरण हैं, जैसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर (एसएटी), तथा नियमित निर्धारण कर। टीडीएस, अग्रिम कर और स्व- निर्धारण कर के माध्यम से पूर्व- निर्धारण संग्रह प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का संकेत है, जबकि नियमित निर्धारण कर का संग्रह निर्धारण के बाद के चरण में किया जाता है, जिसमें संवीक्षा, संशोधन, सुधार आदि सम्मिलित हैं।

1.4.6 नीचे दी गई तालिका 1.5 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक विभिन्न चरणों के तहत निगमित कर के संग्रह को दर्शाती है।

तालिका 1.5: निगम कर का संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व-निर्धारण संग्रह (कॉलम 2+3+4)	कुल संग्रह के सापेक्ष में पूर्व-निर्धारण संग्रह का प्रतिशत	नियमित निर्धारण कर	कुल संग्रह के सापेक्ष में नियमित निर्धारण संग्रह का प्रतिशत	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रह (कॉलम 5+7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018-19	1,40,784	4,17,365	29,168	5,87,317	76.3	82,140	10.7	99,943	7,69,400
2019-20	1,43,589	3,59,915	30,935	5,34,439	78.8	49,946	7.4	94,032	6,78,417
2020-21	1,39,273	3,94,611	21,536	5,55,420	87.7	29,995	4.7	47,705	6,33,120
2021-22	1,90,084	5,31,274	39,157	7,60,515	88.6	45,303	5.3	53,032	8,58,850
2022-23	2,34,803	5,66,648	41,046	8,42,497	84.2	58,481	5.8	99,952	10,00,930

स्त्रोत: प्रधान सीसीए, सीबीडीटी

नोट: अन्य प्राप्तियों में अधिभार और उपकर सम्मिलित हैं। संग्रह के आंकड़ों में प्रतिदाय भी सम्मिलित है।

1.4.7 उपरोक्त तालिका 1.5 दर्शाती है कि वित्त वर्ष 2022-23 को छोड़कर, निर्धारितियों (पूर्व-निर्धारण चरण) द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन के माध्यम से निगम कर के संग्रह के *प्रतिशत* में साल-दर-साल वृद्धि हुई है, जबकि नियमित निर्धारण (निर्धारण के बाद) के माध्यम से संग्रह में समान वृद्धि नहीं देखी गई है।

1.4.8 नीचे दी गई तालिका 1.6 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक विभिन्न चरणों के अंतर्गत आयकर संग्रह को दर्शाती है।

तालिका 1.6: आयकर संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व-निर्धारण संग्रह (कॉलम 2+3+4)	कुल पूर्व-निर्धारण संग्रह का *प्रतिशत*	नियमित निर्धारण कर	नियमित निर्धारण संग्रह का *प्रतिशत*	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रह (कॉलम 5+7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018-19	3,09,985	1,10,164	55,005	4,75,154	91.9	16,892	3.3	24,815	5,16,860
2019-20	3,36,794	1,07,401	54,163	4,98,358	91.9	17,673	3.3	26,201	5,42,232
2020-21	3,31,002	1,23,158	63,198	5,17,358	92.9	12,301	2.2	27,096	5,56,755
2021-22	4,44,159	1,78,091	75,349	6,97,599	93.0	15,526	2.1	37,072	7,50,197
2022-23	5,83,167	1,61,277	88,908	8,33,352	88.5	20,039	2.1	88,190	9,41,581

स्त्रोतः प्रधान सीसीए, सीबीडीटी.

नोटः अन्य प्राप्तियों में अधिभार और उपकर आदि सम्मिलित हैं। संग्रह के आंकड़ों में प्रतिदाय भी सम्मिलित है।

1.4.9 उपरोक्त तालिका 1.6 दर्शाती है कि वित्त वर्ष 2022-23 को छोड़कर, निर्धारणकर्ता (पूर्व- निर्धारण चरण) द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन के माध्यम से आयकर संग्रह के *प्रतिशत* में साल-दर-साल वृद्धि हुई है, जबकि नियमित निर्धारण (निर्धारण के बाद) के माध्यम से संग्रह में ऐसी वृद्धि नहीं देखी गई है।

1.4.10 नीचे दी गई तालिका 1.7 में विभिन्न आय श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या दी गई है।

तालिका 1.7: गैर-निगमित निर्धारिती						**(आंकड़े लाख में)**
वित्त वर्ष	**करदाताओं की श्रेणी**					**कुल**
	क[10]	**ख$_1$**[11]	**ख$_2$**[12]	**ग**[13]	**घ**[14]	
2018-19	68.08	403.35	103.36	44.96	0.03	619.78
2019-20	75.05	409.15	104.53	50.63	0.01	639.37
2020-21	72.32	423.42	109.94	57.15	0.00#	662.83
2021-22	73.63	430.84	106.20	61.24	0.00*	671.91
2022-23	69.96	457.64	122.42	79.08	0.00^	729.10

स्रोत: सीबीडीटी; ये आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान दाखिल वास्तविक आयकर विवरणी पर आधारित हैं। # 241 निर्धारिती, * 158 निर्धारिती, ^39 निर्धारिती

वित्त वर्ष 2022-23 में गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या में 8.5 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 1.4 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी। जैसा कि ऊपर तालिका 1.7 और नीचे चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है, पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान श्रेणी 'क' में 5.0 *प्रतिशत* की कमी आई, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1.8 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक गैर-निगमित करदाताओं में 17.6 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान गैर-निगमित करदाताओं से कर संग्रह में 75.0 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई (तालिका 1.4 देखें)। इस प्रकार, गैर-निगमित करदाताओं की संख्या में *प्रतिशत* वृद्धि, उन पर कर संग्रह में *प्रतिशत* वृद्धि से कम थी।

[10] श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ दो लाख से कम आय/हानि वाले निर्धारण;

[11] श्रेणी 'ख1' के निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक लेकिन ₹ पांच लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण

[12] श्रेणी 'ख2' के निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक लेकिन ₹ 10 लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

[13] श्रेणी 'ग' के निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

[14] श्रेणी 'घ' निर्धारिती - जाँच और अभिग्रहण निर्धारण;

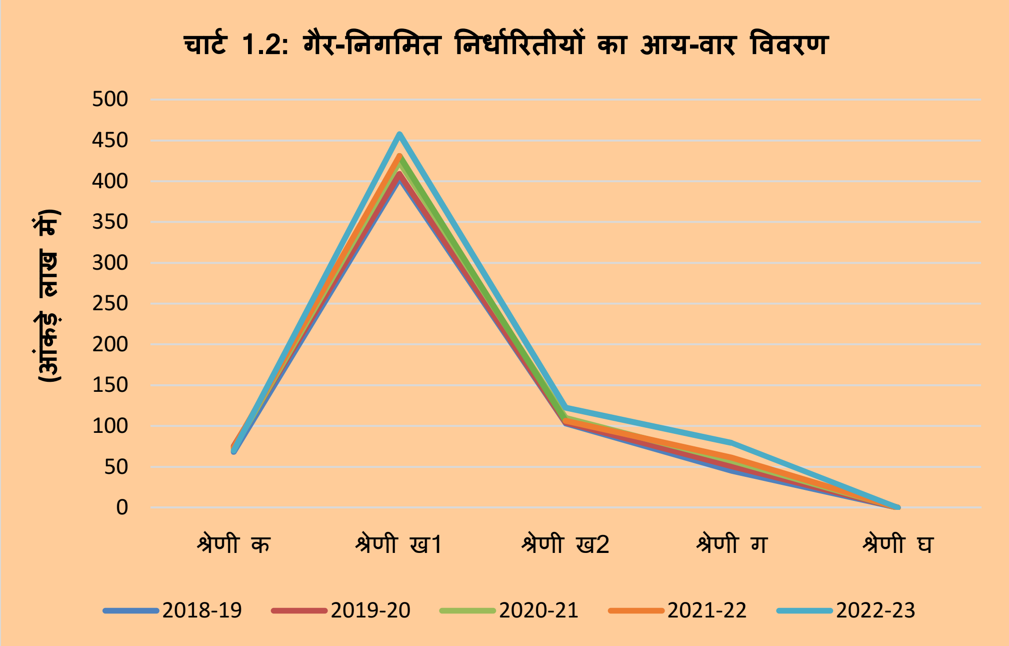

1.4.11 नीचे दी गई तालिका 1.8 विभिन्न आय श्रेणियों में निगमित निर्धारितियों की संख्या दर्शाती है।

तालिका 1.8: निगमित निर्धारिती (आंकड़े लाख में)

वित्त वर्ष	निर्धारितियों की श्रेणी					कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले करदाता
	क[15]	$ख_1$[16]	$ख_2$[17]	ग[18]	घ[19]		
2018-19	3.66	2.00	0.61	2.19	0.00@	8.46	1.45
2019-20	3.48	2.00	0.63	2.27	0.00*	8.38	1.52
2020-21	3.91	2.21	0.68	2.42	0.00^	9.21	1.61
2021-22	4.26	2.26	0.69	2.44	0.00#	9.65	1.63
2022-23	4.62	2.23	0.69	2.65	0.00$	10.19	1.82

स्रोत: सीबीडीटी। ये आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान दाखिल वास्तविक आयकर विवरणी पर आधारित हैं।
@146 निर्धारिती, *223 निर्धारिती, ^60 निर्धारिती, #17 निर्धारिती, $3 निर्धारिती

वित्त वर्ष 2022-23 में निगमित निर्धारितियों की संख्या में 5.6 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में यह

---

15 श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ 50,000 से कम आय/हानि वाले निर्धारण;

16 श्रेणी 'ख1' के निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ 50,000 और उससे अधिक लेकिन ₹ पांच लाख से कम की आय/हानि वाले निर्धारण;

17 श्रेणी 'ख2' निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख से अधिक और ₹ 10 लाख से कम लेकिन आय/हानि वाले निर्धारण;

18 श्रेणी 'ग' के निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

19 श्रेणी 'घ' निर्धारिती - जाँच/अन्वेषण और अभिग्रहण;

4.8 *प्रतिशत* थी। वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक निगमित करदाताओं में 20.4 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान निगमित करदाताओं से कर संग्रह में 24.5 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई (तालिका 1.4 देखें)।

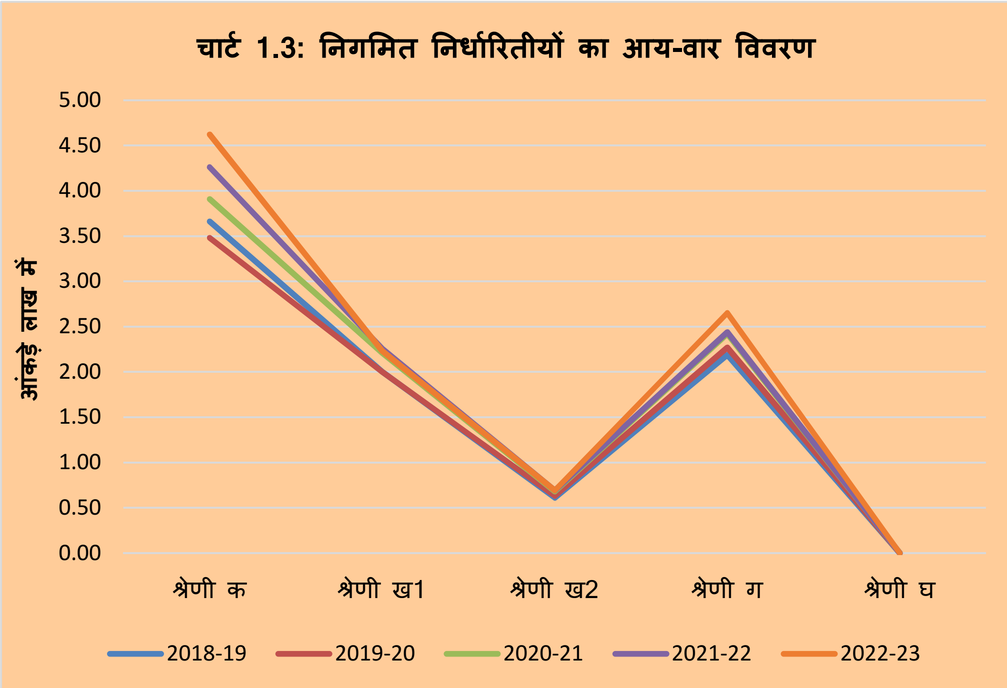

1.5 प्रतिदाय का रुझान

जब भुगतान किए गए कर की राशि देय कर की राशि से अधिक हो जाती है, तो निर्धारिती अतिरिक्त राशि की वापसी के अधिकारी होते हैं। यदि करदाता को मिलने वाला प्रतिदाय स्रोत पर काटे गए/संग्रहित किसी कर या अग्रिम कर के रूप में चुकाए गए कर से है, तो करदाता निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से प्रतिदाय दिए जाने की तारीख तक प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए आधा *प्रतिशत* की दर से गणना किए गए ब्याज का हकदार होगा, बशर्ते आयकर विवरणी धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किया गया हो। स्व-निर्धारण कर के माध्यम से भुगतान किए गए अतिरिक्त कर के कारण प्रतिदाय उत्पन्न होने की स्थिति में, प्रतिदाय पर ब्याज की गणना आयकर विवरणी प्रस्तुत करने या कर के भुगतान की तारीख से, जो भी बाद में हो, की जाएगी। हालाँकि, यदि प्रतिदाय की राशि धारा 143(1) के अंतर्गत निर्धारित कर या नियमित निर्धारण के तहत निर्धारित कर के 10 *प्रतिशत* से कम है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।

1.5.1 प्रतिदाय मामलों का निपटान

नीचे दी गई तालिका 1.9 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक प्रतिदाय मामलों के निपटान और लंबित मामलों का रुझान को दर्शाता है।

तालिका 1.9: प्रतिदाय मामलों का निपटान (संख्या लाख में)

वित्त वर्ष	प्रतिदाय के मामले निपटान के लिए लंबित	प्रतिदाय के मामले निपटाये गये	प्रतिदाय के लंबित मामले	*प्रतिशत* में लंबितता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018-19	274.4	261.7	12.7	4.63
2019-20	264.3	248.9	15.4	5.83
2020-21	272.6	236.5	36.1	13.24
2021-22	294.1	242.5	51.6	17.55
2022-23	349.9	314.3	35.5	10.15

स्रोत: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए, सीबीडीटी द्वारा दिनांक 08/05/2025 के पत्र के माध्यम से दिए गए विवरण के अनुसार।

उपरोक्त तालिका 1.9 से देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2019-20 को छोड़कर वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान 'निपटान किए गए प्रतिदाय मामलों' में साल-दर-साल वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2018-19 और 2022-23 के दौरान, प्रतिदाय मामलों का लंबित *प्रतिशत* वित्त वर्ष 2021-22 (17.55 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक था, इसके बाद वित्त वर्ष 2020-21 (13.24 *प्रतिशत*) और 2022-23 (10.15 *प्रतिशत*) का स्थान रहा।

1.5.2 प्रतिदाय मामलों की वर्षवार लंबितता

नीचे दी गई तालिका 1.10 में वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वर्ष-वार लंबित प्रतिदाय मामलों की जानकारी दी गई है:

तालिका 1.10: प्रतिदाय मामलों की वर्षवार लंबितता								
वित्त वर्ष	**एक वर्ष तक लंबित**		**एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक लंबित**		**दो वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक लंबित**		**कुल**	
	प्रतिदाय मामलों की संख्या (लाख में)	**राशि (₹ करोड़ में)**	**प्रतिदाय मामलों की संख्या (लाख में)**	**राशि (₹ करोड़ में)**	**प्रतिदाय मामलों की संख्या (लाख में)**	**राशि (₹ करोड़ में)**	**प्रतिदाय मामलों की संख्या (लाख में)#**	**राशि (₹ करोड़ में)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
2021-22	21.9	22,691.5	5.8	2,433.5	0.0	0.0	27.7	25,125.0
2022-23	23.9	49,204.9	9.9	11,563.5	4.3	853.6	38.1	61,622.0

स्रोत: सीबीडीटी # तालिका 1.9 के कॉलम संख्या 4 और तालिका 1.10 के कॉलम संख्या 8 में दिए गए लंबित प्रतिदाय मामलों के आंकड़ों को सीबीडीटी द्वारा मिलान की आवश्यकता है और तदनुसार तालिका 1.10 के कॉलम संख्या 9 में दी गई प्रतिदाय राशि को भी मिलान की आवश्यकता है।

उपरोक्त तालिका 1.10 से देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान लंबित प्रतिदाय मामलों में से 60 *प्रतिशत* से अधिक मामले एक वर्ष से कम समय से लंबित थे। वित्त वर्ष 2021-22 में दो वर्ष से अधिक समय से कोई भी प्रतिदाय मामला लंबित नहीं था। इन प्रतिदाय मामलों में लंबित राशि के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2021-22 में प्रतिदाय राशि का 90 *प्रतिशत* एक वर्ष से कम समय के लिए लंबित था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23, में 80 *प्रतिशत* एक वर्ष से कम समय के लिए लंबित थे।

1.5.3 प्रतिदाय की तिमाही रुझान

नीचे दी गई तालिका 1.11 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निगम कर और आयकर के संबंध में किए गए प्रतिदाय और राजस्व संग्रह की तिमाही रुझान को दर्शाता है।

तालिका 1.11: प्रतिदाय की तिमाही रुझान							**(₹ करोड़ में)**
वित्त वर्ष	**तिमाही समाप्ति**	**निगम कर**			**आयकर**		
		सकल संग्रह	**प्रतिदाय**	**संग्रह के संदर्भ में प्रतिदाय का *प्रतिशत***	**सकल संग्रह**	**प्रतिदाय**	**संग्रह के संदर्भ में प्रतिदाय का *प्रतिशत***
2018-19	जून 2018	1,27,468	61,078	47.9	98,049	12,834	13.1
	सितंबर 2018	1,90,200	12,848	6.8	1,27,210	16,823	13.2
	दिसंबर 2018	1,94,177	10,468	5.4	1,21,069	16,503	13.6

तालिका 1.11: प्रतिदाय की तिमाही रुझान **(₹ करोड़ में)**

वित्त वर्ष	तिमाही समाप्ति	निगम कर			आयकर		
		सकल संग्रह	प्रतिदाय	संग्रह के संदर्भ में प्रतिदाय का *प्रतिशत*	सकल संग्रह	प्रतिदाय	संग्रह के संदर्भ में प्रतिदाय का *प्रतिशत*
	मार्च 2019	2,57,554	21,434	8.3	1,70,533	9,049	5.3
	कुल	**7,69,399**	**1,05,828**	**13.8**	**5,16,861**	**55,209**	**10.7**
2019-20	जून 2019	70,435	64,894	92.1	92,449	11,209	12.1
	सितंबर 2019	1,78,463	17,404	9.8	1,11,951	17,481	15.6
	दिसंबर 2019	1,20,124	28,009	23.3	98,494	30,792	31.3
	मार्च 2020	1,87,853	11,235	6.0	1,77,449	2,407	1.4
	कुल	**5,56,876**	**1,21,542**	**21.8**	**4,80,343**	**61,889**	**12.9**
2020-21	जून 2020	54,217	40,208	74.2	62,162	23,808	38.3
	सितंबर 2020	96,247	48,155	50.0	1,04,327	7,414	7.1
	दिसंबर 2020	1,61,996	20,888	12.9	1,28,943	19,061	14.8
	मार्च 2021	1,45,269	64,151	44.2	1,75,201	35,839	20.6
	कुल	**4,57,719**	**1,73,402**	**37.9**	**4,70,633**	**86,122**	**18.3**
2021-22	जून 2021	1,23,593	26,204	21.2	1,21,264	9,310	7.7
	सितंबर 2021	1,84,828	34,031	18.4	1,50,895	10,763	7.1
	दिसंबर 2021	2,11,814	37,163	17.5	1,72,646	31,038	18.0
	मार्च 2022	1,91,802	49,414	25.8	2,28,609	25,673	11.2
	कुल	**7,12,037**	**1,46,812**	**20.6**	**6,73,414**	**76,784**	**11.4**
2022-23	जून 2022	1,73,495	24,671	14.2	1,73,964	12,890	7.4
	सितंबर 2022	2,01,653	49,557	24.6	1,68,162	63,097	37.5
	दिसंबर 2022	2,32,927	47,066	20.2	1,88,014	32,688	17.4
	मार्च 2023	2,17,759	53,803	24.7	2,78,081	24,683	8.9
	कुल	**8,25,834**	**1,75,097**	**21.2**	**8,08,221**	**1,33,358**	**16.5**

स्रोत: प्रधान सीसीए, सीबीडीटी

जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.11 से देखा जा सकता है, वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाहियों के दौरान निगम कर के सकल संग्रह का क्रमशः 47.9 *प्रतिशत*, 92.1 *प्रतिशत*, 74.2 *प्रतिशत*, 21.2 *प्रतिशत* और 14.2 *प्रतिशत* उसी तिमाही के दौरान प्रतिदाय किया गया। जबकि, आयकर के संबंध में वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाहियों के दौरान सकल संग्रह का क्रमशः 13.1 *प्रतिशत*, 12.1 *प्रतिशत*, 38.3 *प्रतिशत*, 7.7 *प्रतिशत* और 7.4 *प्रतिशत*

उसी तिमाही के दौरान प्रतिदाय किया गया। यह भी देखा गया है कि सकल संग्रह के *प्रतिशत* के रूप में निगम कर के मामले में प्रतिदाय आयकर की तुलना में अधिक है।

1.6 पैन आवंटन का रुझान, आयकर विवरणी दाखिल करने और करदाताओं की सकल कुल आय

1.6.1 करदाता श्रेणी-वार पैन आवंटन

करदाताओं के पंजीकरण और पहचान के लिए पैन एक आवश्यक उपकरण है। आयकर विभाग करदाताओं/गैर-करदाताओं के मौद्रिक लेन-देन की जांच और निगरानी करता है तथा तदनुसार आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू करता है।

नीचे दी गई तालिका 1.12 में प्रत्येक वर्ष के अंत में करदाता की स्थिति के अनुसार कुल आवंटित पैन संख्या का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.12: करदाता स्थिति के अनुसार पैन आवंटन **(संख्या लाख में)**

करदाता की स्थिति	मार्च 2019 तक	मार्च 2020 तक	*प्रतिशत* में परिवर्तन	मार्च 2021 तक	*प्रतिशत* में परिवर्तन	मार्च 2022 तक	*प्रतिशत* में परिवर्तन	मार्च 2023 तक#	*प्रतिशत* में परिवर्तन
व्यक्ति	4,352.50	4,923.90	13.13	5,415.40	9.98	5,999.20	10.78	6,626.70	10.46
कंपनी	17.4	18.7	7.47	20.3	8.56	22	8.37	23.6	7.27
फर्म	44.3	47.4	7.00	50.7	6.96	54.1	6.71	57.7	6.65
एचयूएफ	20.2	20.8	2.97	21.4	2.88	22.1	3.27	22.9	3.62
अन्य*	22.7	26.1	14.98	29.1	11.49	32.6	12.03	36.5	11.96
कुल	**4,457.10**	**5,036.90**	**13.01**	**5,536.90**	**9.93**	**6,130.00**	**10.71**	**6,767.40**	**10.40**

स्रोत: सीबीडीटी (मार्च 2022 तक)। # आयकर विभाग के पैन आवंटन के आंकड़े जैसा कि आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

* अन्य में एओपी, बीओआई, सरकार, एजेपी, स्थानीय प्राधिकरण और ट्रस्ट सम्मिलित हैं।

उपरोक्त तालिका 1.12 और नीचे दिए हुए चार्ट 1.4 और 1.5 से यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक करदाताओं की सभी श्रेणियों में पैन आवंटन की पूर्ण संख्या में साल-दर-साल वृद्धि हुई है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2021-22 को छोड़कर इसी अवधि के दौरान पैन आवंटन में *प्रतिशत* वृद्धि में साल-दर-साल गिरावट देखी गई।

नीचे दिए हुए चार्ट 1.4 में व्यक्तिगत आधार पर वर्ष-वार संचयी पैन आवंटन को दिखाया गया है:

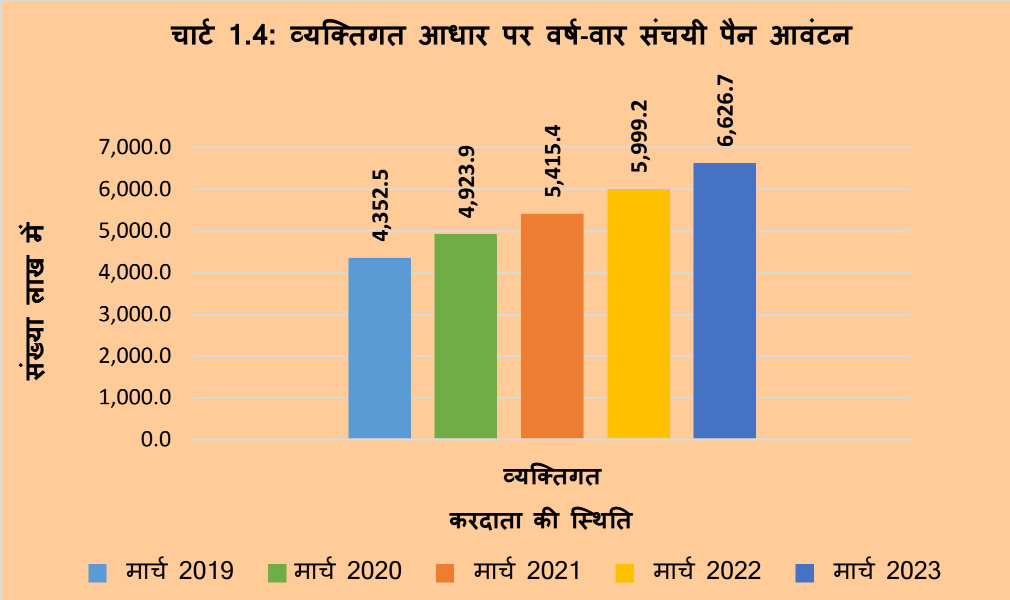

नीचे दिए हुए चार्ट 1.5 में व्यक्तिगत के अलावा अन्य व्यक्ति को वर्ष-वार संचयी पैन आवंटन को दिखाया गया है:

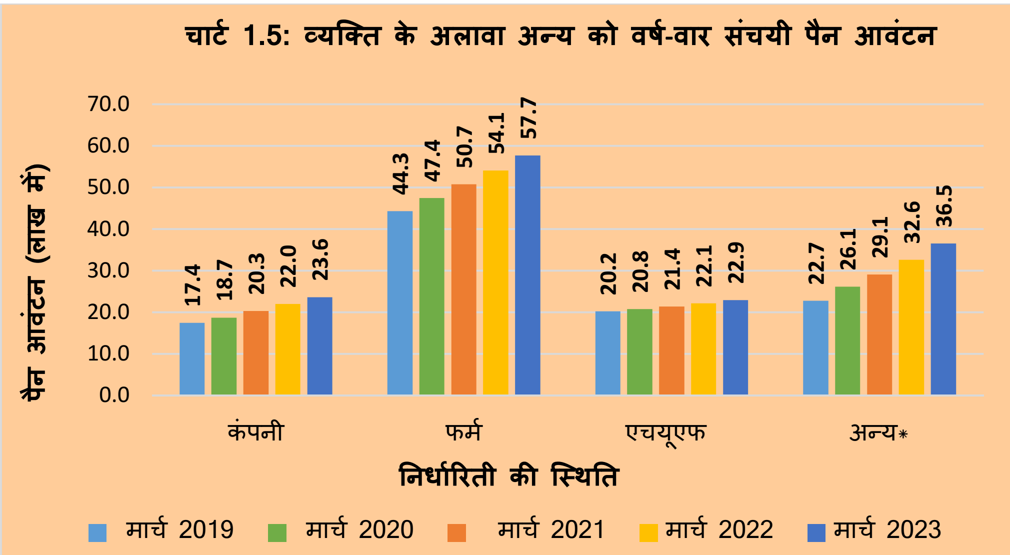

*अन्य में एओपी, बीओआई, सरकारी, एजेपी, स्थानीय प्राधिकरण, ट्रस्ट सम्मिलित हैं

1.6.2 आयकर विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्तियों की वित्त वर्षवार संख्या

अधिनियम की धारा 139 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी या फर्म है या कंपनी या फर्म से भिन्न कोई व्यक्ति है, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है, उस अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए

प्रभार्य नहीं है, तो उसे नियत तारीख को या उससे पूर्व पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

तालिका 1.13: आयकर विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्तियों की वित्त वर्षवार संख्या (आईटीआर दाखिलकर्ता) (संख्या लाख में)

पैन श्रेणी	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या	कुल आईटीआर का *प्रतिशत*	आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या	कुल आईटीआर का *प्रतिशत*	आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या	कुल आईटीआर का *प्रतिशत*	आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या	कुल आईटीआर का *प्रतिशत*	आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या	कुल आईटीआर का *प्रतिशत*
व्यक्तिगत	595.4	94.0	611.3	94.2	631.7	94.0	654.6	94.0	696.9	94.2
कंपनी	8.5	1.3	8.4	1.3	9.2	1.4	9.7	1.4	10.3	1.4
फर्म	13.2	2.1	13	2	14.1	2.1	14.5	2.1	15.1	2.0
एचयूएफ	11.7	1.8	11.6	1.8	12	1.8	12.3	1.8	12.5	1.7
अन्य	4.4	0.7	4.4	0.7	5	0.7	5.3	0.7	5.3	0.7
कुल	**633.2**	**100.0**	**648.7**	**100.0**	**672.1**	**100.0**	**696.4**	**100.0**	**740.1**	**100.0**

स्रोत: सीबीडीटी. *अन्य में एओपी, बीओआई, सरकारी, एजेपी, स्थानीय प्राधिकरण और ट्रस्ट सम्मिलित हैं

नीचे दी गई तालिका 1.13 में वित्त वर्ष और पैन श्रेणीवार आयकर विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण दिया गया है।

उपरोक्त तालिका 1.13 और नीचे चार्ट 1.6 और चार्ट 1.7 से यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक आयकर विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्तियों की पूर्ण संख्या में साल-दर-साल वृद्धि हुई है।

नीचे दिए हुए चार्ट 1.6 में वित्त वर्ष-वार आयकर विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्तिगत की संख्या दिखाई गई है:

चार्ट 1.6: वित्त वर्ष-वार आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या

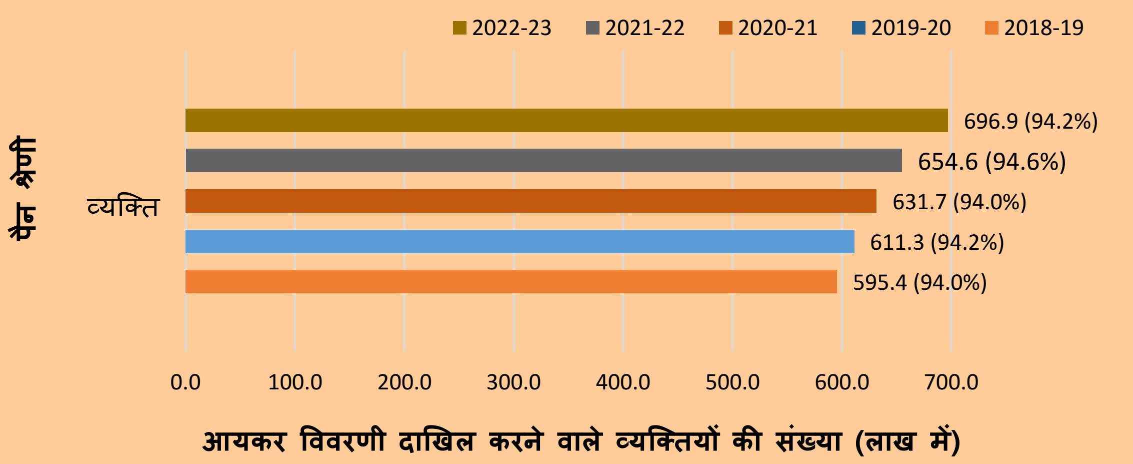

नीचे दिए हुए चार्ट 1.7 में वित्त वर्ष-वार आयकर विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्तिगत के अलावा व्यक्तियों की संख्या दिखाई गई है:

चार्ट 1.7: वित्त वर्ष के दौरान आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की संख्या

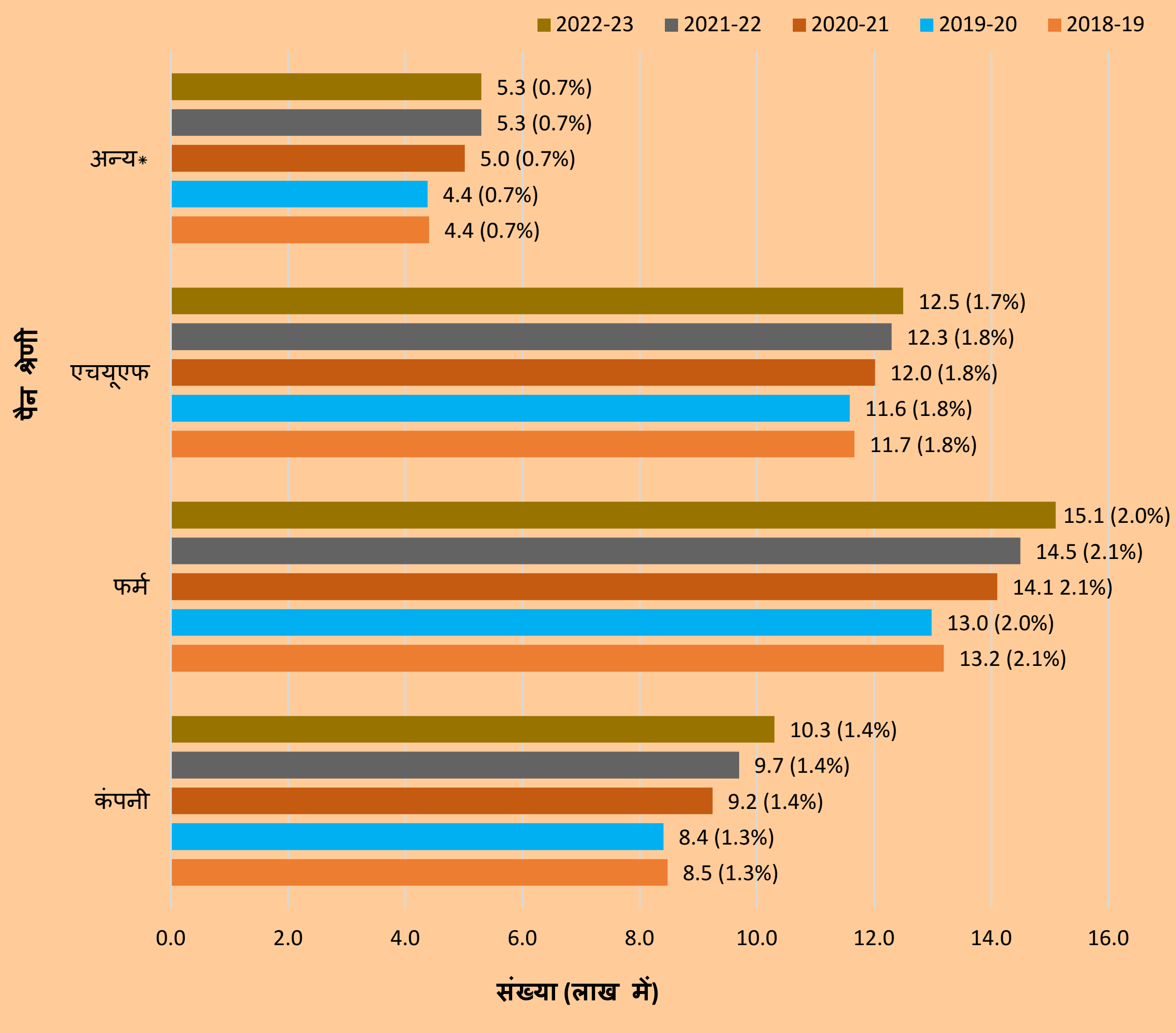

* अन्य में एओपी, बीओआई, सरकारी, एजेपी, स्थानीय प्राधिकरण और ट्रस्ट सम्मिलित हैं

1.6.3 करदाताओं द्वारा दाखिल आयकर विवरणी (आईटीआर) की आय श्रेणी और निर्धारण वर्षवार संख्या

नीचे दी गई तालिका 1.14 में आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार करदाताओं द्वारा दाखिल आईटीआर की संख्या तथा तत्काल पिछले निर्धारण वर्ष की तुलना में आईटीआर की संख्या में *प्रतिशत* वृद्धि का ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 1.14: सभी करदाताओं द्वारा दाखिल की गई आयकर विवरणी की आय श्रेणी और मूल्यांकन वर्षवार संख्या

(आईटीआर की संख्या हजार में)

आय श्रेणी*	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	आईटीआर की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आईटीआर की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आईटीआर की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आईटीआर की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आईटीआर की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन
एक्स1	37,723.2	13.8	43,525.7	15.4	36,319.0	-16.6	37,793.1	4.1	37,503.1	-0.8
एक्स2	15,059.7	26.8	16,448.2	9.2	19,906.7	21.0	21,401.0	7.5	24,428.8	14.1
एक्स3	5,763.7	22.2	6,750.2	17.1	7,512.3	11.3	8,145.4	8.4	10,342.0	27.0
एक्स4	163.4	19.1	186.8	14.3	197.4	5.7	210.8	6.8	296.4	40.6
एक्स5	3.4	17.2	4.0	17.1	4.0	1.6	5.1	26.0	7.8	52.4
कुल	**58,713.4**	**17.7**	**66,914.9**	**14.0**	**63,939.4**	**-4.4**	**67,555.4**	**5.7**	**72,578.1**	**7.4**

* एक्स1: सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम; एक्स2: सकल आय ₹ 5 लाख से अधिक लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम; एक्स3: सकल आय ₹ 10 लाख से अधिक लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे कम; एक्स4: सकल आय ₹ 1 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50 करोड़ और उससे कम; एक्स5: सकल आय ₹ 50 करोड़ से अधिक

स्रोत: सीबीडीटी

उपरोक्त तालिका 1.13 से देखा जा सकता है कि निर्धारण वर्ष 2020-21 को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए सभी आय श्रेणियों के लिए आईटीआर की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है, सिवाय निर्धारण वर्ष 2020-21 और 2022-23 के लिए ₹ 5 लाख और उससे कम की सकल आय वाले करदाताओं के। इसके अलावा, ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक की कुल आय वाले करदाताओं के लिए निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

नीचे दिया गया चार्ट 1.8 सभी करदाताओं द्वारा दाखिल आईटीआर की संख्या में आय वर्ग-वार वृद्धि/कमी *प्रतिशत* में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन को दर्शाता है।

चार्ट 1.8: सभी करदाताओं की आईटीआर की संख्या में निर्धारण वर्ष-वार रुझान

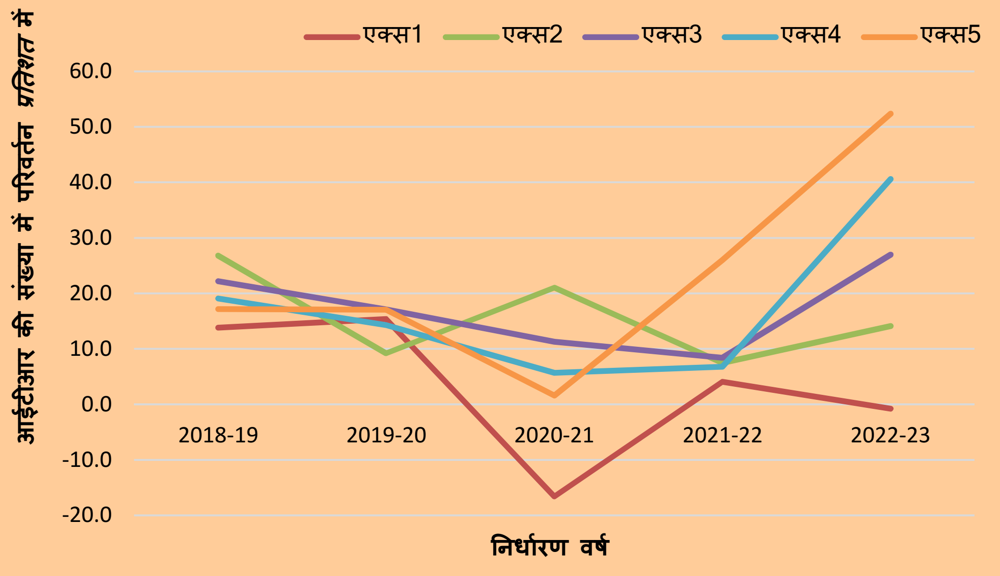

1.6.4 करदाताओं की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार सकल कुल आय

नीचे दी गई तालिका 1.15 में आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष-वार करदाताओं की सकल कुल आय तथा तत्काल पिछले कर निर्धारण वर्ष की तुलना में करदाताओं की सकल कुल आय में *प्रतिशत* वृद्धि का ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 1.15: करदाता की आय श्रेणी और निर्धारण वर्ष-वार सकल कुल आय **(आय ₹ करोड़ में)**

आय श्रेणी*	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन
एक्स1	11,44,466	14.2	13,01,293	13.7	11,64,691	-10.5	12,33,846	5.9	12,56,530	1.8
एक्स2	10,23,588	27	11,17,809	9.2	13,36,609	19.6	14,29,561	7.0	16,40,525	14.8
एक्स3	11,22,811	22.1	13,18,410	17.4	14,59,848	10.7	15,93,155	9.1	20,64,635	29.6
एक्स4	5,98,674	20.3	6,77,756	13.2	7,00,434	3.3	7,74,069	10.5	10,89,741	40.8
एक्स5	12,43,543	16	14,76,214	18.7	14,33,727	-2.9	19,28,921	34.5	29,01,241	50.4
कुल	**51,33,084**	**19.4**	**58,91,483**	**14.8**	**60,95,309**	**3.5**	**69,59,552**	**14.2**	**89,52,672**	**28.6**

*एक्स1: सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम; एक्स2: सकल आय ₹ 5 लाख से अधिक लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम; एक्स3: सकल आय ₹ 10 लाख से अधिक लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे कम; एक्स4: सकल आय ₹ 1 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50 करोड़ और उससे कम; एक्स5: सकल आय ₹ 50 करोड़ से अधिक

स्रोत: सीबीडीटी

उपरोक्त तालिका 1.15 एवं नीचे दिए गए चार्ट 1.9 से देखा जा सकता है कि सभी आय श्रेणियों एवं करदाताओं की सभी श्रेणियों के संबंध में समग्र सकल कुल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है (निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 'सकल आय ₹ 5 लाख एवं उससे कम' श्रेणी के करदाताओं को छोड़कर; एवं निर्धारण

वर्ष 2020-21 के लिए 'सकल आय ₹ 50 करोड़ से अधिक' वाली श्रेणी के करदाताओं को छोड़कर)। हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2018-19 से निर्धारण वर्ष 2022-23 तक सभी करदाताओं की कुल सकल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।

चार्ट 1.9: सभी करदाताओं की सकल कुल आय का निर्धारण वर्ष-वार रुझान

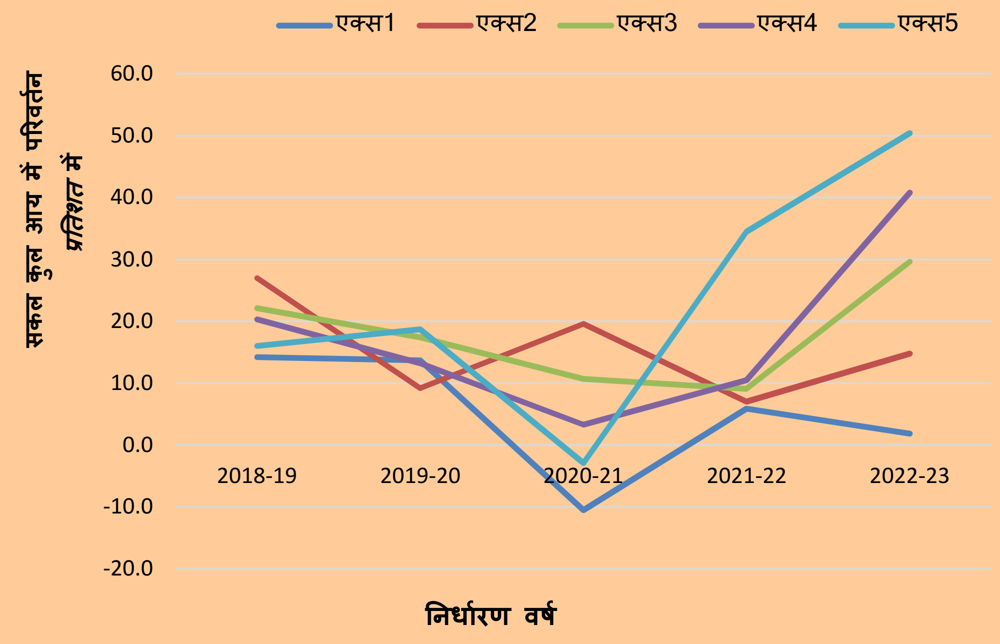

1.6.5 कंपनियों द्वारा दाखिल आयकर विवरणी की आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्ष-वार संख्या

नीचे दी गई तालिका 1.16 में कंपनियों द्वारा दाखिल की गई आय श्रेणी एवं निर्धारण-वार आयकर विवरणी की संख्या एवं तत्काल पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्षों की तुलना में आयकर विवरणी की संख्या में *प्रतिशत* वृद्धि।

तालिका 1.16: कंपनियों द्वारा दाखिल आयकर विवरणी की आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्ष-वार संख्या

(आयकर विवरणी की संख्या हजार में)

आय श्रेणी*	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	आयकर विवरणी की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन
वाई1	693.0	5.4	727.8	5.0	759.5	4.4	805.5	6.1	831.2	3.2
वाई2	102.8	8.21	107.3	4.4	107.0	-0.3	104.5	-2.3	120.1	14.9
वाई3	43.3	16.03	47.3	9.2	47.7	0.8	51.1	7.3	64.5	26.1

तालिका 1.16: कंपनियों द्वारा दाखिल आयकर विवरणी की आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्ष-वार संख्या

(आयकर विवरणी की संख्या हजार में)

आय श्रेणी*	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	आयकर विवरणी की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या	*प्रतिशत* में परिवर्तन
वाई4	1.2	10.26	1.4	17.2	1.4	-0.8	1.7	22.9	2.4	40.9
वाई5	1.6	22.27	1.9	15.4	1.9	2.1	2.4	27.6	3.3	38.5
कुल	**841.9**	**6.27**	**885.7**	**5.2**	**917.5**	**3.6**	**965.2**	**5.2**	**1,021.5**	**5.8**

*वाई1: सकल आय शून्य एवं उससे अधिक लेकिन ₹ 10 लाख या उससे कम; वाई2: सकल आय ₹ 10 लाख से अधिक लेकिन ₹ 1 करोड़ या उससे कम; वाई3: सकल आय ₹ 1 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50 करोड़ या उससे कम; वाई4: सकल आय ₹ 50 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 100 करोड़ या उससे कम; वाई5: सकल आय ₹ 100 करोड़ से अधिक

स्रोत: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

उपरोक्त तालिका 1.16 एवं नीचे दिए गए चार्ट 1.10 से देखा जा सकता है कि तत्काल पूर्व निर्धारण वर्ष की तुलना में, निर्धारण वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान आय श्रेणी वाई2 के अतिरिक्त सभी आय श्रेणियों में, कंपनियों द्वारा दाखिल आयकर विवरणी की संख्या में वृद्धि हुई, अर्थात 'सकल आय ₹ 10 लाख से अधिक लेकिन ₹ 1 करोड़ या उससे कम' एवं वाई 4 अर्थात निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ' सकल आय ₹ 50 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 100 करोड़ या उससे कम'; एवं निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय श्रेणी वाई2 अर्थात 'सकल आय ₹ 10 लाख से अधिक लेकिन ₹ 1 करोड़ या उससे कम' की वृद्धि हुई। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक कंपनियों द्वारा दाखिल की गई आयकर विवरणी की कुल संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक की सकल कुल आय वाली कंपनियों के आयकर विवरणी में उल्लेखनीय वृद्धि पाई गई।

चार्ट 1.10: कंपनियों द्वारा दाखिल आईटीआर की संख्या में आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्ष-वार रुझान

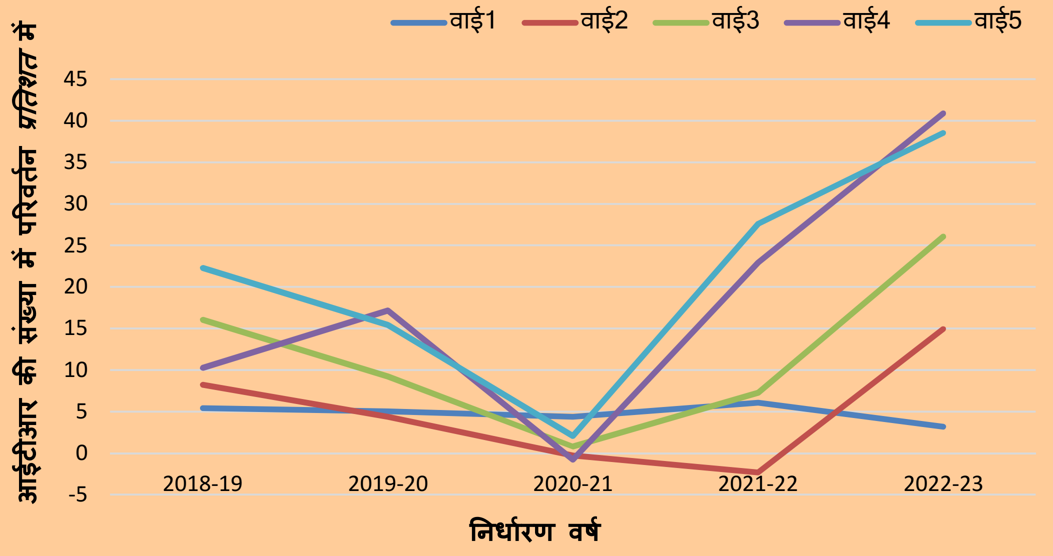

1.6.6 आय श्रेणी एवं कम्पनियों की सकल कुल आय का निर्धारण वर्षवार रुझान

नीचे दी गई तालिका 1.17 में कंपनियों की आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्षवार समग्र सकल कुल आय तथा पिछले निर्धारण वर्षों की तुलना में कंपनियों की सकल कुल आय में *प्रतिशत* में परिवर्तन के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 1.17: आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्षवार कम्पनियों की कुल सकल आय **(₹ करोड़ में)**

आय श्रेणी*	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन
वाई1	5,051	1.4	5,158	2.1	5,137	-0.4	5,122	-0.3	5,474	6.9
वाई2	36,146	9.3	38,191	5.7	37,846	-0.9	37,064	-2.1	43,223	16.6
वाई3	2,63,045	16.9	2,92,282	11.1	2,97,207	1.7	3,36,910	13.4	4,31,554	28.1
वाई4	86,989	10.7	98,512	13.2	98,212	-0.3	1,19,512	21.7	1,67,148	39.9
वाई5	10,82,240	15.1	12,62,749	16.7	12,21,822	-3.2	16,54,135	35.4	23,54,687	42.4
कुल	**14,73,472**	**14.9**	**16,96,893**	**15.2**	**16,60,225**	**-2.2**	**21,52,743**	**29.7**	**30,02,085**	**39.5**

*वाई1: सकल आय शून्य या उससे अधिक लेकिन ₹ 10 लाख या उससे कम; वाई2: सकल आय ₹ 10 लाख से अधिक लेकिन ₹ 1 करोड़ या उससे कम; वाई3: सकल आय ₹ 1 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50 करोड़ या उससे कम; वाई4: सकल आय ₹ 50 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 100 करोड़ या उससे कम; वाई5: सकल आय ₹ 100 करोड़ से अधिक

स्रोत: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

उपरोक्त तालिका 1.17 एवं नीचे चार्ट 1.11 से देखा जा सकता है कि निर्धारण वर्ष 2018-19 से निर्धारण वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारण वर्ष 2020-21 को छोड़कर सभी श्रेणियों में कंपनियों की समग्र सकल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। हालाँकि, सभी आय श्रेणियों में कम्पनियों की सकल कुल आय में *प्रतिशत* के आधार पर लगातार वृद्धि नहीं हुई। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2020-21 के दौरान, आय श्रेणी वाई3 को छोड़कर सभी आय श्रेणियों में कंपनियों की कुल समग्र आय में गिरावट आई, अर्थात 'सकल कुल आय ₹ 1 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50 करोड़ या उससे कम' थी। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक की सकल कुल आय वाली कंपनियों की सकल कुल आय में उल्लेखनीय *प्रतिशत* वृद्धि पाई गई।

चार्ट 1.11: कंपनियों की सकल कुल आय का, आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्ष-वार रुझान

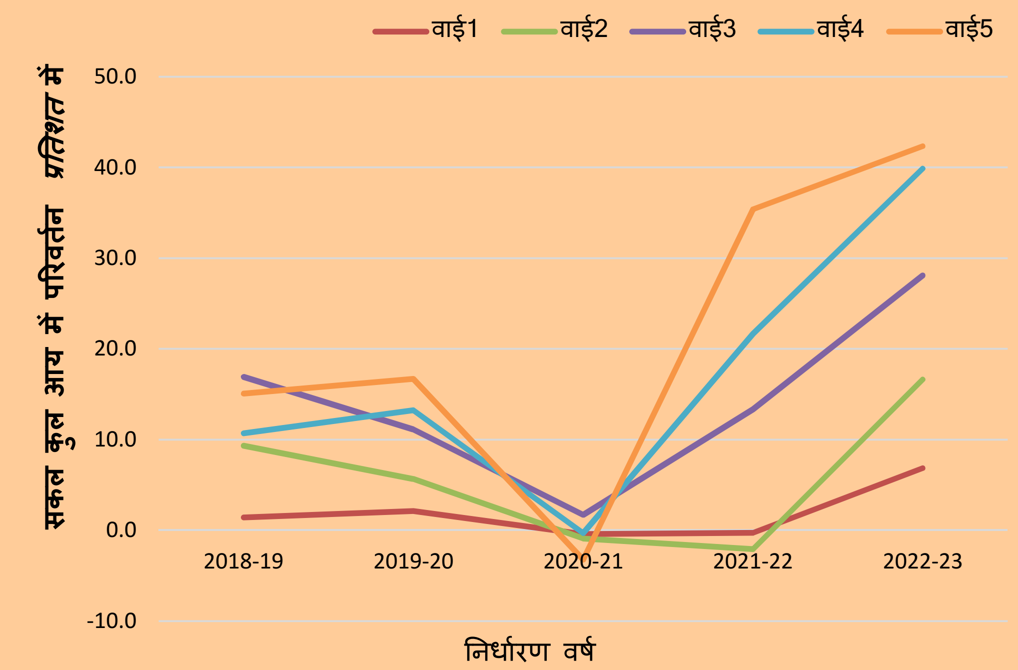

1.6.7 आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्ष-वार व्यक्तियों द्वारा दाखिल आयकर विवरणी की संख्या

नीचे दी गई तालिका 1.18 में आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्ष-वार व्यक्तियों द्वारा दाखिल आयकर विवरणी की संख्या तथा तत्काल पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों की तुलना में आयकर विवरणी की संख्या में *प्रतिशत* वृद्धि का ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 1.18: व्यक्तियों द्वारा दाखिल की गई आयकर विवरणी की आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्ष-वार संख्या

(आयकर विवरणी की संख्या हजार में)

आय श्रेणी*	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	आयकर विवरणी की संख्या (हजार में)	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या (हजार में)	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या (हजार में)	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या (हजार में)	*प्रतिशत* में परिवर्तन	आयकर विवरणी की संख्या (हजार में)	*प्रतिशत* में परिवर्तन
ज़ेड1	34,954.2	14.4	40,577.6	16.1	33,356.7	-17.8	34,690.7	4.0	34,349.4	-1.0
ज़ेड2	14,754.2	27.2	16,121.0	9.3	19,578.4	21.4	21,071.3	7.6	24,069.1	14.2
ज़ेड3	5,244.8	22.8	6,160.8	17.5	6,894.4	11.9	7,500.9	8.8	9,511.9	26.8
ज़ेड4	299.1	21.6	357.9	19.6	390.4	9.1	423.8	8.6	598.5	41.2
ज़ेड5	7.9	24.1	9.3	18.0	8.7	-6.5	9.0	3.1	15.2	69.0
कुल	**52,260.2**	**12.0**	**63,226.6**	**21.0**	**60,228.6**	**-4.7**	**63,695.7**	**5.8**	**68,544.1**	**7.6**

*ज़ेड1: सकल आय ₹ 5 लाख या उससे कम; जेड2: सकल आय ₹ 5 लाख से अधिक लेकिन ₹ 10 लाख या उससे कम; जेड3: सकल आय ₹ 10 लाख से अधिक लेकिन ₹ 50 लाख या उससे कम; जेड4: सकल आय ₹ 50 लाख से अधिक लेकिन ₹ 5 करोड़ या उससे कम; जेड 5: सकल आय ₹ 5 करोड़ से अधिक

स्रोत: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

उपरोक्त तालिका 1.18 एवं नीचे दिए गए चार्ट 1.12 से देखा जा सकता है कि तत्काल पूर्व निर्धारण वर्ष की तुलना में, निर्धारण वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान आय श्रेणी जेड1 के अतिरिक्त, सभी आय श्रेणियों में व्यक्तिगत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आयकर विवरणी की संख्या में वृद्धि हुई है, अर्थात निर्धारण वर्ष 2020-21 एवं निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 'सकल आय ₹ 5 लाख या उससे कम'; तथा जेड5, अर्थात निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 'सकल आय ₹ 5 करोड़ से अधिक' की वृद्धि हुई। हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2020-21 के अतिरिक्त व्यक्तिगत निर्धारितियों द्वारा दाखिल की गई आयकर विवरणी की कुल संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 50 लाख एवं उससे अधिक की सकल कुल आय वाले व्यक्तिगत निर्धारितियों के लिए आयकर विवरणी की कुल संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि पाई गई।

चार्ट 1.12: आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष-वार व्यक्तियों द्वारा दाखिल आयकर विवरणी की संख्या

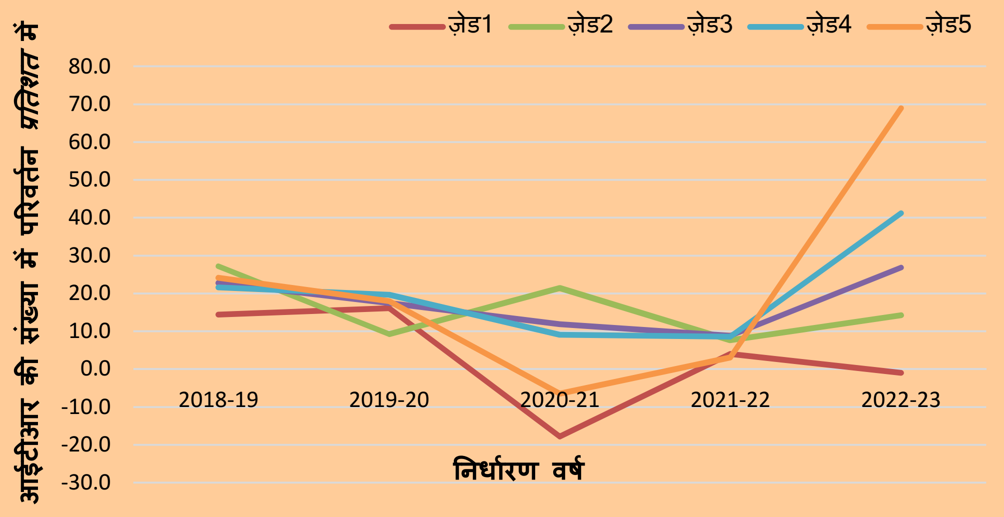

1.6.8 व्यक्ति की सकल कुल आय का आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्षवार रुझान

नीचे दी गई तालिका 1.19 में आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्षवार व्यक्तियों की समग्र सकल कुल आय तथा तत्कालीन पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों की तुलना में व्यक्तियों की सकल कुल आय के *प्रतिशत* में परिवर्तन का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.19: व्यक्ति की सकल कुल आय का आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्ष-वार रुझान (सकल कुल आय ₹ करोड़ में)

आय श्रेणी*	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन	सकल कुल आय	*प्रतिशत* में परिवर्तन
ज़ेड1	11,11,819	14.5	12,66,973	14.0	11,30,680	-10.8	11,99,626	6.1	12,21,421	1.8
ज़ेड2	10,02,382	27.4	10,95,075	9.2	13,13,787	20.0	14,06,639	7.1	16,15,385	14.8
ज़ेड3	8,91,399	23.2	10,50,480	17.8	11,75,806	11.9	12,92,494	9.9	16,61,864	28.6
ज़ेड4	3,02,846	20.2	3,58,159	18.3	3,90,928	9.1	4,21,792	7.9	6,08,832	44.3
ज़ेड5	1,06,737	27.4	1,43,613	34.5	1,35,934	-5.3	1,40,511	3.4	2,62,487	86.8
कुल	**34,15,183**	**21.2**	**39,14,300**	**14.6**	**41,47,135**	**5.9**	**44,61,063**	**7.6**	**53,69,988**	**20.4**

*ज़ेड1: सकल आय ₹ 5 लाख या उससे कम; जेड2: सकल आय ₹ 5 लाख से अधिक लेकिन ₹ 10 लाख या उससे कम; जेड3: सकल आय ₹ 10 लाख से अधिक लेकिन ₹ 50 लाख या उससे कम; जेड4: सकल आय ₹ 50 लाख से अधिक लेकिन ₹ 5 करोड़ या उससे कम; जेड5: सकल आय ₹ 5 करोड़ से अधिक

स्रोत: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

ऊपर दी गई तालिका 1.19 एवं नीचे दिए गए चार्ट 1.13 से यह देखा जा सकता है कि आय श्रेणी ज़ेड1 अर्थात ₹ '5 लाख एवं उससे कम की सकल कुल आय' एवं ज़ेड5 अर्थात ₹ 5 करोड़ से अधिक की सकल कुल आय' को छोड़कर व्यक्तिगत निर्धारितियों की सभी आय श्रेणियों के लिए सकल कुल आय में

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है। हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल सकल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 5 करोड़ एवं उससे अधिक की सकल कुल आय वाले व्यक्तिगत निर्धारितियों की सकल कुल आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

चार्ट 1.13: व्यक्ति की सकल कुल आय का आय श्रेणी एवं निर्धारण वर्षवार रुझान

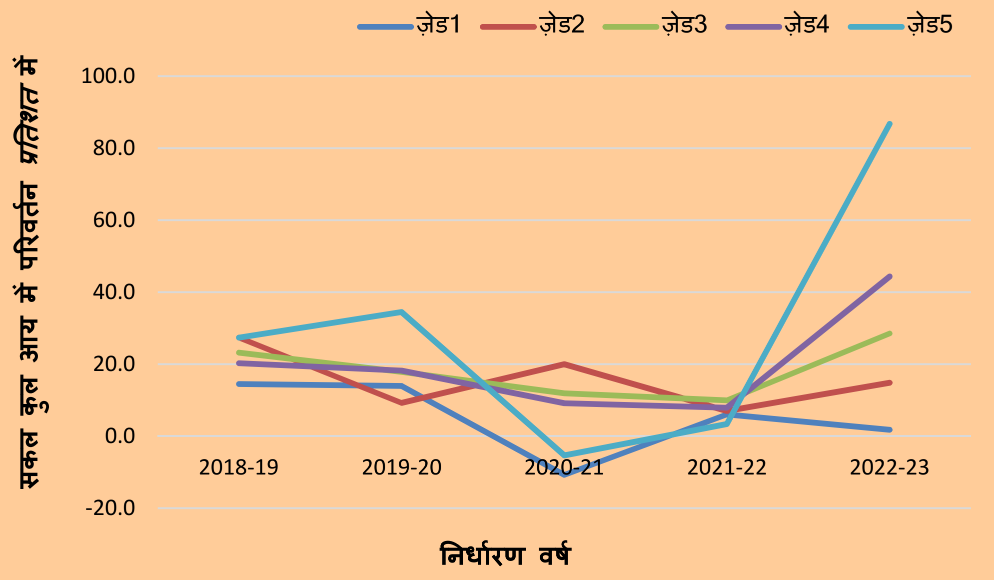

1.7 प्रत्यक्ष कराधान प्राप्तियों का बजट बनाना

1.7.1 यह बजट सरकार के दृष्टिकोण एवं प्रयोजन को प्रतिबिंबित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (कर राजस्व एवं अन्य राजस्व) शामिल होती हैं। बजट अनुमानों की वास्तविक आंकड़ों से तुलना, राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का सूचक है। अप्रत्याशित एवं यादृच्छिक बाहरी घटनाओं, पद्धतिगत अपर्याप्तताओं, या महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में अवास्तविक मान्यताओं के कारण वास्तविक आंकड़े अनुमान से भिन्न हो सकते हैं।

1.7.2 नीचे दी गई तालिका 1.20 में वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) एवं प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रह का विवरण दिखाया गया है।

तालिका 1.20: अनुमानित बजट, संशोधित अनुमान की तुलना में प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रह

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक और बजट अनुमान का अंतर	वास्तविक और संशोधित अनुमान का अंतर	बजट अनुमान के *प्रतिशत* के अनुसार अंतर	संशोधित अनुमान के *प्रतिशत* के अनुसार अंतर
							(₹ करोड़ में)
2018-19	11,50,000	12,00,000	11,37,718	(-)12,282	(-)62,282	(-)1.1	(-)5.2
2019-20	13,35,000	11,70,000	10,50,686	(-)2,84,314	(-)1,19,314	(-)21.3	(-)10.2
2020-21	13,19,000	9,05,000	9,47,174	(-)3,71,826	42,174	(-)28.2	4.7
2021-22	11,08,000	12,50,000	14,12,422	3,04,422	1,62,422	27.5	13.0
2022-23	14,20,000	16,50,000	16,63,686	2,43,686	13,686	17.2	0.8

स्रोत: बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान के आंकड़े संबंधित प्राप्ति बजट के अनुसार हैं, तथा वास्तविक आंकड़े संबंधित वित्त लेखाओं के अनुसार हैं।

1.7.3 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक संशोधित अनुमान एवं वास्तविक संग्रह के मध्य अंतर संशोधित अनुमान के (-)5.2 *प्रतिशत* से 13.0 *प्रतिशत* तक रहा। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों के बीच का अंतर संशोधित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ों के बीच के अंतर से अधिक था।

1.8 कर प्रोत्साहन का राजस्व पर प्रभाव

1.8.1 किसी भी कर कानून एवं उसके प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए राजस्व जुटाना है। जुटाया गया राजस्व मुख्य रूप से कर आधार एवं प्रभावी कर दर पर निर्भर करता है। इन दो कारकों का निर्धारक उपायों की एक श्रृंखला है, जिसमें विशेष कर दरें, छूट, कटौती, रियायतें, स्थगन एवं क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से "कर प्रोत्साहन या कर प्राथमिकताएँ" कहा जाता है। इन्हें कर व्यय भी कहा जाता है।

1.8.2 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम), अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात को बढ़ावा देने, संतुलित क्षेत्रीय विकास, अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करता है एवं व्यक्तियों द्वारा की गई बचत एवं परोपकार के लिए किए गए दान को प्रोत्साहित करता है। इनमें से

अधिकांश कर लाभ कॉर्पोरेट एवं कॉर्पोरेट से इतर करदाताओं दोनों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

1.8.3 केंद्रीय प्राप्ति बजट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल आयकर विवरणी के आधार पर कॉर्पोरेट एवं कॉर्पोरेट से इतर करदाताओं पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाया गया है। नीचे दी गई तालिका 1.21 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.21: कर प्रोत्साहन का राजस्व पर प्रभाव

वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहन का कुल राजस्व पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राजस्व प्रभाव *प्रतिशत* के अनुसार		
		सकल घरेलू उत्पाद	प्रत्यक्ष कर	सकल कर प्राप्तियां
2018-19	2,06,113	1.1	18.1	9.9
2019-20	2,57,582	1.3	24.5	12.8
2020-21	2,11,194	1.1	22.3	10.4
2021-22	2,74,477	1.2	19.4	10.1
2022-23	3,09,720	1.1	18.6	10.1

स्रोत: संबंधित प्राप्ति बजट.

नोट: कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के आंकड़े वित्त वर्ष 2022-23 (अनुमानित) को छोड़कर वास्तविक हैं। इनमें धर्मार्थ संस्थान शामिल नहीं हैं। हालाँकि, वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित 31 मार्च 2023 तक निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 2,07,675 इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल आयकर विवरणी के संबंध में धर्मार्थ संस्थानों द्वारा आवेदन की गई राशि ₹ 8,17,187 करोड़ थी।

1.8.4 जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.21 में दर्शाया गया है, कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव वित्त वर्ष 2018-19 में ₹ 2,06,113 करोड़ से 50.3 *प्रतिशत* बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 3,09,720 करोड़ हो गया। इसके अलावा, आगे वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में कर प्रोत्साहन में 12.8 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह पर कर प्रोत्साहन पर राजस्व प्रभाव के *प्रतिशत* में कमी आई। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 *प्रतिशत* था, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 1.2 *प्रतिशत* था।

1.8.5 जैसा कि वित्त वर्ष 2024-25 के प्राप्ति बजट में बताया गया है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संपूर्ण कंपनियों की प्रभावी कर दर[20] 23.26 *प्रतिशत*[21] थी, जबकि ₹ एक करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में सांविधिक कर दर 31.20 *प्रतिशत*, ₹ 10 करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 *प्रतिशत* एवं ₹ 10 करोड़ से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 *प्रतिशत* थी। इसके अलावा, जिन मौजूदा कंपनियों ने नई रियायती कर पद्धति[22] को चुना है, उनके लिए सांविधिक कर दर 25.17 *प्रतिशत* थी। इसके अलावा, जैसा कि प्राप्ति बजट में बताया गया है, प्रभावी कर दर में महत्वपूर्ण कमी मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि उच्च लाभ वाली बड़ी संख्या में कंपनियां धारा 115बीएए के अंतर्गत मौजूदा कंपनियों के लिए प्रदान की गई नई कर पद्धति में स्थानांतरित हो गई हैं।

1.8.6 जैसा कि वित्त वर्ष 2024-25 के प्राप्ति बजट में बताया गया है, वित्त वर्ष 2022-23 में कॉर्पोरेट से इतर निर्धारितियों को दिए गए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव[23] धारा 80सी के अंतर्गत कुछ निवेशों एवं भुगतानों के कारण कटौती (₹ 1,02,172 करोड़), धारा 87ए के अंतर्गत छूट (₹ 40,953 करोड़), धारा 80 सीसीडी के अंतर्गत नई पेंशन योजना में योगदान के कारण कटौती (₹ 12,813 करोड़), धारा 80डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (₹ 11,039 करोड़) एवं धारा 80पी के अंतर्गत सहकारी समितियों के लाभ के संबंध में कटौती (₹ 5,484 करोड़) आदि थे। वित्त वर्ष 2022-23 में कॉर्पोरेट निर्धारितियों को दिए गए प्रमुख कर प्रोत्साहनों में धारा 10एए के अंतर्गत एसईजेड इकाइयों को निर्यात लाभ में कटौती (₹ 27,846 करोड़), धारा 32 के अंतर्गत त्वरित मूल्यह्रास (₹ 24,235 करोड़), धारा 80-आईए के अंतर्गत बिजली के उत्पादन/संचरण एवं वितरण में उपक्रमों को कटौती (₹ 17,249 करोड़), धारा 80-आईए के अंतर्गत अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों को कटौती (₹ 9,267) एवं धारा 80आईई के अंतर्गत सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के मुनाफे में कटौती (₹ 4,362 करोड़), आदि शामिल हैं।

---

[20] कंपनियों के मामले में प्रभावी कर की दर कुल करों [अधिभार और शिक्षा उपकर सहित लेकिन लाभांश वितरण कर को छोड़कर] और करों से पहले कुल लाभ [पीबीटी] का अनुपात है और इसे *प्रतिशत* के रूप में व्यक्त किया जाता है।

[21] जो वित्त वर्ष 2020-21 में प्रभावी कर दर 22.81 *प्रतिशत* से अधिक है।

[22] आयकर अधिनियम की धारा 115 बीएए में कटौती और छूट के बिना कम कर दर का प्रावधान है

[23] अनुमानित राजस्व प्रभाव

1.9 कर ऋण - एकत्रित न की गई मांग

1.9.1 नीचे दी गई तालिका 1.22 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान लंबित मांग की बकाया राशि के रुझान को दर्शाती है।

तालिका 1.22: मांग की बकाया राशि

वित्तीय वर्ष	पूर्व के वर्षों की बकाया राशि की मांग	चालू वर्ष की मांग की बकाया राशि	मांग की कुल बकाया राशि	वसूली में कठिन # मांग के रूप में वर्गीकृत	वसूली में कठिन (प्रतिशत में) मांग के रूप में वर्गीकृत	शुद्ध संग्रहणीय मांग
						(₹ करोड़ में)
2018-19	9,46,190	2,87,888	12,34,078	12,19,485	98.82	14,593
2019-20	11,25,314	4,93,640	16,18,954	15,80,220	97.61	38,734
2020-**21**	14,63,126	31,166	14,94,292	14,68,013	98.24	26,279
2021-22	14,16,809	5,18,629	19,35,438	18,84,120	97.35	51,318
2022-23	19,73,408	3,01,034	22,74,442	22,05,046	96.95	69,396

स्रोत: आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं), संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च माह के लिए मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट (सीएपी-1)। # इसमें चालू वर्ष की मांग भी शामिल है।

1.9.2 यद्यपि वित्त वर्ष 2022-23 में मांग की कुल बकाया राशि ₹ 22,05,046 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2021-22 (₹19,35,438 करोड़) की तुलना में 17.5 *प्रतिशत* अधिक थी; शुद्ध संग्रहणीय मांग में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में 'वसूली में कठिन' के रूप में वर्गीकृत मांगों में मामूली कमी आई एवं यह कुल बकाया मांगों का 96.95 *प्रतिशत* रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 97.35 *प्रतिशत* था।

1.9.3 लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग द्वारा संबंधित वित्तीय वर्षों के मार्च माह के लिए तैयार की गई मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट में विभिन्न कारकों का विश्लेषण किया गया था, जैसे वसूली के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं/अपर्याप्त परिसंपत्तियां, परिसमापन/बीआईएफआर के अंतर्गत मामले, निर्धारितियों का पता न लग पाना, न्यायालयों/आईटीएटी/आईटी प्राधिकारियों द्वारा मांग पर रोक, टीडीएस/पूर्वदत्त करों का बेमेल होना, प्रविष्टियों के दोहराव

के कारण सुधार लंबित होना आदि, जिसके कारण मांगों की वसूली में कठिनाई का अनुमान लगाया गया।

नीचे दी गई तालिका 1.23 में निम्नलिखित कारकों के कारण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वसूली में कठिन मांग के रूप में वर्गीकृत राशि का विवरण दिया गया है:

तालिका 1.23: वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न कारक-वार बकाया मांगों की वसूली कठिन के रूप में वर्गीकृत किया गया

क्रम संख्या	विवरण	बकाया मांग (₹ करोड़ में)
1	वसूली के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं/अपर्याप्त परिसंपत्तियां (अपर्याप्तता की सीमा तक)	6,62,716
2	निर्धारितियों का पता न लग पाना (जहां तक इससे वसूली प्रभावित होने की संभावना है)	2,97,767
3	न्यायालयों/आईटीएटी द्वारा मांग पर रोक	2,36,336
4	आईटी अधिकारियों द्वारा मांग पर रोक	1,82,808
5	कोई अन्य कारण (जिसे अलग अनुलग्नक में निर्दिष्ट किया जाएगा) जिसके लिए मांग की वसूली को कठिन माना जाता है	1,80,515
6	टीडीएस/पूर्वदत्त कर का मिलान न होना	1,39,739
7	आईबीसी - 2016 के अंतर्गत एनसीएलटी के समक्ष लंबित मामले	1,00,822
8	प्रविष्टियों के दोहराव के कारण सुधार लंबित	77,953
9	बीआईएफआर को छोड़कर अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से कुर्क की गई परिसंपत्तियां	69,520
10	परिसमापन में कंपनियाँ	69,228
11	ऐसे मामले जहां विभाग अपील में हार गया है, लेकिन मांग अन्य वर्षों के लिए लंबित है या मामले को क्रियाशील रखने के लिए इसे उठाया जा रहा है क्योंकि विभाग आगे अपील की है	49,289
12	अन्य*	1,38,353
	कुल	**22,05,046**

स्रोत: मार्च 2023 माह के लिए मांग एवं संग्रह रिपोर्ट (सीएपी-1)।

* अन्य में 'ऐसी मांग जिसकी वसूली आयकर अधिकारियों द्वारा विचाराधीन निर्धारितियों की स्थगन याचिका के कारण नहीं की जा रही है', 'सुरक्षात्मक मांग', 'प्रविष्टियों के दोहराव के कारण लंबित सुधार' आदि शामिल हैं।

उपरोक्त तालिका 1.23 से यह देखा जा सकता है कि वसूली हेतु कठिन के रूप में वर्गीकृत बकाया मांग की राशि 'वसूली के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं/अपर्याप्त परिसंपत्तियां (अपर्याप्तता की सीमा तक)' (30.1 *प्रतिशत*) के लिए सबसे अधिक थी, जिसके बाद 'निर्धारिती का पता नहीं लगाया जा सका (जहां तक इससे वसूली प्रभावित होने की संभावना है)' (13.5 *प्रतिशत*)।

1.10 वाद प्रबंधन

1.10.1 एक पीड़ित करदाता को आयकर आयुक्त (अपील) के माध्यम से आयकर विभाग के साथ कर मांग पर विवाद करने का अधिकार है। आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों के विरुद्ध दूसरी अपील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में की जा सकती है, जो विधि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आईटीएटी के आदेश से उत्पन्न किसी भी कानूनी प्रश्न पर, करदाता क्रमशः उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। आयकर आयुक्त (अपील) तथा उसके बाद के आदेशों के विरुद्ध अपील करने का समान अधिकार विभाग के पास भी है। इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या 17/2019 दिनांक 8 अगस्त 2019 के माध्यम से विभाग द्वारा आईटीएटी के समक्ष अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा को ₹ 20 लाख से बढ़ाकर ₹ 50 लाख, उच्च न्यायालय के समक्ष ₹ 50 लाख से ₹ एक करोड़ एवं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक ₹ करोड़ से बढ़ाकर ₹ दो करोड़ कर दिया।

1.10.2. नीचे दी गई तालिका 1.24 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील मामलों के निपटान एवं लंबितता के रुझान को दर्शाती है:

तालिका 1.24: आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा अपील मामलों का निपटान					
वित्त वर्ष	**निपटान के लिए लंबित अपील के मामले**	**निपटाए गए अपील के मामले**	**लंबित अपील के मामले**	**लंबितता *प्रतिशत* में**	**अपील मामलों में अवरोधित राशि**
	(संख्या लाख में)				**(₹ करोड़ में)**
2018-19	4.62	1.23	3.39	73.4	5,62,806
2019-20	5.57	0.99	4.58	82.2	8,83,331
2020-21	4.85	0.26	4.59	94.6	24,64,610
2021-22	5.73	0.71	5.02	87.6	14,37,592
2022-23	6.51	1.21	5.30	81.4	16,53,320

स्रोत: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

1.10.3 आयकर आयुक्त (अपील) के पास लंबित अपीलों की संख्या वित्त वर्ष 2021-22 में 5.02 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 5.30 लाख हो गई। जबकि इन मामलों में अवरोधित हुई राशि वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 14.38 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 16.53 लाख करोड़ हो गई। हालांकि, लंबित मामलों का *प्रतिशत* वित्त वर्ष 2021-22 में 87.6 *प्रतिशत* से घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में 81.4 *प्रतिशत* हो गया।

1.10.4 नीचे दी गई तालिका 1.25 में वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक आईटीएटी/उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील मामलों की स्थिति दी गई है।

तालिका 1.25: आईटीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलें								
वित्तीय वर्ष	**आईटीएटी**		**उच्च न्यायालय**		**सर्वोच्च न्यायालय**		**कुल**	
	संख्या	**राशि**	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
								(₹ करोड़ में)
2018-19	92,205	लागू नही@	38,539	1,36,465	4,425	74,368#	1,35,169	2,10,833
2019-20	31,495	2,67,424	37,374	3,09,238	6,182	27,304	75,051	6,03,966
2020-21	26,111	2,70,039	31,971	2,75,329	5,567	25,274	63,649	5,70,642
2021-22	19,238	3,05,087	27,950	3,31,245	4,379	27,736	51,567	6,64,068
2022-23	21,805	2,89,565	32,510	3,88,803	4,330	39,663	58,645	7,18,031

स्रोत: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड;

@ विभाग एवं निर्धारितियों द्वारा आयकर अपील अधिकरणों में दायर अपीलों के संबंध में राशि उपलब्ध नहीं है।

निर्धारितियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर अपीलों के संबंध में राशि उपलब्ध नहीं है।

1.10.5 लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि आईटीएटी एवं उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी पिछले वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आईटीएटी के समक्ष लंबित मामलों में अवरोधित हुई राशि में कमी आई है। इसके अलावा, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में कुछ कमी आई, लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में उनमें अवरोधित हुई राशि में उल्लेखनीय वृद्धि (43 *प्रतिशत*) हुई। आईटीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या में 13.73 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में उनमें अवरोधित हुई राशि में 8.13 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.10.6 यद्यपि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के स्तर पर लंबित अपीलों की संख्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इन अपीलों से संबंधित अवरोधित हुई राशि से संबन्धित पत्राचार लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

1.11 कर का अपवंचन

1.11.1 सर्वेक्षण[24] एवं अन्वेषण तथा जब्ती[25] उन मुख्य साक्ष्य-संग्रह तंत्रों में से हैं जिनका उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां कर चोरी के अपवंचन में विश्वसनीय जानकारी आयकर विभाग के पास होती है। नीचे दी गई तालिका 1.26 में वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए अन्वेषण एवं जब्ती कार्यों व किए गए सर्वेक्षणों तथा स्वीकार की गई/पता लगाई गई अघोषित आय का विवरण दिखाया गया है।

---

[24] कर अपवंचन को रोकने में आयकर विभाग के लिए उपयोगी हो वाली किसी भी जानकारी को एकत्रित करने के लिए अधिनियम की धारा 133ए और 133बी के अंतर्गत सर्वेक्षण किया जाता है।

[25] किसी भी अघोषित आय या मूल्यवान वस्तु का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 132 के तहत अन्वेषण एवं अभिग्रहण किया जाता है।

तालिका 1.26: अन्वेषण एवं अभिग्रहण तथा सर्वेक्षण मामलों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	अन्वेषण समूहों की संख्या	अघोषित आय स्वीकार की गई (अन्वेषण एवं जब्ती में)	आयोजित सर्वेक्षणों की संख्या	अघोषित आय की पहचान (सर्वेक्षणों में)
2018-19	983	18,594	15,401	16,126
2019-20	984	10,370	12,720	22,244
2020-21	569	4,145	426	5,111
2021-22	686	5,432	1,046	5,135
2022-23	741	8,417	1,248	9,746

स्रोत: जांच शाखा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड;

1.11.2 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, अन्वेषण समूहों की संख्या में 8.0 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि अन्वेषण एवं जब्ती के दौरान स्वीकार की गई अघोषित आय में 55.0 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, एवं किए गए सर्वेक्षणों की संख्या में 19.3 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि सर्वेक्षण के दौरान पता चली अघोषित आय में वित्त वर्ष 2021-22 के संबंधित आंकड़ों की तुलना में 89.8 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता

1.12.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही अनुप्रयोग द्वारा मांगों/प्रतिदायों को सही ढंग से संसाधित किया जाता है। आयकर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1,37,351 मामलों की लेखापरीक्षा पूरी की, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 1,46,908 मामलों की लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 12,957 प्रमुख मामलों[26] में से, वित्त वर्ष 2022 में निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने 3,009 मामलों (23.2 *प्रतिशत*) पर कार्रवाई की, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 11,740 मामलों में से 2,537 मामलों (21.6 *प्रतिशत*) पर कार्रवाई की गई थी।

[26] दिनांक 21/07/2017 के निर्देश संख्या 6/2017 के अनुसार प्रमुख आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की मौद्रिक सीमा ₹ दो लाख से बढ़ाकर ₹ 10 लाख कर दी गई।

1.12.2 नीचे दी गई तालिका 1.27 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक पांच वर्ष की अवधि में उठाए गए, निपटाए गए एवं लंबित आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण को दर्शाती है|

तालिका 1.27: आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण

वित्त वर्ष	आदिशेष^		अतिरिक्त		निपटान		लंबित	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
								(₹ करोड़ में)
2018-19	25,408	12,602	16,975	3,147	11,847	4,334	30,536	11,415
2019-20	31,024	11,388	14,887	4,088	10,084	1,206	35,827	14,270
2020-21	36,054	14,038	11,173	7,262	8,957	2,946	38,270	18,354
2021-22	37,879	18,680	9,048	7,418	12,013	3,548	34,914	22,550
2022-23	35,316	22,507	11,649	12,436	12,210	4,475	34,755	30,469

स्रोत: आयकर निदेशालय (लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण);

^वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के मार्च को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही विवरण प्रस्तुत करने के बाद संबंधित सीएसआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद आंकड़े संशोधित किए गए।

1.12.3 उपरोक्त तालिका 1.27 से देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 34,755 मामले लंबित थे, जिनमें वित्त वर्ष 2021-22 में लंबित मामलों (34,914 मामले) की तुलना में 0.5 *प्रतिशत* की कमी है। हालांकि, लंबित मामलों में शामिल राशि वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 22,550 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 30,469 करोड़ हो गई, अर्थात 35.1 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। निर्धारण अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुसरण को मजबूत करने की आवश्यकता है।

1.13 कर प्रशासनिक प्रक्रियाएँ

1.13.1 फेसलेस मूल्यांकन योजना

करदाता एवं विभाग के बीच व्यक्तिगत संपर्क से बचने के लिए, जिसके कारण कर अधिकारियों की ओर से कुछ अवांछनीय व्यवहार किए जाते हैं, वर्ष 2019 में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के फेसलेस मूल्यांकन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार, जांच को निर्धारण इकाइयों को यादृच्छिक तरीके से आवंटित किया जाता है एवं निर्धारण अधिकारी के नाम, पदनाम या स्थान का खुलासा किए बिना, एक केंद्रीय प्रकोष्ठ

द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी किए जाते हैं। केंद्रीय प्रकोष्ठ करदाता एवं विभाग के बीच संपर्क का एकमात्र बिंदु है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा "फेसलेस मूल्यांकन योजना, 2019" के अंतर्गत अपनाए गए "फेसलेस मूल्यांकन" की शुरुआत के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2020-21 में आयकर विभाग के निर्धारण प्रभार एवं अन्य कार्यात्मक स्कन्ध का पुनर्गठन किया गया। आगे के विवरण ***परिशिष्ट-1.1*** में दिए गए हैं।

1.13.2 आयकर विभाग में कर प्रशासन प्रक्रिया में स्थायी खाता संख्या (पैन) का आवंटन; आयकर विवरणी दाखिल करना; आयकर विवरणी को संसाधित करना; आयकर विवरणी की संवीक्षा; गलतियों में सुधार; निर्धारण से बचने वाली आय; निर्धारण आदेशों में संशोधन**;** अपील प्रक्रिया; प्रतिदाय का निर्धारण; मांग का सृजन; करों का संग्रह; शास्ति एवं अभियोजन आदि शामिल हैं। ***परिशिष्ट-1.2*** एवं ***परिशिष्ट-1.3*** इन प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद एवं प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी के प्राधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में यह प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) संघ एवं राज्यों तथा किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में उन शक्तियों एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानून या उसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। संसद ने 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की संचित निधि में देय सभी प्राप्तियों का लेखा-परीक्षण करे तथा स्वयं की संतुष्टि करे कि इस संबंध में नियम एवं प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं उचित आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं एवं उनका समुचित रूप से पालन किया जा रहा है तथा इस प्रयोजन के लिए वह लेखाओं की जांच करे, जैसा वह उचित समझे तथा उसके आधार पर रिपोर्ट दे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2020 में प्राप्ति लेखापरीक्षा के लिए व्यापक रूपरेखा निर्धारित की गई है।

2.2 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का व्यापक ढांचा

2.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित के संबंध में प्रणालियों, नियमों एवं प्रक्रियाओं तथा उनकी प्रभावकारिता की जांच शामिल है:

क. कर विभाग द्वारा राजस्व का निर्धारण, संग्रहण एवं आवंटन

ख. संभावित कर निर्धारीतियों की पहचान, कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना, साथ ही कर चोरी का पता लगाना एवं रोकथाम करना;

ग. उचित तरीके से विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग, जिसमें शास्तियों का उद्ग्रहण एवं अभियोजन शुरू करना शामिल है;

घ. विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों की रक्षा के लिए समुचित कार्रवाई करना;

ङ. राजस्व प्रशासन को मजबूत करने या सुधारने के लिए शुरू किए गए कोई भी उपाय;

च. बकाया राशि, बकाया राशि के अभिलेखों का अनुरक्षण तथा बकाया राशि की वसूली के लिए की गई कार्रवाई;

छ. दावों का समुचित तत्परता से अनुसरण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इन्हें पर्याप्त औचित्य एवं उचित प्राधिकार के बिना छोड़ा या कम नहीं किया जाए।

2.2.2 उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमने वित्त वर्ष 2021-22 में आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा पूर्ण किए गए निर्धारणों की जांच की। इसके अलावा, पिछले वर्षों में पूर्ण किए गए कुछ निर्धारणों को भी लेखापरीक्षा जांच के लिए लिया गया।

2.2.3 आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारिती द्वारा दाखिल आयकर विवरणी के नमूने के संबंध में संवीक्षा निर्धारण करता है। आयकर विवरणी को आयकर विभाग द्वारा पहचाने गए एवं पूर्व-परिभाषित मापदंडों के आधार पर कंप्यूटर सहायता संवीक्षा चयन (सीएएसएस) के माध्यम से जांच के लिए चुना जाता है। इसके बाद इन मामलों की कटौतियों, हानियों, छूटों आदि के दावों के संबंध में बारीकी से जांच की जाती है, ताकि सही निर्धारण किया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों का अपवंचन नहीं हुआ है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अगस्त 2020 से, फेसलेस मूल्यांकन[27] योजना 2019 के अंतर्गत, पूर्व-निर्धारित भूमिकाओं के साथ विभिन्न इकाइयों (जिसे फेसलेस मूल्यांकन (प्रथम संशोधन) योजना, 2021 के रूप में संशोधित किया गया है) जैसे राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (एनईएसी), क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (आरईएसी), मूल्यांकन यूनिट (एयू), सत्यापन यूनिट (वीयू), तकनीकी यूनिट (टीयू) एवं समीक्षा यूनिट (आरयू), को स्थापित किया है। फेसलेस मूल्यांकन योजना का विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

[27] "फेसलेस मूल्यांकन" को सीबीडीटी द्वारा "फेसलेस मूल्यांकन योजना, 2019" के तहत 13 अगस्त 2020 को अपनाया गया था, इसके लिए ई-मूल्यांकन योजना, 2019 में संशोधन किया गया था, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 12 सितंबर 2019 की अधिसूचना के माध्यम से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए) के कार्यान्वयन के बाद, आयकर विभाग प्रणाली कर की गणना, अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ब्याज की गणना, समय अवरोधन जांच आदि का कार्य करती है। संवीक्षा निर्धारण, सुधार एवं अपील प्रभाव आदेशों के मामले में, फेसलेस मूल्यांकन के कार्यान्वयन के बाद भी, आदेशों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रणाली में आंकड़े डाले जाते हैं। टीडीएस/टीसीएस, अग्रिम कर आदि के संबंध में करदाता द्वारा किए गए भुगतान क्रमशः फॉर्म 26एएस एप्लीकेशन एवं ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) एप्लीकेशन से स्वतः भर दिए जाते हैं।

फेसलेस मूल्यांकन के अंतर्गत, निर्धारिती को साक्ष्य के साथ दावे (यदि कोई हो) को प्रमाणित करने का अवसर दिया जाता है, जिसके विफल होने पर राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (एनईएसी) उचित समझे जाने पर निर्धारण करता है। संवीक्षा मामलों के संबंध में निर्धारण आदेशों को संसाधित करने, पूरा करने एवं सुधारने का कार्य आईटीबीए में एनईएसी द्वारा किया जाता है।

संवीक्षा निर्धारण मामलों की जांच करते हुए, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार कुछ प्रकार की अनियमितताओं की ओर इंगित किए जाने के बावजूद, कर अधिकारियों द्वारा किए गए संवीक्षा निर्धारण के दौरान कर कानूनों एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशों एवं निर्देशों का पालन करने में ये अनियमितताएं जारी हैं, जिससे आईटीबीए के कार्यान्वयन के बावजूद कर प्रशासन की दक्षता पर प्रश्न उठ रहे हैं। इनमें से कुछ मामलों पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

2.2.4 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 681.50 लाख आयकर विवरणी[28] दाखिल किए गए, जिनमें से आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों में 2,15,759 संवीक्षा निर्धारण पूरे किए एवं आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा के लिए 2,03,334 निर्धारण मामले प्रस्तुत किए। इसमें 2021-22 से पहले के वित्तीय वर्षों के लिए पूर्ण किए गए संवीक्षा निर्धारण के 1,58,092 मामलों में से 64,956 मामले जोड़े गए। वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षित कुल 2,68,290 संवीक्षा निर्धारणों में, लेखापरीक्षा ने 15,740 निर्धारण आदेशों में 17,317 गलतियाँ पायी गई, जिनका कर प्रभाव

[28] वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दाखिल आयकर विवरणी की कुल संख्या 681.50 लाख थी।

₹ 64,463 करोड़ था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए आकलनों में त्रुटियों की 5.87 *प्रतिशत* थी। लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित संवीक्षा निर्धारण के मामलों में से आयकर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा ने 2,385 मामलों की जांच की थी। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित/लेखापरीक्षित न किए गए मामलों को मंत्रालय द्वारा जांच के लिए लिया जा सकता है, जो संवीक्षा निर्धारण के लिए अधिक मामलों को लेने के लिए आयकर विभाग की क्षमता की भी जांच कर सकता है। निर्धारण में त्रुटियों की राज्यवार घटना ***परिशिष्ट 2.1*** में दी गई है।

2.2.5 इसके अलावा, तालिका 2.1 उन दस राज्यों में त्रुटियों की घटनाओं को दर्शाती है जहां वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा में 10,000 से अधिक निर्धारणों की जांच की गई थी

तालिका 2.1: उन राज्यों का विवरण जहां त्रुटिपूर्ण निर्धारणों की सर्वाधिक घटनाएं हुईं, जहां 10,000 से अधिक निर्धारणों की जांच की गई

राज्य	निर्धारण (संख्या में)			लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटिपूर्ण निर्धारण का *प्रतिशत*
	2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में पूरा किया गया	2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा में जाँच की गई	त्रुटि के साथ		
आंध्र प्रदेश	23,193	14,852	1,727	2,117.56	11.63
दिल्ली	16,800	16,599	1,414	7,182.07	8.51
मध्य प्रदेश	12,439	10,073	856	2,058.02	8.50
तमिलनाडु	39,329	27,865	1,872	4,696.72	6.72
कर्नाटक	12,881	10,171	570	5,548.06	5.60
गुजरात	34,742	28,525	1,483	5,210.70	5.20
राजस्थान	24,124	12,605	634	1,234.79	5.03
पश्चिम बंगाल	35,989	33,574	1,511	5,830.51	4.50
महाराष्ट्र	63,653	32,352	1,364	18,761.30	4.22
उत्तर प्रदेश	26,543	26,151	919	4,875.20	3.51

आंध्र प्रदेश (11.63 *प्रतिशत*) में त्रुटिपूर्ण निर्धारणों का *प्रतिशत* सबसे अधिक है, उसके बाद दिल्ली (8.51 *प्रतिशत*) का स्थान है। आयकर विभाग को निर्धारणों में लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई त्रुटियों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

2.2.6 तालिका 2.2 में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में चयनित निर्धारण मामलों में पाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश दिया गया है।

तालिका 2.2: चयनित निर्धारणों में से लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कर-वार विवरण

श्रेणी	**अभ्युक्तियों की संख्या**	**कर प्रभाव (कर प्रभाव) (₹ करोड़ में)**
निगम कर (सीटी)	5,831	41,774.09
आयकर (आईटी)	11,455	22,622.68
अन्य प्रत्यक्ष कर (ओडीटी)	31	66.22
कुल	**17,317**	**64,462.99**

2.2.7 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में चयनित निर्धारण मामलों में ₹ 64,462.99 करोड़ के कर प्रभाव वाली 17,317 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से ₹ 11,119.36 करोड़ के कर प्रभाव वाली 1,852 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां[29] अधिक निर्धारण से संबंधित थीं, एवं ₹ 53,343.63 करोड़ के कर प्रभाव वाली 15,465 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां[30] कम निर्धारण से संबंधित थीं।

2.2.8 नीचे दी गई तालिका 2.3 में निगम कर एवं आयकर के संबंध में कम निर्धारण से संबंधित अभ्युक्तियों का श्रेणीवार विवरण दर्शाया गया है। ***परिशिष्ट 2.2*** में इन श्रेणियों के अंतर्गत उप-श्रेणियों के संबंध में विवरण दर्शाया गया है।

[29] इसमें संपत्ति कर से संबंधित ₹ 1.00 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित एक लेखापरीक्षा अभ्युक्ति शामिल है

[30] इसमें संपत्ति कर से संबंधित ₹ 65.22 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 30 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं।

तालिका 2.3: निगम कर एवं आयकर के संबंध में कम निर्धारण से संबंधित अभ्युक्तियों का श्रेणी-वार विवरण

श्रेणी	अभ्युक्तियों की संख्या	कर प्रभाव (कर प्रभाव) (₹ करोड़ में)
निर्धारण की गुणवत्ता	8,159	19,161.59
कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का क्रियान्वयन	2,319	16,840.05
चूक के कारण आय का निर्धारण से बचना	1,100	5,486.07
अन्य	3,857	11,790.69
कुल	**15,435**	**53,278.41**

2.3 निगम कर एवं आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में लगातार एवं व्यापक अनियमितताएं

हम वर्ष-दर-वर्ष अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निगम एवं आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में विभिन्न अनियमितताओं की ओर इंगित करते रहे हैं एवं इनमें से कुछ अनियमितताएं लगातार एवं व्यापक प्रतीत होती हैं, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित अनियमितताएं शामिल हैं:

(i) मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि आदि की अनुमति देने में अनियमितताएं;

(ii) व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति;

(iii) अत्यधिक या अनियमित प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज; एवं

(iv) विशेष प्रावधानों के अंतर्गत गलतियों में एमएटी/एएमटी/टन भार कर आदि शामिल हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार बताए जाने के बाद भी एवं यहां तक कि आईटीबीए के कार्यान्वयन के बाद भी अनियमितताओं, गलत अनुमति, अधिक या अनियमित प्रतिदाय तथा गलतियों की पुनरावृत्ति होना, विशेष रूप से आईटीबीए के कार्यान्वयन के बाद ऐसी दोहराव वाली गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणालियों में नियंत्रण की कमी का संकेत है। इसमें प्रभावी निगरानी तथा राजस्व के अपव्यय के लिए जिम्मेदार प्रणालीगत एवं संरचनात्मक कमजोरियों से निपटने के लिए प्रभावी संस्थागत तंत्र के अभाव की ओर भी

इशारा किया गया है। पिछली अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[31] में शामिल उच्च-मूल्य वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विश्लेषण अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक मंत्रालय को जारी की गई उच्च-मूल्य वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के साथ किया गया, ताकि गलतियों की निरंतरता एवं व्यापकता की जांच की जा सके। उपर्युक्त श्रेणियों में रिपोर्ट की गई ऐसी अनियमितताओं की रूपरेखा पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.3.1 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के क्रियान्वयन-मूल्यह्रास, व्यावसायिक हानि, पूंजीगत हानि आदि की अनुमति देने में अनियमितताएं

हमने गलत अनुमति व व्यवसायिक हानि के व्यतिरेक, पूंजीगत हानि तथा अनवशोषित मूल्यह्रास, मूल्यह्रास की गलत अनुमति आदि से संबंधित अनियमितताएं पाईं। इस प्रकार की गलतियों में निम्नलिखित शामिल थे:

(i) अग्रसारित व्यावसायिक घाटे एवं अनवशोषित मूल्यह्रास के व्यतिरेक की गलत अनुमति जहां पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्षों के संबंध में कोई हानि नहीं हुई,

(ii) गलत आंकड़े अपनाना, जैसे पिछले वर्षों के व्यावसायिक हानि को चालू कर निर्धारण वर्ष में हानि के रूप में अपनाना,

(iii) व्यावसायिक हानि को आगे ले जाने की गलत अनुमति, यद्यपि उक्त निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि के बाद दाखिल किया गया था, आदि।

ऐसी अनियमितताएं निर्धारण अभिलेखों में सामंजस्य न होने के कारण हुईं जो यह दर्शाता है कि निर्धारण अधिकारी उचित सावधानी बरतने एवं कानून का अनुपालन करने में विफल रहे हैं। पिछले तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामने आई 2019-20 से 2022-23 तक मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि आदि की अनुमति में पाई गई गलतियों के साथ-साथ चालू वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2022-23) के निष्कर्षों को नीचे तालिका 2.4 में संक्षेपित किया गया है:

---

[31] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपालना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (केंद्र सरकार - राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) 2020 का 11 (मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए), 2021 का 8 (मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए), 2022 का 29 (मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए) और 2024 का 13 (मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए)।

तालिका 2.4: मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि आदि की अनुमति देने में पाई गई गलतियाँ **(₹ करोड़ में)**

श्रेणी	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2020		मार्च 2021		मार्च 2022		मार्च 2023	
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	87[32]	1,017.28	54[33]	392.05	53[34]	1,134.44	41[35]	1,061.86
आईटी	11[36]	27.83	3[37]	2.32	4[38]	38.93	9[39]	18.64

वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान, मंत्रालय को जारी किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के कुल कर प्रभाव के संबंध में निगम एवं आयकर के संबंध में अनुपालन न होने से संबंधित राज्यों में सबसे अधिक पाया गया, जैसा कि नीचे तालिका 2.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि आदि की अनुमति देने में कुल कर प्रभाव की गलतियों की उच्चतम घटना वाले राज्य

वर्ष	राज्य (*प्रतिशत*)	
	निगम कर	आयकर
2019-20	कर्नाटक (30.3) महाराष्ट्र (26.19)	कर्नाटक (44.25)
2020-21	महाराष्ट्र (28.8) दिल्ली (25.3)	गुजरात (94.12)
2021-22	महाराष्ट्र (77.85) दिल्ली (9.17)	आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना (57.38) ओडिशा (33.90)
2022-23	महाराष्ट्र (43.16) तमिलनाडु (22.17)	गुजरात (52.31) पश्चिम बंगाल (23.34)

निगम कर के लिए, 2021-22 के दौरान, ये अनियमितताएं महाराष्ट्र (77.85 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाई गईं, उसके बाद पश्चिम बंगाल (9.17 *प्रतिशत*) का स्थान रहा, जबकि 2022-23 के दौरान, ये अनियमितताएं

---

[32] आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

[33] गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और हरियाणा।

[34] असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

[35] आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.

[36] दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा और तमिलनाडु

[37] असम और गुजरात।

[38] आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ओडिशा, असम और कर्नाटक।

[39] गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।

महाराष्ट्र (43.16 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाई गईं, उसके बाद तमिलनाडु (22.17 *प्रतिशत*) का स्थान रहा।

आयकर के लिए, 2021-22 के दौरान, ये अनियमितताएं आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (57.38 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाई गईं, इसके बाद ओडिशा (33.90 *प्रतिशत*) का स्थान रहा, जबकि 2022-23 के दौरान, ये अनियमितताएं गुजरात (52.31 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाई गईं, उसके बाद पश्चिम बंगाल (23.34 *प्रतिशत*) का स्थान रहा।

2.3.2 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का क्रियान्वयन - व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति

हमने व्यवसायिक व्यय के अयोग्य दावों, जैसे पूंजीगत व्यय, अवैतनिक दावे एवं अनिर्धारित देयता के रूप में माने जाने वाले प्रावधानों आदि की गलत अनुमति से संबंधित अनियमितताएं पाईं। पिछले तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामने आई 2019-20 से 2022-23 के दौरान व्यय की गलत अनुमति में गलतियों के साथ-साथ चालू वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2022-23) के निष्कर्षों को नीचे तालिका 2.6 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.6: व्यावसायिक व्यय की अनुमति में पाई गई गलतियाँ (₹ करोड़ में)

श्रेणी	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2020		मार्च 2021		मार्च 2022		मार्च 2023	
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	40[40]	187.75	49[41]	617.86	40[42]	626.14	16[43]	118.29
आईटी	शून्य	शून्य	7[44]	9.33	8[45]	13.40	9[46]	14.08

[40] आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

[41] गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश।

[42] गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश

[43] गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, नई दिल्ली और ओडिशा।

[44] *पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड और असम*

[45] *पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड और असम।*

[46] असम, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान, कॉर्पोरेट एवं आयकर के संबंध में अनुपालन न होने से संबंधित राज्यों में सबसे अधिक पाया गया, जैसा कि नीचे तालिका 2.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: व्यवसायिक व्यय की अनुमति में कुल कर प्रभाव में गलतियों की सबसे अधिक घटना वाले राज्य

वर्ष	**राज्य (*प्रतिशत*)**	
	निगम कर	**आयकर**
2019-20	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (32.3) दिल्ली (20.3)	शून्य
2020-21	महाराष्ट्र (41.1) पश्चिम बंगाल (28.2)	महाराष्ट्र (65.3) पंजाब (17.2)
2021-22	महाराष्ट्र (49.61) तमिलनाडु (34.17)	तमिलनाडु (24.20) केरल (23.32)
2022-23	महाराष्ट्र (59.16) ओडिशा (15.03)	ओडिशा (36.64) गोवा (25.52)

निगम कर के लिए, 2021-22 के दौरान महाराष्ट्र (49.61 *प्रतिशत*) में सबसे अनियमितताएं अधिक थीं, उसके बाद तमिलनाडु (34.17 *प्रतिशत*) का स्थान था, जबकि 2022-23 के दौरान महाराष्ट्र (59.16 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक अनियमितताएं थीं, उसके बाद ओडिशा (15.03 *प्रतिशत*) का स्थान था।

आयकर के लिए, 2021-22 में इस संबंध में अनियमितताएं सबसे अधिक तमिलनाडु (24.20 *प्रतिशत*) में पाई गईं, उसके बाद केरल (23.32 *प्रतिशत*) का स्थान रहा, जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान ये अनियमितताएं ओडिशा (36.64 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक पाई गईं, उसके बाद गोवा (25.52 *प्रतिशत*) का स्थान रहा।

2.3.3 निर्धारण की गुणवत्ता-अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने अधिक या अनियमित प्रतिदाय या प्रतिदाय पर ब्याज से उत्पन्न अनियमितताओं को पाया, जो गणना संबंधी त्रुटियों, पहले से जारी/समायोजित प्रतिदाय पर विचार न करने, प्रतिदाय पर ब्याज की अधिक गणना आदि के कारण हुई। पिछले तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामने आई वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक इस श्रेणी में पाई गई गलतियों के

साथ-साथ चालू वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2022-23) के निष्कर्षों को नीचे तालिका 2.8 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.8: अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/ प्तिदाय पर ब्याज (₹ करोड़ में)

श्रेणी	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2020		मार्च 2021		मार्च 2022		मार्च 2023	
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	6[47]	24.08	1[48]	7.36	5[49]	6.89	6[50]	17.14
आईटी	शून्य	शून्य	2[51]	5.28	1[52]	0.29	1[53]	41.11

वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान, निगम कर एवं आयकर का संबंधित राज्यों में गैर-अनुपालन सबसे अधिक पाया गया, जैसा कि नीचे तालिका 2.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: कुल कर प्रभाव के अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज की उच्चतम घटना वाले राज्य

वर्ष	राज्य (*प्रतिशत*)	
	निगम कर	आयकर
2019-20	कर्नाटक (56) महाराष्ट्र (32.3)	शून्य
2020-21	दिल्ली (100)	दिल्ली (87.3)
2021-22	महाराष्ट्र (71.52) दिल्ली (20.83)	पश्चिम बंगाल (100)
2022-23	दिल्ली (76.76) तमिलनाडु (14.36)	ओडिशा (100)

2022-23 के दौरान निगम कर के मामले में अनियमितताएं दिल्ली (76.76 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक थीं, इसके बाद तमिलनाडु (14.36 *प्रतिशत*) का स्थान था। 2022-23 के दौरान आयकर के संबंध में अनियमितताएं ओडिशा (100 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक थीं।

47 *महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल।*

48 *दिल्ली*

49 महाराष्ट्र, नई दिल्ली और तमिलनाडु

50 महाराष्ट्र, नई दिल्ली और तमिलनाडु

51 दिल्ली और महाराष्ट्र

52 पश्चिम बंगाल

53 ओडिशा

2.3.4 चूक के कारण आय का निर्धारण से बचना- विशेष प्रावधानों के अंतर्गत गलतियों में शामिल हैं एमएटी/एएमटी[54]/टन भार कर आदि।

हमने अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर लगाने में गलतियों से संबंधित अनियमितताएं पाईं, जो निम्नलिखित थीं:

(i) बही लाभ की गणना में गलतियाँ,

(ii) बही लाभ की गणना के लिए सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत अस्वीकृत व्यय पर विचार न करना,

(iii) बही लाभ की गणना के लिए निर्दिष्ट व्यय पर विचार न करना,

(iv) विशेष प्रावधानों के बजाय सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत लगाया गया कर, आदि।

पिछले तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामने आई 2019-20 से 2022-23 तक अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत पाई गई गलतियों के साथ-साथ चालू वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2022-23) के निष्कर्षों को नीचे दी गई तालिका 2.10 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.10: एमएटी/एएमटी/टन भार कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत गलतियाँ

(₹ करोड़ में))

श्रेणी	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट							
	मार्च 2020		मार्च 2021		मार्च 2022		मार्च 2023	
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	8[55]	234.18	10[56]	70.18	16[57]	107.76	5[58]	605.36
आईटी	0	0	2[59]	5.36	2[60]	2.96	शून्य	शून्य

[54] एमएटी का अर्थ है न्यूनतम प्रत्यावर्ती कर और एएमटी का अर्थ है प्रत्यावर्ती न्यूनतम कर । एमएटी कंपनियों के लिए लागू है, जबकि एएमटी अन्य सभी करदाताओं के लिए लागू है।

[55] दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।

[56] महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली।

[57] तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

[58] महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु।

[59] कर्नाटक

[60] पंजाब और असम।

वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान, निगम और आयकर के संबंध में इस लेखे पर अनुपालन न होने से संबंधित राज्यों में सबसे अधिक पाया गया, जैसा कि नीचे तालिका 2.11 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.11: एमएटी/एएमटी/टन भार कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कुल कर प्रभाव में गलतियों की उच्चतम घटना वाले राज्य।

वर्ष	**राज्य (*प्रतिशत*)**	
	निगम कर	**आयकर**
2019-20	दिल्ली (92.4)	शून्य
2020-21	महाराष्ट्र (54.5)	कर्नाटक (100)
2021-22	तमिलनाडु (41.60) महाराष्ट्र (39.26)	पंजाब (92.84)
2022-23	महाराष्ट्र (79.99) तमिलनाडु (16.09)	शून्य

वर्ष 2021-22 में, निगम कर के संबंध में ये अनियमितताएं सबसे अधिक तमिलनाडु (41.60 *प्रतिशत*) में थीं, इसके बाद महाराष्ट्र (39.26 *प्रतिशत*) का स्थान था और आयकर के संबंध में ये अनियमितताएं पंजाब (92.84 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक थीं। वर्ष 2022-23 के दौरान निगम कर के संबंध में ये अनियमितताएं महाराष्ट्र (79.99 *प्रतिशत*) में सबसे अधिक थीं, इसके बाद तमिलनाडु (16.09 *प्रतिशत*) का स्थान था।

निष्कर्ष और संस्तुतियाँ:

कर कानूनों और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशों एवं निर्देशों का अनुपालन न करना कर प्रशासनात्मक दक्षता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों में से एक इसे बेहतर बनाने के लिए, निर्धारण के सभी चरणों में कुशल प्रसंस्करण और बेहतर अनुपालन के लिए विभागीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं को पिछले वर्षों में कम्प्यूटरीकृत किया गया है। आयकर विभाग पूर्व-निर्धारित मापदंडों के आधार पर कम्प्यूटर सहायता प्राप्त जांच चयन (सीएएसएस) के माध्यम से मामलों का चयन करता है, ताकि निर्धारण अधिकारी विस्तृत जांच कर सके। हालांकि, जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण से देखा जा सकता है, उपरोक्त क्षेत्रों में अनुपालन न करने का जोखिम अभी भी विद्यमान है, जैसा कि समय के साथ इसी प्रकार की अनियमितताओं के जारी रहने से संकेत मिलता है, बावजूद इसके कि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष-दर-वर्ष इन पर ध्यान दिलाया जाता रहा है।

i) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समान या एक जैसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए आईटी प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने हेतु हाल ही में क्रियान्वित किए गए परिवर्तनों की प्रभावशीलता का आकलन करने की आवश्यकता की समीक्षा करने पर विचार करे।

ii) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रणालीगत और संरचनात्मक कमजोरियों तथा राजस्व व्यय के जोखिम (यदि कोई हो) की पहचान करने के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र की निगरानी पर विचार करे।

iii) विशेष रूप से आईटीबीए के कार्यान्वयन के बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणाली में उचित नियंत्रण स्थापित करने पर विचार करे।

2.4 लेखापरीक्षा उत्पाद एवं लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.4.1 हम लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों में लेखापरीक्षित संस्थाओं से प्रतिक्रियाएं प्राप्त करते हैं। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2020 के विनियमन 136[61] के प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा के समापन पर, हम टिप्पणियों के लिए आईटीडी को स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) जारी करते हैं।

2.4.2 नीचे दी गई तालिका 2.12 वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जारी एलएआर में शामिल अभ्युक्तियों की संख्या, उन पर प्राप्त उत्तर और स्वीकार की गई अभ्युक्तियों (संबंधित वित्त वर्ष के 31 मार्च तक) की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 2.12: स्थानीय लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

वित्त वर्ष	किया गया अवलोकन	प्राप्त उत्तर		प्राप्त न हुए उत्तर	स्वीकृत अभ्युक्तियों का *प्रतिशत*	प्राप्त न हुए उत्तरों का *प्रतिशत*
		स्वीकृत अभ्युक्तियां	अस्वीकृत अभ्युक्तियां			
2020-21	11,066	1,931	1,659	7,476	55.60	67.08
2021-22	10,708	1,200	1,677	7,831	41.71	73.20
2022-23	17,317	3,640[62]	2,017	11,660	64.35	67.33

[61] लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 का पूर्ववर्ती विनियम 193

[62] 2,432 अभ्युक्तियां स्वीकार की गईं और सुधारात्मक कार्रवाई की गई; 1,208 अभ्युक्तियां स्वीकार की गईं लेकिन सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, प्राप्त न हुए उत्तरों का *प्रतिशत* पिछले वित्त वर्ष के 67.08 *प्रतिशत* से बढ़कर 73.20 *प्रतिशत* हो गया है, जो बाद में चालू वित्त वर्ष के दौरान सुधरकर 67.33 *प्रतिशत* हो गया है।

2.4.3 नीचे दी गई तालिका 2.13 लंबित अभ्युक्तियों की स्थिति दर्शाती है:

तालिका 2.13: लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण								(₹ करोड़ में)
अवधि	**सीटी**		**आईटी**		**ओडीटी**		**कुल**	
	सं.	**कर प्रभाव**	**सं.**	**कर प्रभाव**	**सं.**	**कर प्रभाव**	**सं.**	**कर प्रभाव**
मार्च 2021 तक	20,602	1,10,541.17	18,492	23,196.01	973	91.14	40,067	1,33,828.32
मार्च 2022	3,509	29,489.88	4,328	11,428.93	18	7.86	7,855	40,926.66
मार्च 2023	4,205	33,649.36	7,210	20,014.05	15	65.79	11,430	53,729.20
कुल	**28,316**	**1,73,680.41**	**30,030**	**54,638.98**	**1,006**	**164.79**	**59,352**	**2,28,484.18**

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तरों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2023 तक 59,352 मामले एकत्रित हो गए, जिनसे ₹ 2,28,484.18 करोड़ का राजस्व प्रभाव होगा।

लेखापरीक्षा एवं लेखा (संशोधन), 2020 के विनियमनों के अध्याय 12[63] में लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यापक रूपरेखा निर्धारित की गई है, तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और लेखापरीक्षा द्वारा संप्रेषित सिफारिशों पर पर्याप्त, रचनात्मक और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना और लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना की गई है। लेखापरीक्षा को उत्तर निर्धारित अवधि में भेजे जाने को

---

63 विनियमन 141. लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा योग्य संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और सिफारिशों के अभिलेख रखना और सरकार द्वारा पर्याप्त निगरानी करना।
विनियमन 143. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रणालीगत दोषों या उच्च जोखिमों पर अनुवर्ती कार्रवाई।
विनियमन 144. विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना।
विनियमन 145. लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना और उनका गठन।
विनियमन 149. पीएसी को प्रस्तुत करने के लिए की गई कार्रवाई का नोट तैयार करना।
विनियमन 150. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा पीएसी/सीओपीयू की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के नोट और प्रतिक्रियाओं की जांच।
विनियमन 151. समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं के लिए सरकार का कर्तव्य।

सुनिश्चित करने के लिए विभाग के प्रयास संतोषजनक नहीं रहे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर समय पर कार्रवाई की जाए तथा लेखापरीक्षा को उत्तर दिया जाए, ताकि इन मामलों में राजस्व के हितों की रक्षा के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए समय समाप्त होने के जोखिम से बचा जा सके।

2.4.4 हम विनियम 137 से 139[64] के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा में पाए गए महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य के मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले मंत्रालय को टिप्पणियों के लिए भेजते हैं। हम मंत्रालय को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाने से पहले उनको जारी किए गए मामलों पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए छः सप्ताह का समय देते हैं। हमने इस प्रतिवेदन के अध्याय III और IV में ₹ 7,929.76 करोड़ के कर प्रभाव वाले 481 उच्च-मूल्य मामलों को शामिल किया है, जिनमें से मार्च 2025 तक ₹ 6,526.27 करोड़ के कर प्रभाव वाले 414 मामलों के लिए उत्तर प्राप्त हुए, जिनमें से मंत्रालय/आयकर विभाग ने 238 मामलों[65] (57.49 *प्रतिशत*) को स्वीकार किया, जिनका कर प्रभाव ₹ 4,271.94 करोड़ (65.46 *प्रतिशत*) था, जबकि इसने ₹ 592.63 करोड़ के कर प्रभाव वाले छः मामलों[66] को स्वीकार नहीं किया। शेष 67 मामलों, जिनका कर प्रभाव ₹ 1,402.99 करोड़ था, के उत्तर प्राप्त नहीं हुए (मार्च 2025)।

तथापि, 481 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, विभाग ने 411 मामलों (85.45 *प्रतिशत*) में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है/की है, जिसका कर प्रभाव ₹ 6,419.43 करोड़ (80.96 *प्रतिशत*) है। नीचे दी गई तालिका 2.14 में उच्च मूल्य वाले मामलों का श्रेणी-वार विवरण दिया गया है तथा उप-श्रेणीवार विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

---

[64] पूर्व विनियम 205 से 209, वर्तमान
विनियम 137. सरकार को ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ ड्राफ्ट पैराग्राफ़ संप्रेषित करना तथा उस पर चर्चा करना।
विनियम 138. सरकार द्वारा ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ ड्राफ्ट पैराग्राफ़ का उत्तर देना।
विनियम 139. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए अंतिम पैराग्राफ़ों का संप्रेषण

[65] आईटीडी - 238 मामले

[66] आईटीडी - छः मामले

तालिका 2.14 उच्च मूल्य वाले मामलों की त्रुटियों का श्रेणी-वार विवरण (₹ करोड़ में)

श्रेणी	सीटी		आईटी		कुल	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
निर्धारण की गुणवत्ता	124	2,507.68	106	1,136.17	230	3,643.85
कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का क्रियान्वयन	85	1,490.63	29	62.42	114	1,553.05
चूक के कारण आय का निर्धारण से बचना	38	1,049.27	21	77.83	59	1,127.10
कर/ब्याज की अधिक वसूली	40	1,204.48	38	400.73	78	1,605.21
कुल	**287**	**6,252.06**	**194**	**1,677.15**	**481**	**7,929.21**

2.4.5 इस प्रतिवेदन के अध्याय III और IV में क्रमशः निगम कर और आयकर के निर्धारण में त्रुटियों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

2.5 लेखापरीक्षा प्रभाव - लेखापरीक्षा के मामलों के आधार पर संशोधन/ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश

हम आयकर अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशों में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप होने वाले लेखापरीक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं, जो हमारी अभ्युक्तियों/संस्तुतियों के आधार पर जारी किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, धारा 281बी के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा एक निर्धारिती की संपत्ति की कुर्की पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा- 2023 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 04 एवं मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा-2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 01 को क्रमशः संसद में रखा गया। निम्नलिखित पैराग्राफ 2.5.1 एवं 2.5.2 में लेखापरीक्षा के प्रभाव का वर्णन किया गया है।

2.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 04 वर्ष 2023- धारा 281बी के तहत आयकर विभाग द्वारा किसी निर्धारिती की संपत्ति की कुर्की पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा -

2.5.1.1 लेखापरीक्षा ने पाया कि अनंतिम कुर्की आदेश जारी करने के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित कर देयता, वैधता अवधि जैसी आवश्यक जानकारी गायब हो गई, तथा निर्धारितियों को कुर्क की गई संपत्ति के बदले बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प नहीं दिया गया, आदि, जो प्रावधानों/नियमों के अनुरूप नहीं थे। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सीबीडीटी

धारा 281बी के तहत आदेश के लिए एक प्रारूप निर्धारित कर सकता है, जिसमें अनंतिम कुर्की के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल हो, ताकि निरंतरता और कानूनी सततता सुनिश्चित हो सके। लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी द्वारा विचारार्थ निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी करने के लिए एक नमूना प्रारूप का सुझाव दिया।

लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए नमूना प्रारूप को पूर्ण रूप से अपनाया गया और सीबीडीटी द्वारा फाइल संख्या 402/31/2022-आईटीसीसी दिनांक 03/06/2024 में उनके निर्देश संख्या 1/2024 में निर्धारित किया गया।

2.5.1.2 निर्धारण अधिकारी इन प्रावधानों को लागू करने के लिए आधार/आधारों को पर्याप्त रूप से स्थापित और दस्तावेजित नहीं कर रहे थे, और दस्तावेजीकरण के अभाव में, लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं प्राप्त कर सकी कि क्या उन मामलों में प्रावधानों की प्रयोज्यता उचित थी। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सीबीडीटी राय निर्माण के लिए विशिष्ट मानदंड तैयार कर सकता है, संभवतः दृष्टांत उदाहरणों के साथ, और "असाधारण परिस्थितियों" को स्पष्ट कर सकता है, ताकि निर्धारण अधिकारी को प्रभावी, पारदर्शी और कानूनी रूप से स्थायी तरीके से अनंतिम कुर्की कार्यवाही शुरू करने में सुविधा हो। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया और फाइल संख्या 402/31/2022-आईटीसीसी दिनांक 03/06/2024 में निर्देश संख्या 1/2024 के पैरा 3.1.6 के अनुसार कार्यान्वित किया।

2.5.1.3 लेखापरीक्षा ने टिप्पणी की कि पंजीकरण प्राधिकारियों को अनंतिम कुर्की आदेशों की अधिसूचना अपर्याप्त पाई गई, जिससे अंततः कुछ मामलों में ऐसी अधिसूचना का उद्देश्य ही विफल हो गया। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सीबीडीटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने और सरकार के राजस्व की रक्षा करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेश की अधिसूचना सहित अनंतिम कुर्की के लिए एक व्यापक एसओपी जारी करने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा, सीबीडीटी धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की आदेशों को सीईआरएसएआई सहित संबंधित प्राधिकरणों को अधिसूचित करना अनिवार्य कर सकता है, जिसमें प्राधिकरणों को अनंतिम कुर्की पर ध्यान देने और उसमें

जारी निर्देशों के साथ निर्धारिती के अनुपालन की निगरानी करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया और फाइल संख्या 402/31/2022-आईटीसीसी दिनांक 03/06/2024 में निर्देश संख्या 1/2024 के पैरा 3.2.2 के अनुसार कार्यान्वित किया।

2.5.1.4 लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारिती के कब्जे में मौजूद सभी परिसंपत्तियों का ब्यौरा सुनिश्चित करने के बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिन्हें अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा सकता था। लेखापरीक्षा ने निर्धारण में प्रदान की गई परिसंपत्तियों की सूची के संबंध में भी कमियां देखीं, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति की गलत कुर्की हुई। परिसंपत्तियों की पहचान की प्रक्रिया में त्रुटि पाई गई। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि सीबीडीटी तलाशी और जब्ती के दौरान निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों की जांच के लिए मौजूदा निर्देशों को लागू कर सकता है, तथा संभावित कर मांग की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अनंतिम कुर्की के लिए उपयुक्त परिसंपत्तियों के चयन के लिए उचित दिशा-निर्देश तैयार कर सकता है या सुझाव दे सकता है, जिससे अपेक्षित राजस्व की अधिकतम सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके अलावा, ऐसी जांच को उचित रूप से दस्तावेजित किया जाना चाहिए।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया और फाइल संख्या 402/31/2022-आईटीसीसी दिनांक 03/06/2024 में निर्देश संख्या 1/2024 के पैरा 3.1.3 के अनुसार कार्यान्वित किया।

2.5.1.5 लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारितियों के कब्जे में मौजूद सभी परिसंपत्तियों का ब्यौरा सुनिश्चित करने के बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिन्हें अनंतिम कुर्की के लिए विचार किया जा सकता था। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सीबीडीटी निर्धारिती के पास उपलब्ध सभी संपत्तियों का ब्यौरा प्राप्त करने और उन्हें रिकार्ड करने में निर्धारण अधिकारियों की सुविधा के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, ताकि राजस्व के हित को अधिकतम करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त संपत्ति का चयन किया जा सके।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया और फाइल संख्या 402/31/2022-आईटीसीसी दिनांक 03/06/2024 में निर्देश संख्या 1/2024 के पैरा 3.4 के अनुसार कार्यान्वित किया।

2.5.1.6 लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों ने अधिकांश मामलों में अनंतिम कुर्की पर विचार करने से पहले निर्धारितियों की संपत्ति का उनके स्वामित्व संबंधी आवश्यकताओं या उनकी गैर-भारग्रस्त स्थिति के लिए निर्धारण नहीं किया। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सीबीडीटी कुर्क की जाने वाली संपत्ति की स्वामित्व स्थिति का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित कर सकता है। यदि स्वामित्व/गैर-भार की पुष्टि के लिए संबंधित पंजीकरण या अन्य प्राधिकारियों से पूछताछ की गई है - ऐसे मामलों में जहां कुर्की आदेश जारी होने से कुछ समय पहले संपत्ति बेची या हस्तांतरित की गई हो, तो निर्धारिती के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया और फाइल संख्या 402/31/2022-आईटीसीसी दिनांक 03/06/2024 में निर्देश संख्या 1/2024 के पैरा 3.4 के अनुसार कार्यान्वित किया।

2.5.1.7 लेखापरीक्षा ने पाया कि कुर्की का मूल्य अनुमानित कर देयता की तुलना में अत्यधिक या अपर्याप्त था, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित निर्धारितियों को अनुचित उत्पीड़न या अनुमानित कर देयता का अपर्याप्त कवरेज हो सकता है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अधिकांश मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने संपत्तियों का उचित बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किया। परिणामस्वरूप, राजस्व के हितों की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना दूर की कौड़ी लगती है। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सीबीडीटी आयकर अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों और संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पर्याप्तता के संबंध में सीबीडीटी के सितंबर 2004 के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है, जहां राजस्व के हितों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पाया जाता है, उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) का निर्धारण करके।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया और फाइल संख्या 402/31/2022-आईटीसीसी दिनांक 03/06/2024 में निर्देश संख्या 1/2024 के पैरा 3.2.4 और 4 के अनुसार कार्यान्वित किया।

2.5.1.8 लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 281बी के अंतर्गत कई आदेशों की वैधता अवधि या तो उठाई गई कर मांगों की पूरी वसूली से पहले या यहां तक कि निर्धारण पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गई। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सीबीडीटी धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता अवधि से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के कार्यान्वयन को लागू कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारण पर कर मांग पूरी तरह से वसूल होने तक मामले लगातार संरक्षित रहें।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया और फाइल संख्या 402/31/2022-आईटीसीसी दिनांक 03/06/2024 में निर्देश संख्या 1/2024 के पैरा 2 के तहत इसे लागू किया, जिसमें अनंतिम अनुलग्नक पर त्रैमासिक रिपोर्ट के लिए एक प्रोफॉर्मा निर्धारित किया गया है, जो उचित निगरानी सुनिश्चित करेगा।

2.5.1.9 लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने उप पंजीयक को धारा 281बी के तहत आदेश अधिसूचित करने के बाद भी संपत्ति का निपटान कर दिया था। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि सीबीडीटी, पंजीकरण प्राधिकारियों की भूमिका सहित, इसके परिणामों से बचने के लिए, कुर्की आदेश जारी होने के बाद स्वामित्व में हुए परिवर्तनों की, दंडात्मक दृष्टिकोण से जांच करने पर विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने कहा कि लेखापरीक्षा के सुझाव के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है तथा बजटीय प्रक्रिया के दौरान इसकी जांच करने पर सहमति व्यक्त की।

2.5.2 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 01 - मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा - अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों में आंतरिक नियंत्रण और अस्पष्टता के संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि फॉर्म 52ए के प्रभावी उपयोग के संबंध में, सीबीडीटी मनोरंजन

उद्योग के अन्य उभरते उप-क्षेत्रों जैसे वृत्तचित्र निर्माता, इवेंट मैनेजमेंट फर्म/कंपनियां आदि में लगे निर्धारितियों के लिए फॉर्म 52ए के जरिए प्रकटीकरण की आवश्यकता को बढ़ाने पर विचार कर सकता है, (ii) निर्माताओं से भुगतान प्राप्त करने वाले आदाता के पैन को शामिल करने के लिए फॉर्म 52ए के टेम्पलेट को बदलना, (iii) वित्त वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान की गई राशियों और फॉर्म 52ए दाखिल करने की तिथि तक भुगतान के लिए देय राशियों का अलग-अलग विवरण प्रकट करना आवश्यक बनाना ताकि लेखांकन के नकद/व्यावसायिक आधार का पालन करने वाले निर्धारितियों के संबंध में प्राप्तियों के प्रति सत्यापन की सुविधा मिल सके।

मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2022 के तहत धारा 285बी में संशोधन किया है, जिससे धारा 285बी के प्रावधानों को किसी निर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्तियों पर लागू किया जा सकेगा, यानी इवेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्री निर्माण, टेलीविजन या ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म या किसी अन्य समान प्लेटफॉर्म पर प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण, खेल इवेंट प्रबंधन, अन्य प्रदर्शन कला या कोई अन्य गतिविधि जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। इसके अलावा, सीबीडीटी ने अधिसूचना संख्या 109/2022 (एफ.सं.370142/44/2022-टीपीएल]/जीएसआर 697(ई) दिनांक 14 सितंबर 2022 के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 121ए में संशोधन किया है और इसके स्थान पर एक नया 'नियम 121ए - सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के निर्माताओं या निर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण का प्रारूप' प्रतिस्थापित किया है और लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुरूप फॉर्म 52ए के टेम्पलेट को बदल दिया गया है, जिसके तहत सिनेमैटोग्राफ फिल्म का निर्माण करने वाले या निर्दिष्ट गतिविधि में लगे व्यक्ति द्वारा किए गए कुल ₹ 50,000 से अधिक के भुगतान या उससे प्रत्येक व्यक्ति को देय भुगतान के संबंध में पैन या आधार संख्या निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है, साथ ही फॉर्म 52ए में किए गए भुगतान और देय राशि के लिए अलग-अलग कॉलम प्रदान किए गए हैं।

2.6 लेखापरीक्षा के मामलों पर वसूली

आयकर विभाग ने पिछले तीन वर्षों में (चार्ट 2.1) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कर निर्धारण में त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांगों से ₹ 3,588.79 करोड़ वसूल किए। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 में वसूले गए ₹ 3,474.89 करोड़[67] शामिल हैं, जो पिछले वर्षों की वसूलियों की तुलना में काफी अधिक है।

चार्ट 2.1: कर वसूली का रुझान

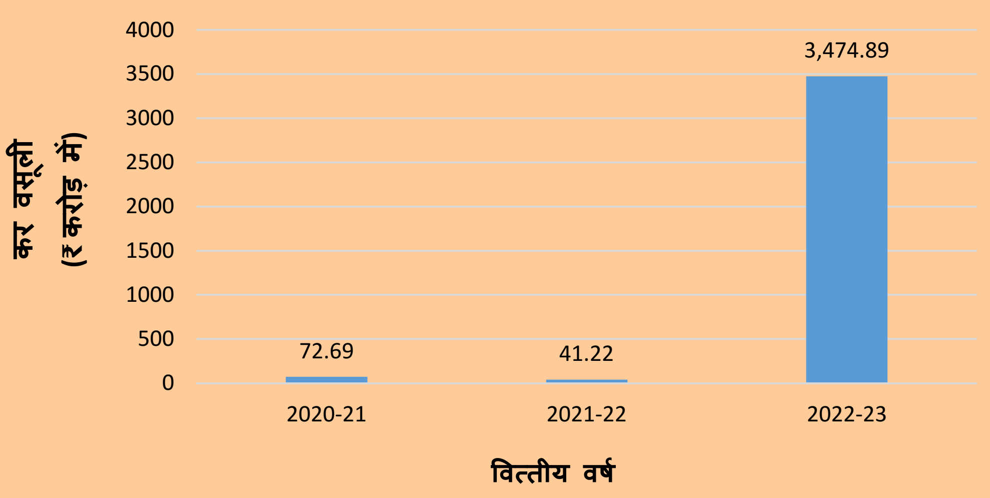

2.7 समय-बाधित मामले

2.7.1 आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत संशोधित प्रावधान के अनुसार, संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष तक कर निर्धारण को पुनः खोला जा सकता है, जिसे आगे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यदि कर निर्धारण अधिकारी के पास खाता बही या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य हैं, जिनसे पता चलता है कि कर योग्य आय, जो परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाई गई है, उस वर्ष के लिए कर निर्धारण से बच गई है या ₹ 50 लाख या उससे अधिक होने की संभावना है।

2.7.2 नीचे दी गई तालिका 2.15 वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 ***(परिशिष्ट 2.4)*** के दौरान समय-बाधित मामलों[68] का विवरण दर्शाती है।

---

[67] लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर की गई ₹ 3,388.51 करोड़ की इस वसूली में मेसर्स एस (निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20) से संबंधित ₹ 3,141.00 करोड़ शामिल हैं; और मेसर्स डी (निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2018-19) से संबंधित ₹ 247.51 करोड़ शामिल हैं, जो 'बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को छूट और कटौती' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान जुटाए गए थे।

[68] वित्त अधिनियम 2021 की धारा 148/149 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार।

तालिका 2.15: समय बाधित मामलों का विवरण		
रिपोर्ट का वर्ष	**लेखापरीक्षा अवलोकन**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
2020-21	3,754	6,189.11
2021-22	7,522	15,937.39
2022-23	3,170	5,015.33

2.7.3 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹ 5,015.33 करोड़ के कर प्रभाव वाले 3,170 लेखापरीक्षा अवलोकन सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समय-बाधित हो गए, जिनमें से अकेले महाराष्ट्र का योगदान 42.12 *प्रतिशत* था, जिसके बाद चंडीगढ़ का कुल कर प्रभाव 23.07 *प्रतिशत* था। यद्यपि समय-सीमा समाप्त हो चुके मामलों की सूचना हर वर्ष दी जाती है, फिर भी राजकोष को नुकसान जारी है। विभाग को निगरानी को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों में समय-सीमा समाप्त न हो जाए तथा राजस्व रिसाव के मामलों को स्वतः ही ठीक किया जा सके।

निष्कर्ष और संस्तुति:

समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में देरी से राजकोष पर राजस्व का प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए विभाग को मौजूदा प्रणाली को सुव्यवस्थित और मजबूत करने की आवश्यकता है।

विभाग उन मामलों का निर्धारण/समीक्षा कर सकता है जिनके लिए उपचारात्मक कार्रवाई का समय समाप्त हो गया है और निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है तथा मौजूदा प्रणाली को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, जिनमें उपचारात्मक कार्रवाई का समय समाप्त हो गया हो।

2.8 अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण

2.8.1 हम करों के निर्धारण और संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत निर्धारण अभिलेखों की जांच करते हैं तथा यह जांचते हैं कि क्या नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित रूप से पालन किया जा रहा है। आयकर

विभाग का यह भी दायित्व है कि वह शीघ्रता से अभिलेख तैयार करे तथा लेखापरीक्षा को प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराए।

2.8.2 आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मांगे गए 2,79,516[69] अभिलेखों में से 13,233 अभिलेख (4.73 *प्रतिशत*) प्रस्तुत नहीं किए। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली में अभिलेखों का गैर-उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में (7.06 *प्रतिशत* से 10.65 *प्रतिशत* तक) और मध्य प्रदेश में (4.54 *प्रतिशत* से 6.46 प्रतिशत तक) प्रमुख रूप से बढ़ा है। ***परिशिष्ट 2.5*** में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 तक अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने का विवरण दर्शाया गया है।

[69] इसमें 10,083 ऐसे अभिलेख शामिल हैं जो पिछले वर्षों में प्रस्तुत नहीं किये गये थे तथा जिन्हें वर्तमान लेखापरीक्षा चक्र के दौरान पुनः मंगाया गया।

अध्याय III: निगम कर

3.1 परिचय

3.1.1 इस अध्याय में 287 उच्च मूल्य वाले कॉर्पोरेट मामलों (पैरा 2.4.4 देखें) पर चर्चा की गई है, जिनमें 282 निर्धारण और ₹ 6,252.06 करोड़[70] का कुल कर प्रभाव शामिल है, जिन्हें अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक मंत्रालय को भेजा गया था। इन 287 मामलों में से मंत्रालय ने मार्च 2025 तक केवल आठ मामलों में ही जवाब दिया है और सभी आठ मामलों को स्वीकार कर लिया है। तथापि, आयकर विभाग ने ₹ 3,120.98 करोड़ के कर प्रभाव वाले 165 मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 590.00 करोड़ के कर प्रभाव वाले चार मामलों को स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा, 287 मामलों में से आयकर विभाग ने ₹ 4,071.99 करोड़ के कर प्रभाव वाले 197 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है तथा ₹ 720.15 करोड़ के कर प्रभाव वाले 27 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। शेष 63 मामलों में आयकर विभाग ने मार्च 2025 तक कोई कार्रवाई नहीं की है।

3.1.2 त्रुटियों की श्रेणियों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- निर्धारण की गुणवत्ता (124 मामले)
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन (85 मामले)
- चूक के कारण कर निर्धारण से बचने वाली आय (38 मामले)
- अन्य - कर/ब्याज आदि का अधिक प्रभार (40 मामले)

आगे के पैराग्राफ में उपर्युक्त त्रुटियों की प्रत्येक श्रेणी को दर्शाया गया है। उदाहरणात्मक मामलों की पहचान उनके महत्व और उनमें सम्मिलित कर प्रभाव के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मुद्दों की व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय संरचनाओं के मामलों पर विचार किया गया है।

---

[70] इसमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें कर का अधिक प्रभार ₹ 1,204.48 करोड़ था।

3.2 निर्धारण की गुणवत्ता

3.2.1 लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए कुछ मामलों में, कर निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण में त्रुटियां कीं। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग की ओर से आंतरिक नियंत्रण में जारी कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के युग में, आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों से जुड़े गलत निर्धारण के मामलों को महज त्रुटि के रूप में स्वीकार करना कठिन है। इसके अलावा, कर और अधिभार की गलत दरों का लगाना, धारा 220(2), 234ए, 234बी, 234सी और 234डी के अंतर्गत ब्याज लगाने में गलतियां, अधिक या अनियमित रिफंड आदि, कर निर्धारण अधिकारियों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण और आईटी प्रणालियों में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। आयकर विभाग यह पता लगा सकता है कि पाई गई अनियमितताओं के मामले चूक की त्रुटियाँ हैं या कमी की है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि कमी की त्रुटियों वाले मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। नीचे दी गई तालिका 3.1 में गलतियों की उप-श्रेणियों का विवरण दिया गया है (पैरा 2.4.4 देखें) जिससे निर्धारण की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

तालिका 3.1: निर्धारण की गुणवत्ता के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियाँ

उप-श्रेणियाँ	मामलें	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	48	2,036.72	दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ख. कर और अधिभार की गलत दर का अनुप्रयोग	12	92.42	बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल।
ग. ब्याज लगाने में त्रुटियाँ	57	360.27	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु,

तालिका 3.1: निर्धारण की गुणवत्ता के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियाँ

उप-श्रेणियाँ	मामलें	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
			तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
घ. अतिरिक्त या अनियमित रिफंड/रिफंड पर ब्याज	6	17.14	दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ	1	1.13	कर्नाटक
कुल	**124**	**2,507.68**	

3.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने 10 राज्यों में ₹ 2,036.72 करोड़ के कर प्रभाव वाले 48 मामलों में आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ देखीं। ऐसे पाँच मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारियों को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही आकलन करना तथा निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि निर्धारित करना आवश्यक है। इसके अलावा, बोर्ड ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं कि कर योग्य आय और कर की गणना में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारिती की ओर से चूक के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज लगाने का प्रावधान है। धारा 234ए में आयकर विवरणी दाखिल करने में चूक के कारण निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान है। धारा 234बी में अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समयावधि के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान है।

मामला ।	**सीआईटी प्रभार**	:	**प्र. सीआईटी-3, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	:	**मेसर्स बी1**
	निर्धारण वर्ष	:	**2018-19 एवं 2019-20**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2020 और सितंबर 2021 में उपरोक्त निर्धारण वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, अधिनियम की धारा 115ओ के तहत लाभांश के रूप में भारत सरकार को ₹ 2,421.82 करोड़ और ₹ 2,660.60 करोड़ की राशि के अधिशेष के वितरण पर

कर लगाने का निर्णय लिया और क्रमशः ₹ 493.03 करोड़ और ₹ 541.63 करोड़ की राशि के लिए 20.36 *प्रतिशत* की दर से लाभांश वितरण कर की गणना की। हालाँकि, दोनों निर्धारण वर्षों में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, इन अतिरिक्त करों को आयकर गणना पत्रक में नहीं लगाया गया था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप दोनों निर्धारण वर्षों में ₹ 1,034.66 करोड़ का लाभांश वितरण कर (डीडीटी) नहीं लगाया गया। *विभाग ने जून 2022 में सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावी करते हुए त्रुटि को सुधार लिया और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 611.35 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 709.54 करोड़ का डीडीटी लगाया, जिसमें धारा 115पी के तहत ब्याज भी शामिल है।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-3, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स आर3 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2019-20**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए सामान्य प्रावधान के तहत ₹ 1,595.55 करोड़ की आय और अधिनियम की धारा 115जेबी के विशेष प्रावधान के तहत ₹ 3,230.09 करोड़ का बही लाभ निर्धारित किया। हालांकि, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, कर गणना शीट में गलत तरीके से ₹ 1,346.26 करोड़ को बही लाभ के रूप में अपनाया गया, और विशेष प्रावधान के तहत ₹ 3,230.09 करोड़ के बही लाभ पर लगाए जाने के बजाय ₹ 1,595.55 करोड़ की आय पर सामान्य प्रावधानों के तहत कर लगाया गया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 399.85 करोड़ का कम कर लगाया गया, जिसमें धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 88.61 करोड़ का ब्याज और ₹ 172.74 करोड़ की अधिक वापसी शामिल है। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अक्टूबर 2023) कि सितंबर 2023 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधार लिया गया था।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (सेंट्रल)-3, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स ए1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 153ए के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद निर्धारिती के ब्याज सहित ₹ 613.71 करोड़ की कर देयता की गणना करते समय सामान्य आय पर 12 *प्रतिशत* की लागू दर पर ₹ 7.96 लाख के बजाय सात *प्रतिशत* की दर से ₹ 4.64 लाख का अधिभार लगाया। निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 234ए और 234सी के अंतर्गत क्रमशः ₹ 3.74 करोड़ और ₹ 0.04 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया तथा धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 239.53 करोड़ का ब्याज गलती से लगा दिया, जबकि देय राशि ₹ 179.66 करोड़ थी। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 156 के तहत मांग नोटिस में ₹ 613.71 करोड़ (कर के रूप में ₹ 374.19 करोड़ और ब्याज के रूप में ₹ 239.53 करोड़) के बजाय गलत तरीके से ₹ 374.19 करोड़ की मांग जारी की। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 183.51 करोड़ का कर और ब्याज कम लगाया गया। *विभाग ने अगस्त 2023 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटियों को सुधार लिया।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, कानपुर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एम2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद अगस्त 2021 में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय ₹ 66.96 करोड़ के बजाय ₹ 4.32 करोड़ की आय अपनाई। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 62.64 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 31.95 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने मई 2023 में अधिनियम*

की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधार लिया। इसके अलावा, वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला V	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-8, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एस3 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2022 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 86.60 करोड़ की दाखिल की गई आय के साथ स्थानांतरण मूल्य निर्धारण में समायोजन के कारण ₹ 140.75 करोड़ जोड़े। तथापि, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, कर गणना शीट में कर के लिए ₹ 140.75 करोड़ की राशि पर विचार नहीं किया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 54.91 करोड़ का कर कम लगाया गया। इसके अलावा, इस विसंगति के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 244 ए के तहत रिफंड पर ब्याज सहित ₹ 15.72 करोड़ के रिफंड की अनियमित अनुमति भी मिली। इस प्रकार, कुल कर प्रभाव ₹ 70.63 करोड़ हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सूचित किया (जुलाई 2023) कि अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को जून 2023 में सुधार लिया गया है।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरों का अनुप्रयोग

निर्धारण अधिकारी ने निर्धारितियों की कर देयता की गणना करते समय, सात राज्यों में ₹ 92.42 करोड़ के कर प्रभाव वाले 12 मामलों में कर और अधिभार की गलत दरें लागू कीं। ऐसे तीन मामले नीचे दिये गये हैं:

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारियों को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना तथा निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि निर्धारित करना आवश्यक है। इसके अलावा, बोर्ड ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं कि कर योग्य आय और कर की गणना में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स डी1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ धारा 147 के तहत पुनर्निर्धारण के बाद ₹ 592.65 करोड़ की निर्धारित आय पर कर देयता की गणना करते समय, ₹ 542.98 करोड़ पर 20 *प्रतिशत* की विशेष दर से और ₹ 49.66 करोड़ की शेष राशि पर 30 *प्रतिशत* की सामान्य दर से कर लगाया, बिना इस तथ्य पर विचार किए कि ₹ 592.65 करोड़ की पूरी निर्धारित आय दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के तहत निर्धारण के दौरान निर्धारित 30 *प्रतिशत* की सामान्य दर से कर के लिए देय थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 62.64 करोड़ का कर कम वसूला गया। *विभाग ने जुलाई 2023 में अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करके त्रुटि को सुधार लिया।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए, संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, निर्धारिती की पिछले वर्ष की कुल आय पर आयकर लगाया जाएगा। निर्धारण वर्ष 2018-19 से संबंधित वित्त अधिनियम में केवल उन घरेलू कंपनियों के मामले में 25 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रावधान है, जिनका पिछले वर्ष 2015-16 के दौरान कुल कारोबार या सकल प्राप्ति ₹ 50 करोड़ से अधिक नहीं है, अन्यथा 30 प्रतिशत की समान दर से कर लगाया जा सकता है।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, चंडीगढ़**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स एच1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल 2021 में अधिनियम की धारा 144 के तहत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, 25 *प्रतिशत* की दर से कर लागू किया। हालाँकि, निर्धारिती कंपनी को वित्त वर्ष 2016-17 में निगमित किया गया था और इस प्रकार, वह वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान निर्धारित टर्नओवर वाले निगम निर्धारिती के लिए लागू कम कर दरों के आवेदन के लिए पात्र नहीं थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.22 करोड़

का कर कम लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सूचित किया (मई 2023) कि अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत मई 2023 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 400 करोड़ से कम कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों वाली घरेलू कंपनियों के मामले में, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आय पर 25 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। अधिनियम की धारा 115बीएए(1) घरेलू कंपनी होने के नाते निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2020-21 और उसके बाद के लिए 22 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करती है, बशर्ते कि उप-धारा (2) में निहित शर्तें पूरी होती हों। इसकी उप-धारा (5) में यह प्रावधान है कि कर की निचली दर तभी लागू होगी, जब व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए धारा 139(1) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले निर्धारित तरीके से विकल्प का प्रयोग किया जाता है।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-सेंट्रल, हैदराबाद**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2020-21**

अधिनियम की धारा 153ए के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद मार्च 2022 में निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने 25 *प्रतिशत* के बजाय 22 *प्रतिशत* की दर लागू की। हालाँकि, निर्धारिती ने धारा 115 बीएए की उप-धारा (5) के तहत निर्धारित आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले कम कर दर का विकल्प नहीं चुना। कम दर पर कर की गलत गणना के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 4.14 करोड़ की कम कर मांग हुई। *विभाग ने फरवरी 2024 में धारा 154 के तहत आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.2.4 ब्याज लगाने में त्रुटियाँ

हमने 10 राज्यों में ₹ 360.27 करोड़ के कर प्रभाव वाले 57 मामलों में ब्याज लगाने में त्रुटियाँ देखीं। ऐसे पाँच मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारिती की ओर से चूक के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज लगाने का प्रावधान है। धारा 234ए में आयकर विवरणी दाखिल करने में चूक के कारण निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (सेंट्रल)-1, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स पी2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17 एवं 2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 144 के साथ धारा 153ए के तहत निर्धारण के बाद क्रमशः निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए अप्रैल 2021 में कर देयता की गणना करते समय, नोटिसों पर देरी से प्रतिक्रिया के लिए अधिनियम की धारा 234ए(3) के तहत क्रमशः उपर्युक्त निर्धारण वर्ष के लिए ₹ 47.84 करोड़ और ₹ 9.64 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप दोनों वित्तीय वर्षों में ₹ 57.48 करोड़ का ब्याज कम लगाया गया। *विभाग ने दोनों निर्धारण वर्षों के लिए फरवरी 2024 में अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करके गलतियों को सुधार लिया।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

अधिनियम की धारा 234डी के प्रावधान के अनुसार, जहां धारा 143 की उपधारा (1) के तहत निर्धारिती को कोई रिफंड दिया जाता है और बाद में नियमित निर्धारण पर कोई रिफंड देय नहीं पाया जाता है या पहले से दिया गया रिफंड अधिक है, तो निर्धारिती रिफंड दिए जाने की तिथि से नियमित निर्धारण की तिथि तक की अवधि के लिए इस प्रकार वापस की गई अतिरिक्त राशि पर आधा प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, उपधारा (2) के अनुसार, जहां धारा 154 या धारा 263 के तहत आदेश के परिणामस्वरूप, धारा 143 की उपधारा (1) के तहत रिफंड अनुदान की राशि को सही ढंग से, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, जैसा भी मामला हो, अनुमति दी गई मानी जाती है, तो उपधारा (1) के तहत प्रभार्य ब्याज, यदि कोई हो, तदनुसार कम किया जाएगा।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-3, बेंगलुरु**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स आई1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में धारा 144बी के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, ₹ 570.35 करोड़ की रिफंड निकासी पर 12 महीने के लिए धारा 234डी के तहत ब्याज नहीं लगाया। इस त्रुटि के कारण ₹ 34.22 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सूचित किया (मार्च 2024) कि त्रुटि को दिसंबर 2023 में सुधार लिया गया था।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति का इंतजार है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम 1961 में निर्धारिती की ओर से चूक के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज लगाने का प्रावधान है। धारा 234ए में आयकर विवरणी दाखिल करने में चूक के कारण निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान है। धारा 234बी में अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान है।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-4, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स ए2 लिमिटेड,**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 144 के तहत निर्धारण का समापन करते हुए, निर्धारिती द्वारा दायर आईटीआर को स्वीकार कर लिया और उसे संसाधित किया। हालाँकि, कोई अपेक्षित विवरण जैसे बैलेंस शीट आइटम और लाभ और हानि खाते उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, आईटीआर को अमान्य माना जाना चाहिए था, और तदनुसार, धारा 234ए के तहत ब्याज लगाया जाना चाहिए था, जो नहीं लगाया गया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 27.56 करोड़ का ब्याज कम लगाया गया। *विभाग ने नवंबर 2022 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधार लिया।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला IV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-4, चेन्नई

निर्धारिती का नाम : मेसर्स के2 प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, धारा 234बी के तहत ₹ 14.48 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया क्योंकि भुगतान किया गया टीडीएस और अग्रिम कर कुल निर्धारित कर का 90 *प्रतिशत* से कम था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 14.48 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। *विभाग ने प्रथम दृष्टया लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (दिसंबर 2022)।* विभाग से दो वर्षों से अधिक समय (मार्च 2025) तक सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला V सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी- सेंट्रल 1, चेन्नई

निर्धारिती का नाम : मेसर्स आर1 प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2018-19

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में अधिनियम की धारा 153सी के साथ धारा 144 के तहत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय धारा 234बी के तहत ₹ 5.56 करोड़ का ब्याज लगाया, लेकिन निर्धारिती की कुल मांग में इसे शामिल करना छोड़ दिया। हालांकि, धारा 234बी के तहत देय कुल ब्याज ₹ 12.92 करोड़ था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने आयकर विवरणी दाखिल करने में देरी के लिए भी धारा 234ए के तहत तीन महीने के लिए ₹ 0.92 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया। इस प्रकार, कुल ब्याज न वसूलने की राशि ₹ 13.69 करोड़ हो गई। *विभाग ने कहा कि उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाएगी (जनवरी 2023)।* इसके अलावा, विभाग से की गई कार्रवाई का विवरण दो वर्षों से अधिक समय (मार्च 2025) तक प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.2.5 अतिरिक्त या अनियमित रिफंड/रिफंड पर ब्याज

हमने तीन राज्यों में ₹ 17.14 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े अतिरिक्त या अनियमित रिफंड/रिफंड पर ब्याज से संबंधित छह मामले देखे। ऐसे दो मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

अधिनियम की धारा 244ए में यह प्रावधान है कि जहां निर्धारिती को किसी राशि की वापसी मिलनी है, तो वह इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उक्त राशि के अतिरिक्त, उस पर साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा ब्याज प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए आधा प्रतिशत की दर से गणना किया जाएगा, जो (i) निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर उस तारीख तक की अवधि में सम्मिलित है, जिसको कर वापसी प्रदान की जाती है, यदि आयकर विवरणी धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत किया गया है; या (ii) आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से लेकर उस तारीख तक, जिसको कर वापसी प्रदान की जाती है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**मेसर्स एफ1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

मई 2021 में अधिनियम की धारा 154 के तहत पारित सुधार आदेश के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने 38 महीने के लिए देय ₹ 12.04 करोड़ की स्वीकार्य राशि के बजाय 68 महीने के लिए धारा 244ए के तहत ₹ 21.52 करोड़ का ब्याज जारी किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 9.48 करोड़ का अधिक ब्याज भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा अवलोकन अप्रैल 2022 में विभाग को सूचित किया गया था, लेकिन कई अनुस्मारक (मार्च 2025) के बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, चेन्नई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एफ2 प्रा. लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने जून 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, धारा 244ए के तहत रिफंड पर 51 महीने की अवधि के लिए ₹ 1.68 करोड़ के बजाय

₹ 4.14 करोड़ का ब्याज दिया। इसके परिणामस्वरूप धारा 244ए के अंतर्गत रिफंड पर ₹ 2.46 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज प्रदान किया गया। *विभाग ने कहा (दिसंबर 2022) कि लेखापरीक्षा अवलोकन पर गौर किया जाएगा।* इसके अलावा, की गई कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.2.6 अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ

हमने कर्नाटक राज्य में ₹ 1.13 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े एक मामले में अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटि देखी। मामला नीचे दर्शाया गया है:

अधिनियम की धारा 254 में प्रावधान है कि अपीलीय न्यायाधिकरण इस धारा के तहत पारित किसी भी आदेश की एक प्रति निर्धारिती और प्रधान आयुक्त को भेजेगा। इसके अलावा, आयकर विभाग के कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (खंड II, तकनीकी) के अध्याय 18 के पैरा 24.1 में प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में अपीलीय आदेश प्राप्त होने पर, आदेश के आलोक में कर निर्धारण को संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-सेंट्रल, बेंगलुरु**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स ई2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2010-11**

निर्धारण अधिकारी ने जून 2021 में धारा 254 के तहत आदेश देने के बाद निर्धारिती के शुद्ध कर की गणना करते समय, ₹ 1.14 करोड़ की राशि को जोड़ना छोड़ दिया, जो कि मार्च और अक्टूबर 2013 के बीच कई तारीखों पर निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए ₹ 12.91 करोड़ के नियमित निर्धारण कर के अलावा ₹ 14.05 करोड़ के सकल कर का शेष था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ का कर कम वसूला गया। *विभाग ने मई 2023 में धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम, अध्याय VI-ए के अंतर्गत कुल आय और इसके प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की कुछ श्रेणियों की गणना में निर्धारिती को रियायतें/छूट/कटौतियां प्रदान करता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने अनियमित रूप से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का लाभ उन लाभार्थियों को प्रदान किया, जो इसके हकदार नहीं थे। ये अनियमितताएं आयकर विभाग की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूट के क्रियान्वयन में कमजोरियों को इंगित करती हैं, जिन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। नीचे दी गई तालिका 3.2 उन उप-श्रेणियों का विवरण दर्शाती है, जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के क्रियान्वयन को प्रभावित किया है।

तालिका 3.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के क्रियान्वयन के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियाँ

उप-श्रेणियाँ	संख्या	टीई (₹करोड़ में)	राज्य
क. मूल्यह्रास/ व्यावसायिक हानि/ पूंजीगत हानि की अनुमति देने में अनियमितताएं	41	1,061.86	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ख. अनियमित छूट/कटौती/ छूट/ राहत/ एमएटी क्रेडिट	28	310.48	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल।
ग. व्यवसाय व्यय की गलत अनुमति	16	118.29	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु।
कुल	**85**	**1,490.63**	

3.3.2 व्यवसाय/पूंजी घाटे को मूल्यह्रास और सेट ऑफ तथा आगे ले जाने की अनुमति देने में अनियमितताएं

हमने नौ राज्यों में ₹ 1,061.86 करोड़ के कर प्रभाव वाले 41 मामलों में मूल्यह्रास और सेट ऑफ तथा व्यवसाय/पूंजी घाटे को आगे ले जाने की अनुमति देने में अनियमितताएं देखीं। ऐसे नौ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

*अधिनियम की धारा 72 में यह प्रावधान है कि यदि चालू वर्ष की हानि, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल है, किसी प्रासंगिक वर्ष की किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आय के विरुद्ध पूर्णतः समायोजित नहीं की जा सकती है, तो ऐसी हानि को 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति' के विरुद्ध समायोजित करने के लिए आगामी कर निर्धारण वर्ष(वर्षों) में आगे ले जाया जाएगा।' सीबीडीटी के निर्देश संख्या 09/2007, दिनांक **11** सितंबर 2007 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को भौतिक अभिलेखों के संदर्भ में संवीक्षा निर्धारण करने के समय आवश्यक सत्यापन करना चाहिए, तथा अनवशोषित मूल्यह्रास सहित नुकसान से संबंधित दावों को निर्धारण अभिलेखों से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि आगे लाए गए नुकसान और मूल्यह्रास के दावों की अनुमति की शुद्धता सुनिश्चित हो सके। जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्षों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई भी शुरू की जानी चाहिए।*

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-1, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स ए5 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनर्निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण के दौरान निर्धारित ₹ 6,086.88 करोड़ के बजाय कर गणना शीट में ₹ 6,626.85 करोड़ के चालू वर्ष के नुकसान को गलत तरीके से आगे ले जाने की अनुमति दी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 539.97 करोड़ की अतिरिक्त अग्रिम हानि हुई, जिसका संभावित कर प्रभाव ₹ 186.87 करोड़ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सूचित किया (जुलाई 2023) कि त्रुटि को अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत फरवरी 2023 में सुधार लिया गया है।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 32 की उप-धारा 2 में प्रावधान है कि जब अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत मूल्यह्रास को वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई लाभ नहीं हुआ है या लाभ मूल्यह्रास से कम है, तो उस वर्ष के अनवशोषित मूल्यह्रास को सेट ऑफ के लिए भविष्य के कर निर्धारण वर्षों में आगे बढ़ाया जा सकता है।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, बेंगलुरु**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स वी2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2021 में अधिनियम की धारा 144सी(3) और 144बी के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित ₹ 116.70 करोड़ की अग्रेषित व्यावसायिक हानि को सेट ऑफ करने की अनुमति दी और निर्धारण वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2016-17 से संबंधित ₹ 80.26 करोड़ के अग्रेषित अनवशोषित मूल्यह्रास को, जैसा कि निर्धारिती ने दावा किया था, सेट ऑफ करने की अनुमति दी। तथापि, निर्धारिती कंपनी के पास कोई भी अग्रिम व्यावसायिक हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास नहीं था, क्योंकि उपरोक्त निर्धारण वर्षों के लिए कर निर्धारण सकारात्मक आय पर पूरा किया गया था। इस गलती के कारण अधिनियम की धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 100.16 करोड़ का कर कम लगाया गया। लेखापरीक्षा अवलोकन फरवरी 2023 में विभाग को सूचित किया गया था, लेकिन विभाग से कोई जवाब नहीं मिला (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 32(1) में प्रावधान है कि 'व्यवसाय और पेशे से लाभ और प्राप्ति' शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करते समय मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास अनुमति के आधार पर कटौती उपलब्ध है।' इस धारा और इस धारा के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार, मूल्यह्रास के लिए पात्र अमूर्त परिसंपत्तियां हैं - तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज़ी या 1 अप्रैल 1998 को या उसके बाद अर्जित समान प्रकृति के कोई अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार। इस प्रकार, अमूर्त परिसंपत्तियां जो अर्जित नहीं की गई हैं, जैसे स्व-निर्मित सद्भावना, मूल्यह्रास के लिए पात्र नहीं हैं।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-8, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स डी2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2021 में धारा 143(3) के तहत ₹ 'शून्य' की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, सद्भावना पर मूल्यह्रास और अमूर्त परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) को आगे बढ़ाने के कारण क्रमशः ₹ 55.08 करोड़ और ₹ 165.27 करोड़ के दावों की अनुमति दी, जो समामेलन के कारण बनाए गए थे। अमूर्त परिसंपत्तियों की यह सद्भावना और डब्लूडीवी, निर्धारिती द्वारा समामेलित कंपनी की समग्र शुद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य

पर प्रतिफल के उचित मूल्य की अधिक राशि से बनाई गई थी। लेखापरीक्षा ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के तहत पारित निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारण आदेश से देखा कि निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 32(1) के 6वें प्रावधान और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) बेंगलुरु के आईटीए संख्या 722/बंग/2014 के निर्णय के अनुसार समामेलन के कारण बनाई गई सद्भावना पर मूल्यह्रास के निर्धारिती के समान दावों को अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार, निर्धारण वर्ष 2017-18 में ₹ 55.08 करोड़ की सद्भावना पर मूल्यह्रास की अनुमति तथा ₹ 165.27 करोड़ की अमूर्त परिसंपत्तियों के डब्लूडीवी को आगे ले जाना त्रुटिपूर्ण था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 220.35 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 76.26 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और सूचित किया (जुलाई 2023) कि धारा 263 के तहत कार्यवाही मार्च 2023 में शुरू की गई थी। अधिनियम की धारा 263 के साथ धारा 143(3) के तहत संशोधन आदेश का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

अधिनियम की धारा 72 में यह प्रावधान है कि यदि चालू वर्ष की हानि, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल है, किसी प्रासंगिक वर्ष की किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आय के विरुद्ध पूर्णतः समायोजित नहीं की जा सकती है, तो ऐसी हानि को 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति' के विरुद्ध समायोजित करने के लिए आगामी कर निर्धारण वर्ष(वर्षों) में आगे ले जाया जाएगा।' सीबीडीटी के निर्देश संख्या 09/2007, दिनांक 11 सितंबर 2007 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को भौतिक अभिलेखों के संदर्भ में संवीक्षा निर्धारण करने के समय आवश्यक सत्यापन करना चाहिए, तथा अनवशोषित मूल्यह्रास सहित नुकसान से संबंधित दावों को निर्धारण अभिलेखों से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि आगे लाए गए नुकसान और मूल्यह्रास के दावों की अनुमति की शुद्धता सुनिश्चित हो सके। जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्षों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई भी शुरू की जानी चाहिए।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, चेन्नई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एच2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

अप्रैल 2021 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 143(3) के तहत ₹ 'शून्य' की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए निर्धारण अधिकारी

ने ₹ 27.84 करोड़ की आगे लाई गई व्यावसायिक हानि को सेट ऑफ करने की अनुमति दी और निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 से संबंधित ₹ 361.94 करोड़ की व्यावसायिक हानि को आगे ले जाने की अनुमति दी, जिसे बाद के वर्षों में सेट ऑफ किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेट ऑफ के लिए उपलब्ध कुल ₹ 143.64 करोड़ की हानि में से, निर्धारण वर्ष 2017-18 में ₹ 27.84 करोड़ की हानि सेट ऑफ कर दी गई तथा शेष ₹ 115.80 करोड़ की हानि को आगामी वर्षों में आगे बढ़ाया जाना था। इस गलती के कारण ₹ 246.14 करोड़ का अतिरिक्त नुकसान हुआ, जिसका संभावित कर प्रभाव ₹ 73.84 करोड़ था। विभाग ने मई 2023 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटियों को सुधार लिया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम की धारा 139(3) में यह प्रावधान है कि 'व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति' शीर्षक के अंतर्गत घाटे को आगे ले जाने के लिए, निर्धारिती को अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर घाटे का आयकर विवरणी प्रस्तुत करना होगा। अधिनियम की धारा 80 में यह प्रावधान है कि धारा 139 की उप-धारा (3) के अनुसार दाखिल आयकर विवरणी के अनुसरण में निर्धारित नहीं की गई किसी हानि को धारा 72 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आगे ले जाया और सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, जो व्यावसायिक घाटे को आगे ले जाने और सेट ऑफ करने का प्रावधान करती है। इसके अलावा, धारा 143(3) में संवीक्षा निर्धारण में निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर विवरणी के साथ संलग्न खातों, अभिलेख और दस्तावेजों के साथ-साथ दावों का विस्तार से सत्यापन करने की आवश्यकता होती है।

मामला V	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-I, विशाखापत्तनम**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एस5 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 144 के साथ धारा 147 के तहत पुनर्निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारण अधिकारी ने कर गणना शीट में बाद के वर्षों में सेट ऑफ के लिए ₹ 169.01 करोड़ के पूरे निर्धारित नुकसान को आगे ले जाने की अनुमति दी। हालाँकि, ₹ 169.01 करोड़ के ऐसे नुकसान में ₹ 168.92 करोड़ का व्यावसायिक घाटा और ₹ 8.71 लाख का अनवशोषित मूल्यह्रास शामिल था, और निर्धारिती ने नवंबर 2017 की नियत तिथि के मुकाबले मार्च 2018 में विलंब से मूल आयकर विवरणी दाखिल किया था। इस

त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 168.92 करोड़ की व्यावसायिक हानि को गलत तरीके से आगे ले जाया गया, जिसमें ₹ 58.46 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सूचित किया (मार्च 2024) कि त्रुटि को अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत फरवरी 2024 में सुधार लिया गया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला VI	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स सी3 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

मार्च 2021 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 144 के तहत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने कर गणना शीट में बाद के वर्षों में सेट ऑफ के लिए ₹ 162.54 करोड़ के पूरे निर्धारित नुकसान को आगे ले जाने की अनुमति दी। हालाँकि, ₹ 162.54 करोड़ के ऐसे नुकसान में ₹ 155.16 करोड़ का व्यावसायिक घाटा और ₹ 7.38 करोड़ का अनवशोषित मूल्यह्रास शामिल था, और निर्धारणकर्ता ने अक्टूबर 2018 की नियत तिथि के मुकाबले नवंबर 2018 में देरी से मूल आयकर विवरणी दाखिल किया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 155.16 करोड़ की व्यावसायिक हानि को गलत तरीके से आगे ले जाया गया, जिसमें ₹ 53.70 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने फरवरी 2023 में अधिनियम की धारा 144 के साथ धारा 147 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए त्रुटि को सुधार लिया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 32 की उप-धारा 2 में प्रावधान है कि जब अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत मूल्यह्रास वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई लाभ नहीं हुआ है या लाभ मूल्यह्रास से कम है, तो उस वर्ष के अनवशोषित मूल्यह्रास को सेट ऑफ के लिए भविष्य के कर निर्धारण वर्षों में आगे बढ़ाया जा सकता है।

मामला VII	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-7, बेंगलुरु**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स यू1 लि.**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद फरवरी 2022 में कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा दावा किए गए निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित ₹ 95.27 करोड़ के अग्रिम लाए गए अनवशोषित मूल्यह्रास को समायोजन करने की अनुमति दी थी। तथापि, निर्धारणकर्ता कंपनी के पास निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कोई अग्रिम अनवशोषित मूल्यह्रास नहीं था, क्योंकि निर्धारण वर्ष 2016-17 का निर्धारण सकारात्मक आय पर पूरा किया गया था। इस गलती के कारण ₹ 52.42 करोड़ का कर कम वसूला गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2023) कि गलती को सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा, की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 32 की उप-धारा 2 में प्रावधान है कि जब अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत मूल्यह्रास को वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई लाभ नहीं हुआ है या लाभ मूल्यह्रास से कम है, तो उस वर्ष के अनवशोषित मूल्यह्रास को समायोजन के लिए भविष्य के कर निर्धारण वर्षों में आगे बढ़ाया जा सकता है।

मामला VIII	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-4, चेन्नई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एस4 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल 2021 में धारा 143(3) के तहत ₹ 139.58 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 103.95 करोड़ के अग्रिम लाए गए अनवशोषित मूल्यह्रास को समायोजन करने की अनुमति दी और आगे के वर्षों के ₹ 147.85 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्रास को बाद के वर्षों में समायोजन करने की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने पाया कि समायोजन और आगे ले जाने के लिए ऐसा कोई अनवशोषित मूल्यह्रास निर्धारिती के पास उपलब्ध नहीं था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 35.97 करोड़ का कर कम लगाया गया तथा

₹ 44.36 करोड़ का संभावित कर प्रभाव हुआ। *विभाग ने बताया कि अधिनियम की धारा 154 के तहत नोटिस जारी कर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई (नवंबर 2024)।* इसके अलावा, की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि निर्धारित करना आवश्यक है। इसके अलावा, बोर्ड ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं कि कर योग्य आय और कर की गणना में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए।

मामला IX	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-8, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स वी1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में धारा 144बी के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 1,001.42 करोड़ की साख (गुडविल) पर ₹ 250.36 करोड़ के मूल्यह्रास की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त 'साख (गुडविल)' का सृजन निर्धारण वर्ष 2016-17 में पीटीपी लिमिटेड के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप किया गया था, और निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 में विभाग द्वारा मूल्यह्रास के दावे को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि उक्त साख (गुडविल) का सृजन एकीकरण योजना के अंतर्गत किया गया था। इस प्रकार, इसे वित्त वर्ष 2018-19 में भी अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 250.36 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 39.29 करोड़ का सकारात्मक कर प्रभाव और ₹ 21.78 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 25.57 करोड़ का एमएटी क्रेडिट भी गलत तरीके से स्वीकृत हो गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (अक्टूबर 2024) कि सुधारात्मक कार्रवाई अगस्त 2024 में शुरू की गई थी।* आगे की कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.3.3 अनियमित छूट/कटौती/छूट/राहत/एमएटी क्रेडिट

हमने आठ राज्यों में अनियमित छूट/कटौतियों/छूट/राहत/एमएटी क्रेडिट से संबंधित 28 मामले देखे, जिनमें ₹ 310.48 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। ऐसे तीन मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

अधिनियम की धारा 115जेएए(1ए) में यह प्रावधान है कि जहां किसी निर्धारिती द्वारा, जो कंपनी है, 01/04/2006 से शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष और किसी भी बाद के कर निर्धारण वर्ष के लिए धारा 115जेबी(1) के तहत कर की कोई राशि का भुगतान किया जाता है, तो इस प्रकार भुगतान किए गए कर के संबंध में उसे क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी। आयकर अधिनियम की धारा 115जेएए(2ए) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1ए) के तहत दी जाने वाली कर क्रेडिट, धारा 115जेबी(1) के तहत किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए भुगतान किए गए कर और निर्धारिती द्वारा अपनी कुल आय पर देय कर की राशि के बीच का अंतर होगा, जिसकी गणना इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, बशर्ते कि उप-धारा (1ए) के तहत दी गई कर क्रेडिट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-4, चेन्नई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एस1 लिमिटेड.**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18 एवं 2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद, क्रमशः मई 2021 और सितंबर 2021 में निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित क्रमशः ₹ 11.72 करोड़ और ₹ 30.78 करोड़ के एमएटी क्रेडिट को समायोजन करने की अनुमति दी थी। हालाँकि, निर्धारिती कंपनी के पास निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कोई अग्रेषित एमएटी क्रेडिट नहीं था, क्योंकि निर्धारण वर्ष 2015-16 में अधिनियम के सामान्य प्रावधान के तहत कर लगाया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप दोनों निर्धारण वर्षों में ₹ 57.94 करोड़ का कर कम लगाया गया, जिसमें अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 15.43 करोड़ का ब्याज भी शामिल है। *विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर लिया और बताया कि मामले में अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई (अगस्त 2023)।* इसके अलावा, सुधारात्मक कार्रवाई के पूरा होने की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी (केंद्रीय), हैदराबाद

निर्धारिती का नाम : मेसर्स पी1 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में निर्धारण वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 से संबंधित क्रमशः ₹ 3.76 करोड़, ₹ 7.01 करोड़ और ₹ 9.63 करोड़ के एमएटी क्रेडिट को समायोजित करने की अनुमति दी। तथापि, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि दोनों निर्धारण वर्षों के लिए कर सामान्य प्रावधानों के तहत लगाया गया था। परिणामस्वरूप, आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु आगे ले जाने के लिए कोई एमएटी क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। एमएटी क्रेडिट के समायोजन की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर ₹ 27.92 करोड़ (क्रमशः निर्धारण वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए ₹ 5.72 करोड़, ₹ 9.80 करोड़ और ₹ 12.40 करोड़) का कम कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए जुलाई 2023 में निर्धारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए धारा 154 के तहत आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए मांग की वसूली का विवरण; और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला III सीआईटी प्रभार : प्र.सीआईटी-1, वडोदरा

निर्धारिती का नाम : मेसर्स जी2 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय एमएटी और सामान्य प्रावधानों के तहत भुगतान किए गए कर के अंतर के रूप में ₹ 49.85 करोड़ (₹ 71.70 करोड़ में से ₹ 21.85 करोड़ घटाकर) के एमएटी क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति दी। हालाँकि, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आय का गलत निर्धारण ₹ 139.33 करोड़ के बजाय

₹ 13.93 करोड़ किया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 23.48 करोड़ (₹ 71.70 करोड़ में से ₹ 48.22 करोड़ घटाकर) का एमएटी क्रेडिट निर्धारिती को आगे ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 26.37 करोड़ (₹ 49.85 करोड़ में से ₹ 23.48 करोड़ घटाकर) के एमएटी क्रेडिट को आगे ले जाने की अधिक अनुमति दी गई। *विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (फरवरी 2023) कि अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को दिसंबर 2022 में सुधार लिया गया है।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.3.4 व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति

हमने आठ राज्यों में ₹ 118.29 करोड़ के कर प्रभाव वाले व्यवसाय व्यय की गलत अनुमति से संबंधित 16 मामले देखे। ऐसे तीन मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11, पंजीकृत ट्रस्ट को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली आय पर छूट प्रदान करती है। धारा 2(15) धर्मार्थ उद्देश्य की परिभाषा प्रदान करती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 13(8) में यह प्रावधान है कि यदि किसी ट्रस्ट के मामले में धारा 2(15) के प्रावधान लागू होते हैं, तो ऐसा ट्रस्ट धारा 11 और 12 के तहत छूट के लिए पात्र नहीं होगा।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी-छूट, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एन2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण करते हुए, निर्धारिती की गतिविधियों को गैर-धर्मार्थ के रूप में स्थापित किया और आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया। तथापि, निर्धारिती द्वारा दावा किया गया ₹ 76.60 करोड़ का पूंजीगत व्यय स्वीकार कर लिया गया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 76.60 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 36.20 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 263 के तहत त्रुटि को सुधार लिया।* इसके अलावा, मांग की वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

धारा 43बी के अनुसार, किसी भी भविष्य निधि या सुपरएनुएशन फंड या ग्रेच्युटी फंड या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य फंड में योगदान के रूप में नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा देय कोई भी राशि केवल तभी स्वीकार्य होगी जब इसका भुगतान धारा 139(1) के तहत निर्धारित आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले किया जाए।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, बेंगलुरु**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स के1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2019-20**

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अधिनियम की धारा 143(1) के तहत आयकर विवरणी की प्रक्रिया के दौरान किए गए ₹ 34.78 करोड़ (ग्रेच्युटी के गैर-प्रेषण के लिए धारा 43बी के तहत ₹ 8.04 करोड़ और धारा 36(1)(वीए)[71] के तहत ₹ 26.74 करोड़) की अस्वीकृतियों को ₹ 202.79 करोड़ की कुल आय में वापस नहीं जोड़ा। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 34.78 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.92 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने अवलोकन को स्वीकार करते हुए सूचित किया (अप्रैल 2024) कि जनवरी 2023 में ₹ 8.04 करोड़ की चूक के लिए अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार आदेश पारित किया गया था।* हालाँकि, ₹ 26.74 करोड़ की चूक के संबंध में सुधार की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

अधिनियम की धारा 44एबी के तहत कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट/प्रमाणपत्र जांच निर्धारण के पूरा होने पर बहुत महत्व रखते हैं। लेखाकार द्वारा रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों के महत्व को सीबीडीटी परिपत्र संख्या 387 दिनांक 6 जुलाई 1984 में उजागर किया गया है। धारा 43बी(बी) के अनुसार, किसी भी भविष्य निधि या सुपरएनुएशन फंड या ग्रेच्युटी फंड या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य फंड में योगदान के रूप में नियोक्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा देय कोई भी राशि केवल तभी स्वीकार्य होगी जब इसका भुगतान धारा 139(1) के तहत निर्धारित आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले किया जाए। कर्मचारियों

[71] निर्धारिती द्वारा अपने किसी कर्मचारी से प्राप्त कोई राशि, जिस पर धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (x) के प्रावधान लागू होते हैं, यदि ऐसी राशि निर्धारिती द्वारा कर्मचारी के खाते में संबंधित निधि या निधियों में नियत तिथि को या उससे पहले जमा कर दी जाती है।

के अवकाश नकदीकरण व्यय का भुगतान निर्धारिती नियोक्ता द्वारा किए जाने की अनुमति के संबंध में धारा 43बी(एफ) के अंतर्गत भी ऐसा ही प्रावधान है।

मामला III	**सीआईटी चार्ज**	**:**	**प्र. सीआईटी-I, भुवनेश्वर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एन1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2019-20**

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अवकाश नकदीकरण के लिए व्यय को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसका भुगतान आयकर विवरणी दाखिल करने पर या उससे पहले नहीं किया गया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, ₹ 2,786.02 करोड़ के बजाय ₹ 2,816.56 करोड़ की निर्धारित आय को माना। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 44.06 करोड़ की आय का शुद्ध निर्धारण कम हुआ, जिसका कर प्रभाव ₹ 15.40 करोड़ था।

विभाग ने प्रथम दृष्टया लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2023) और तत्पश्चात, अधिनियम की धारा 263 के तहत आदेश पारित करते हुए, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद आवश्यक परिवर्धन करने के लिए निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिया (मार्च 2024)।

अंतिम कार्रवाई का विवरण और मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.4 चूक के कारण कर निर्धारण से बचने वाली आय

3.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तव में प्राप्त या उपार्जित, या प्राप्त या उपार्जित मानी जाने वाली सभी आय शामिल होगी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने या तो कुल आय का आकलन नहीं किया या कम आकलन किया, जिस पर कर लगाया जाना आवश्यक था। नीचे दी गई तालिका 3.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है, जिनके परिणामस्वरूप त्रुटियों के कारण आय का आकलन नहीं किया गया।

तालिका 3.3: त्रुटियों के कारण आय से बचने वाले आकलन के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियाँ

उप-श्रेणियाँ	संख्या	टीई (₹ करोड़ में)	राज्य
विशेष प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण नहीं किया गया/कम निर्धारण किया गया	5	605.36	महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु।
सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण नहीं किया गया/कम निर्धारण किया गया	16	269.80	बिहार, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।
पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	2	2.95	दिल्ली और महाराष्ट्र.
आर्म्स लेंथ मूल्य का गलत आकलन	8	22.49	दिल्ली और केरल.
अस्पष्टीकृत निवेश/नकद ऋण	3	44.23	महाराष्ट्र और पंजाब
टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	4	104.44	दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल
कुल	**38**	**1,049.27**	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अनिर्धारित/कम-निर्धारित आय

हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने तीन राज्यों में ₹ 605.36 करोड़ के कर प्रभाव वाले पांच मामलों में विशेष प्रावधानों के तहत या तो आय का आकलन नहीं किया या कम आय का आकलन किया। ऐसे दो मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मैक डॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड बनाम सीटीओ (1985) 154 आईटीआर 148 (एससी) के मामलें में माना कि कर नियोजन वैध हो सकता है बशर्ते यह कानून के दायरे में हो। रंगीन उपकरण कर नियोजन का हिस्सा नहीं हो सकते, और यह विश्वास करना या मानना गलत है कि संदिग्ध तरीकों का सहारा लेकर कर भुगतान टालना सम्मानजनक है। हर नागरिक का दायित्व है कि वह छल-कपट का सहारा लिए बिना ईमानदारी से कर का भुगतान करे। इसके अलावा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेबी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के उद्देश्य के लिए बही लाभ की गणना के लिए तरीका प्रदान करती है। धारा 115जेबी एक मान लेने वाला प्रावधान है, और लाभ से किए जाने वाले जोड़ या घटाव; इस प्रकार, बही लाभ की गणना के लिए स्पष्टीकरण 1 द्वारा निर्धारित समायोजन किया जाता है।

मामला ।	**सीआईटी चार्ज**	**:**	**प्र. सीआईटी-8, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स आर2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16 और 2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने क्रमशः दिसंबर 2018 और जनवरी 2020 में निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण पूरा किया, जिसमें आगे

ले जाए गए घाटे का समायोजन करने की अनुमति देने के बाद दोनों निर्धारण वर्ष के लिए शून्य आय का निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारण को इस तथ्य पर विचार किए बिना अंतिम रूप दिया गया कि निर्धारिती ने पिछले वर्षों में अपने समूह की कंपनियों को ₹ 980 करोड़ के ऋण और अग्रिम देकर ₹ 860 करोड़ का कृत्रिम बही घाटा दिखाया और ऐसे ऋण और अग्रिम को ₹ 120 करोड़ के विचार पर एक अन्य कंपनी को सौंप दिया जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक ने लेनदेन को निष्पक्ष मूल्य से कम पर किया गया लेनदेन बताया। इसी प्रकार, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारण को इस तथ्य पर विचार किए बिना अंतिम रूप दिया गया कि निर्धारिती ने पिछले वर्षों में अपनी समूह कंपनी को ₹ 1,450 करोड़ का पूंजी अग्रिम देकर और इस तरह के पूंजी अग्रिम को ₹ 100 करोड़ की भारी छूट पर एक अन्य कंपनी को सौंपकर ₹ 1,350 करोड़ का कृत्रिम घाटा दर्ज किया, जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अधिनियम की धारा 115जेबी के एक विशेष प्रावधान के तहत बही लाभ की गणना करने के लिए इन कृत्रिम घाटे को जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए क्रमशः ₹ 826.86 करोड़ और ₹ 1,350 करोड़ के बही मुनाफे का कम निर्धारण हुआ, जिसमें निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए क्रमशः ₹ 176.46 करोड़ और ₹ 288.11 करोड़ का कम कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्तीयों को स्वीकार करते हुए सूचित किया (दिसंबर 2022) कि शुरुआत से निर्धारण की कार्यवाही एनएएफ़एसी के पास लंबित है।* विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी में यह परिकल्पित किया गया है कि जहां किसी निर्धारिती के मामले में, जो एक कंपनी है, किसी पिछले वर्ष के संबंध में अधिनियम के तहत संगणित कुल आय पर देय आयकर उसके बही लाभ के अठारह और आधा प्रतिशत से कम है, ऐसे बही लाभ को निर्धारिती की कुल आय माना जाएगा और निर्धारिती द्वारा ऐसी कुल आय पर देय कर अठारह और आधा प्रतिशत की दर से आयकर की राशि होगी। "बही लाभ" का अर्थ है संबंधित पिछले वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में दिखाया गया लाभ, जो निर्धारित समायोजन द्वारा बढ़ाया/घटाया गया है। धारा 115जेबी(1) के तहत स्पष्टीकरण 1 के अनुसार,

'धारा 33एसी के तहत निर्दिष्ट रिजर्व के अलावा किसी भी नाम वाले किसी भी सुरक्षित कोष में ले जाई गई कोई भी राशि' को संबंधित पिछले वर्ष के लाभ/हानि में जोड़ा जाएगा।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-3, चेन्नई'**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एस6 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, सामान्य प्रावधान के तहत आय को 'शून्य' और अधिनियम की धारा 115जेबी के विशेष प्रावधान के तहत बही लाभ को ₹ 171.71 करोड़ निर्धारित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि बही लाभ की गणना करते समय, निर्धारिती ने लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए 'अनपेक्षित जोखिमों के लिए सुरक्षित कोष' के कारण ₹ 456.44 करोड़ को वापस नहीं जोड़ा, और निर्धारण अधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई। चूंकि अधिनियम की धारा 33एसी के तहत निर्दिष्ट सुरक्षित कोष के अलावा किसी भी सुरक्षित कोष में ले जाई गई कोई भी राशि, बही लाभ की गणना के लिए निर्धारित समायोजन के अनुसार बही लाभ का हिस्सा है, इसलिए निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती के बही लाभ के साथ ₹ 456.44 करोड़ वापस जोड़ना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 456.44 करोड़ के बही लाभ का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एमएटी के तहत ₹ 97.41 करोड़ का कर कम वसूला गया। *विभाग ने मार्च 2024 में अधिनियम की धारा के तहत एक संशोधन आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की, जिसमें निर्धारण अधिकारी को इस मुद्दे पर एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।* अधिनियम की धारा 263 के तहत आदेश को प्रभावी करने की स्थिति की प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय का निर्धारण नहीं किया गया/कम निर्धारण किया गया

हमने पाया कि 11 राज्यों में ₹ 269.80 करोड़ के कर प्रभाव वाले 16 मामलों में निर्धारण अधिकारी ने या तो आय का आकलन नहीं किया या सामान्य

प्रावधानों के तहत आय का कम आकलन किया। ऐसे तीन मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

अधिनियम की धारा 143(3) में प्रावधान है कि जांच आकलन में, आकलन अधिकारी (निर्धारण अधिकारी) को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही आकलन करना होगा और ऐसे आकलन के आधार पर उसके द्वारा देय या उसे वापस की जाने वाली सही राशि निर्धारित करनी होगी।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-5, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स आई2 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

मार्च 2022 में धारा 263 और 144बी के साथ धारा 143(3) के तहत संशोधन आदेश को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2018 में धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण में निर्धारित ₹ 87.68 करोड़ की पूर्व निर्धारित आय पर विचार नहीं किया। परिणामस्वरूप, निर्धारित आय ₹ 426.29 करोड़ की सही निर्धारित आय के मुकाबले ₹ 338.61 करोड़ आई। इसके अलावा, आयकर गणना पत्रक में ₹ 68.89 करोड़ के आगे लाए गए घाटे को गलत तरीके से समायोजित किया गया और कुल आय ₹ 290.51 करोड़ आई। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 135.78 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज और अतिरिक्त प्रतिदाय सहित ₹ 132.29 करोड़ का कर कम लगाया गया। लेखापरीक्षा अभियुक्ति नवंबर 2022 में विभाग को सूचित किया गया लेकिन विभाग से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 56 "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत उन आय पर कराधान से संबंधित है जो अन्य आय शीर्षकों के अंतर्गत प्रभार्य नहीं हैं, तथा इसके अंतर्गत उप-धारा (2) विभिन्न प्रकार की आय निर्दिष्ट करती है। इसके अंतर्गत उप-खंड (x)(b)(A) निर्धारित करता है कि "जहां कोई व्यक्ति किसी पिछले वर्ष में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से 1 अप्रैल 2017 को या उसके पश्चात, कोई अचल संपत्ति, बिना किसी प्रतिफल के, प्राप्त करता है जिसका स्टाम्प शुल्क मूल्य पचास हजार से अधिक है, ऐसी संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य" आयकर के लिए प्रभार्य है।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स टी1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2019-20**

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में धारा 143(3) के तहत ₹ 13.96 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा किया, जिसमें निर्धारिती की दाखिल की गई आय को स्वीकार किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने (अक्टूबर 2010) एक संयुक्त विकास समझौता (जेडीए) किया, जिसके अनुसार उसकी भूमि का कब्ज़ा वाणिज्यिक विकास के लिए डेवलपर (आरएमजेड ग्रुप) को सौंप दिया गया (अक्टूबर 2010) और भूमि के डेवलपर के हिस्से के लिए ₹ 57.29 करोड़ का कर अधिनियम की धारा 45 के तहत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) के रूप में कर लगाया गया। निर्माण पूरा होने पर, वित्त वर्ष 2018-19 में निर्धारिती को विकसित संपत्ति (4.98 लाख वर्ग फीट) का अपना हिस्सा (38 *प्रतिशत*) प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत ₹ 242.09 करोड़ थी। चूंकि निर्धारिती ने डेवलपर से बिना किसी प्रतिफल के अचल संपत्ति यानी विकसित संपत्ति प्राप्त की, इसलिए अधिनियम की धारा 142(1) के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में दर्शाई गई संपत्ति का वर्तमान मूल्य ₹ 242.09 करोड़ है, जो अधिनियम की धारा 56(2)(x) के अनुसार निर्धारण वर्ष 2019-20 में कर के लिए प्रभार्य था। हालांकि, इस मुद्दे का संज्ञान लिए बिना ही संवीक्षा निर्धारण संपन्न हो गया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 184.75 करोड़ (₹ 242.09 करोड़ माइनस निर्धारण वर्ष 2011-12 में प्रस्तावित ₹ 57.29 करोड़) की आय का कम निर्धारण हुआ और परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 69.61 करोड़ का कर नहीं लगाया गया। *विभाग ने अप्रैल 2024 में अधिनियम की धारा 263 के तहत एक आदेश पारित करके सुधारात्मक उपाय शुरू किए।* विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारियों को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही आकलन करना तथा निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि निर्धारित करना आवश्यक है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 147 में कहा गया है कि यदि कर के लिए प्रभार्य कोई आय, निर्धारिती के मामलें में, किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर से बच गई है, तो निर्धारण अधिकारी धारा 148 से 153 के प्रावधानों के अधीन, ऐसी आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है या ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए हानि या मूल्यह्रास अनुमति या किसी अन्य अनुमति या कटौती की पुनः गणना कर सकता है।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मैसर्स जी1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2013-14**

मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2015 में अधिनियम की धारा 153ए/144 के तहत निर्धारित ₹ 22.45 करोड़ की आय का संज्ञान नहीं लिया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 22.45 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 9.80 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2024) कि जनवरी 2024 में अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई।* आगे, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.4.4 पूंजीगत लाभ की गलत गणना/वर्गीकरण

हमने दो राज्यों में ₹ 2.95 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े पूंजीगत लाभ की गलत गणना/वर्गीकरण से संबंधित दो मामलें देखे। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

अधिनियम की धारा 143(3) में प्रावधान है कि संवीक्षा आकलन में, आकलन अधिकारी (निर्धारण अधिकारी) को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही आकलन करना होगा तथा ऐसे आकलन के आधार पर उसके द्वारा देय या वापसी योग्य सही राशि निर्धारित करनी होगी।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी-7, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एस7 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 144 और 144बी के साथ धारा 147 के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अचल संपत्ति की कुल बिक्री से संबंधित ₹ 6.10 करोड़ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में निर्धारिती की आय में वापस जोड़ दिया। हालांकि, निर्धारिती की ओर से किसी भी प्रतिक्रिया/प्रस्तुति के अभाव में, इसे राजस्व के हित में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार, कर लगाया जाना चाहिए। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप परिणामी ब्याज सहित ₹ 1.72 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने अगस्त 2023 में अधिनियम की धारा 147 के साथ*

धारा 154 के तहत सुधार आदेश पारित किया। इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.4.5 आर्म्स लेंथ मूल्य का गलत अनुमान

हमने दो राज्यों में आर्म्स लेंथ मूल्य (एएलपी) के गलत आकलन से संबंधित आठ मामलें देखे, जिनमें ₹ 22.49 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। ऐसे दो मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92सीए में यह प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति, निर्धारिती होने के नाते, किसी पिछले वर्ष में कोई अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करता है और निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से धारा 92सी के तहत उक्त अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में आर्म्स लेंथ मूल्य (एएलपी) की गणना को स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को संदर्भित कर सकता है। इसके अलावा, धारा 92सी में यह प्रावधान है कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में निष्पक्ष मूल्य का निर्धारण किसी भी विधि द्वारा किया जाएगा, जो कि लेनदेन की प्रकृति या लेनदेन के वर्ग या संबन्धित व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों या बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त विधि होगी।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (टीपी)-2 बेंगलुरू कोच्चि में**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स सी2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

जुलाई 2021 में धारा 92सीए(3) के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग ऑर्डर को अंतिम रूप देते समय टीपीओ ने तुलनीय कंपनियों के लेन-देन संबंधी शुद्ध मार्जिन विधि (टीएनएमएम) के माध्यम से लाभ स्तर संकेतक (पीएलआईएस) निर्धारित किए और 5.79 *प्रतिशत* के औसत पीएलआई पर पहुंचे। हालांकि, एएलपी (आर्म्स लेंथ मूल्य) की गणना करते समय टीपीओ ने 5.79 *प्रतिशत* के औसत पीएलआई के बजाय 2.94 *प्रतिशत* पीएलआई लिया और परिचालन राजस्व ₹ 506.17 करोड़ के मुकाबले ₹ 492.58 करोड़ निकाला। इसके परिणामस्वरूप स्थानांतरण मूल्य समायोजन में ₹ 13.59 करोड़ की कमी आई, जिसका कर प्रभाव ₹ 6.78 करोड़ रहा। *विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि अधिनियम की धारा 92सीए(5) के साथ धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई मई 2023*

में पूरी कर ली गई। हालांकि, निर्धारण प्रभार द्वारा टीपीओ द्वारा पारित आदेश को प्रभावी करने वाला आदेश प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी(टीपी)-3, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एम1 लि.**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

टीपीओ ने पात्र इकाई के एएलपी की गणना करते समय, सही राशि ₹ 8.58 करोड़ के बजाय आर्म्स लेंथ मूल्य और संचालन राजस्व के अंतर को ₹ 3.33 करोड़ के रूप में लिया। इस प्रकार, ऊपर की ओर स्थानांतरण मूल्य समायोजन ₹ 8.11 करोड़ के मुकाबले ₹ 3.15 करोड़ के रूप में काम किया गया। इस विसंगति के परिणामस्वरूप ₹ 4.96 करोड़ का कम समायोजन हुआ जिसमें ₹ 1.64 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 92सीए(5) के साथ धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की।* हालांकि, निर्धारण शुल्क द्वारा टीपीओ द्वारा पारित आदेश को प्रभावी करने वाला आदेश प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.4.6 अस्पष्टीकृत निवेश/नकद ऋण

हमने दो राज्यों में ₹ 44.23 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े अस्पष्टीकृत निवेश/नकद ऋण से संबंधित तीन मामलें देखे। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-6 मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स ई1 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 144 के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, विविध लेनदारों को छोड़कर अस्पष्टीकृत असुरक्षित ऋण के कारण जोड़ दिया। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ₹ 4.43 करोड़ के असुरक्षित ऋण और ₹ 8.14 करोड़ के विविध लेनदारों की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए सीएएसएस के तहत जांच के लिए मामला चुना गया था। चूंकि विविध लेनदारों और अन्य देय राशियों के बारे में

विवरण भी अस्पष्ट रहे, इसलिए उन्हें वापस जोड़ना आवश्यक था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 8.14 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.69 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (अक्टूबर 2023) कि मई 2023 में धारा 147 के साथ धारा 144 के तहत आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की गई।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.4.7 टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक

हमने चार राज्यों में ₹ 104.44 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक से संबंधित चार मामलें देखे। ऐसे तीन मामलें नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 40ए(आईए) में यह प्रावधान है कि किसी निवासी को देय कोई ब्याज, कमीशन या दलाली, किराया, रॉयल्टी, पेशेवर सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार को, निवासी होने के नाते, कोई कार्य करने के लिए (किसी कार्य को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) देय राशि, जिस पर अध्याय XVII-बी के तहत स्रोत पर कर कटौती योग्य है और ऐसा कर नहीं काटा गया है या कटौती के बाद, अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है, इस प्रकार भुगतान की गई राशि की तीस प्रतिशत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी, हिसार**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स जे2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2021 में धारा 143(3) के तहत ₹ 619.61 करोड़ की निर्धारित आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए दूसरों को दिए गए ब्याज के लिए ₹ 395.45 करोड़ के व्यय की अनुमति दी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (टीएआर) (फॉर्म 3सीडी) से पाया कि धारा 194ए के तहत ₹ 35.20 करोड़ की प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज के भुगतान पर स्रोत पर कर काटा गया, जबकि निर्धारिती द्वारा दाखिल आयकर विवरणी में लाभ और हानि खाते के अनुसार ₹ 395.45 करोड़ का ब्याज भुगतान

किया गया। इस प्रकार, ₹ 360.25 करोड़ के शेष ब्याज भुगतान का 30 *प्रतिशत*, जिस पर स्रोत पर कर नहीं काटा गया, को अस्वीकार किया जाना आवश्यक था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 108.08 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 50.47 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। इसके अलावा, टीएआर से यह भी पाया गया कि व्यावसायिक/परामर्श सेवाओं के भुगतान पर धारा 194जे के तहत स्रोत पर ₹ 83.23 करोड़ की कर कटौती की गई। हालांकि, आयकर विवरणी के अनुसार, तकनीकी सेवाओं के लिए व्यावसायिक/परामर्श शुल्क का भुगतान ₹ 45.62 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 37.61 करोड़ के व्यय का अंतर, जो कि स्पष्ट नहीं था, को आय में वापस जोड़ा जाना आवश्यक था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 37.61 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 39.20 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। इस प्रकार, कुल ₹ 89.67 करोड़ का कर कम लगाया गया। विभाग के उत्तर की प्रतीक्षित है, हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने अगस्त 2024 में अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(ए)(आई) में प्रावधान है कि भारत के बाहर या किसी अनिवासी को देय कोई राशि (वेतन के अलावा) जो प्राप्तकर्ता के हाथों में भारत में कर योग्य है, उसे कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि इसका भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बिना किया जाता है या यदि कर काटा जाता है लेकिन आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि तक केंद्र सरकार के पास जमा नहीं किया जाता है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम 1961 में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234ए में निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, स्पष्टीकरण-3 में प्रावधान है कि जहां धारा 147 या 153ए के तहत पहली बार निर्धारण किया जाता है, तो इस तरह किया गया निर्धारण इस धारा के प्रयोजन के लिए नियमित निर्धारण माना जाएगा। अधिनियम की धारा 234सी में निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के कारण ब्याज लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) में प्रावधान है कि संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही आकलन करना होगा और ऐसे आकलन के आधार पर उसके द्वारा देय या उसे वापसी योग्य सही राशि निर्धारित करनी होगी।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (केंद्रीय)-1, दिल्ली**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स एस2 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 147 के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय स्रोत पर कर कटौती किए बिना एक विदेशी कंपनी को भुगतान किए गए ₹ 11.75 करोड़ के विदेशी प्रेषण का 30 *प्रतिशत* अस्वीकार कर दिया। हालांकि, निर्धारण अधिकारी को ₹ 3.52 करोड़ (₹ 11.75 करोड़ का 30 *प्रतिशत*) के बजाय ₹ 11.75 करोड़ के 100 *प्रतिशत* विदेशी प्रेषण को अस्वीकार करना चाहिए था। इस विसंगति के परिणामस्वरूप आय का ₹ 8.22 करोड़ (₹ 11.75 करोड़ *माइनस* ₹ 3.52 करोड़) कम निर्धारण हुआ। इसके अलावा, विभाग ने केवल नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीने की देरी के लिए धारा 234ए के तहत ब्याज लगाया। हालांकि, निर्धारिती, एक गैर-फाइलर होने के नाते, अक्टूबर 2016 से 66 महीने के लिए धारा 234ए के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, यानी, देय तिथि के तुरंत बाद का दिन, मार्च 2022 में निर्धारण पूरा होने तक। लेखापरीक्षा ने आगे नोट किया कि विभाग ने धारा 234सी के तहत ₹ 31.09 लाख का ब्याज लगाया, हालांकि निर्धारिती, एक गैर-फाइलर, धारा 234सी के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 10.61 करोड़ का कर कम लगाया गया। लेखापरीक्षा अभियुक्ति जून 2022 में विभाग को सूचित किया गया था, लेकिन कई अनुस्मारक के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला (मार्च 2025)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

अधिनियम की धारा 40ए(आईए) में यह प्रावधान है कि किसी निवासी को देय कोई ब्याज, कमीशन या ब्रोकरेज, किराया, रॉयल्टी, पेशेवर सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार को, निवासी होने के नाते, कोई कार्य करने के लिए (किसी कार्य को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित) देय राशि, जिस पर अध्याय XVII-बी के तहत स्रोत पर कर कटौती योग्य है और ऐसा कर नहीं काटा गया है या कटौती के बाद, अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है, इस प्रकार भुगतान की गई राशि का तीस प्रतिशत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, कोलकाता**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स ए3 प्राइवेट लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 144/147 के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 6.77 करोड़ की वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जो ₹ 22.55 करोड़ के व्यय का 30 *प्रतिशत* था, जिस पर निर्धारिती द्वारा स्रोत पर कर काटा गया, लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने निर्धारण आदेश के पैरा 10.2 से पाया कि निर्धारण अधिकारी ने ₹ 6.77 करोड़ के बजाय ₹ 6.77 करोड़ का 30 *प्रतिशत*, यानी ₹ 2.03 करोड़ जोड़ा। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 4.74 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ, जिसका कर प्रभाव ₹ 3.73 करोड़ था। *विभाग ने धारा 263 के तहत एक आदेश पारित किया (मार्च 2024) और तत्पश्चात निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2024 में इस आदेश को प्रभावी करने वाला आदेश पारित किया।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

3.5.1 आय का अधिक निर्धारण कर/ब्याज का अधिक प्रभार न केवल कर निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी की ओर से उचित परिश्रम की कमी/ देय कर की गणना करते समय आईटीडी प्रणालियों की कमज़ोरियों को इंगित करता है, बल्कि वास्तविक निर्धारिती के लिए संभावित रूप से परिहार्य कठिनाई का कारण भी बन सकता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में ₹ 1,204.48 करोड़ के कर और ब्याज के अधिक प्रभार से जुड़े 40 मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया। ऐसे तीन मामलें नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234बी में यह प्रावधान है कि यदि कोई निर्धारिती, जो धारा 208 के अंतर्गत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रहता है या जहां ऐसे निर्धारिती द्वारा धारा 210 के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के नब्बे प्रतिशत से कम है, तो ऐसे निर्धारिती को ऐसे वित्त वर्ष के बाद आने वाले अप्रैल के प्रथम दिन से लेकर नियमित कर निर्धारण के अंतर्गत कुल आय के निर्धारण की तिथि तक की अवधि में सम्मिलित प्रत्येक

माह या माह के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-3, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स ए4 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2022 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत ₹ 2,326.17 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर गणना पत्रक में ₹ 692.32 करोड़ के बजाय ₹ 1,385.09 करोड़ का ब्याज धारा 234बी के तहत गलती से लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234बी के तहत ₹ 692.77 करोड़ का ब्याज अधिक लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (जनवरी 2023) कि जनवरी 2023 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधार लिया गया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए में यह प्रावधान है कि यदि आयकर विवरणी निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो निर्धारिती को आयकर विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि के तुरंत बाद की तिथि से प्रारंभ होकर आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि तक एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-3, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स बी1**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2020 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद ₹ 67,699.22 करोड़ की आय पर कर देयता की गणना करते समय, अधिनियम की धारा 234ए के तहत ₹ 167.34 करोड़ का ब्याज लगाया था, हालांकि ऐसा कोई ब्याज देय नहीं था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 167.34 करोड़ का ब्याज अधिक लगाया गया। *लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने जून 2022 में त्रुटि को सुधारा।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-4, मुंबई**
	निर्धारिती का नाम	**:**	**मेसर्स जे1 लिमिटेड**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 144 के साथ धारा 147 के तहत ₹ 368.32 करोड़ की आय पर पुनर्मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, अधिनियम की धारा 68 के तहत अघोषित आय के लिए ₹ 218.85 करोड़ की वृद्धि की, जो क्रमशः 60 *प्रतिशत* और 25 *प्रतिशत* की विशेष दर पर कर और अधिभार के लिए देय है और शेष ₹ 149.47 करोड़ की राशि क्रमशः 30 *प्रतिशत* और 12 *प्रतिशत* की सामान्य दर पर कर और अधिभार के लिए देय है।

हालांकि, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, कर गणना पत्रक में ₹ 149.47 करोड़ के सही आंकड़े के बजाय सामान्य दर पर कर और अधिभार के लिए देय ₹ 368.18 करोड़ को अपनाया गया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 83.50 करोड़ का कर और ब्याज का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार कर लिया (फरवरी 2023) और नवंबर 2022 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधार लिया।* सुधार आदेश के सत्यापन पर, यह पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने सामान्य आय पर 30 *प्रतिशत* की सही दर के बजाय 29 *प्रतिशत* की दर से कर लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.72 करोड़ का कर कम लगाया गया। सुधारात्मक कार्रवाई के पूरा होने की आगे की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

संस्तुतियाँ

(i) कर और अधिभार की गलत दरों का प्रयोग, ब्याज लगाने में त्रुटियाँ, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आयकर विभाग के आंतरिक नियंत्रण में कमज़ोरियों की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें आईटीबीए सिस्टम प्रॉम्प्ट के माध्यम से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे निर्धारण अधिकारी मामलें को अंतिम रूप देने से पहले गणनाओं को सत्यापित कर सकें।

(ii) जबकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में सुधार शुरू करने के लिए कार्रवाई की है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि ये केवल कुछ

उदाहरणात्मक मामलें हैं, जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई है। गैर-संवीक्षा निर्धारण सहित सभी मूल्यांकनों के पूरे यूनिवर्स में, चूक या भूल की ऐसी त्रुटियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीबीडीटी को न केवल वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए मूल्यांकनों की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक पूर्णतया सुरक्षित आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है।

(iii) सीबीडीटी इस बात की जांच कर सकता है कि क्या देखी गई "त्रुटियां" चूक की त्रुटियां हैं या भूल की, और यदि ये भूल की त्रुटियां हैं, तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय IV: आयकर

4.1 परिचय

4.1.1 इस अध्याय में 194 उच्च मूल्य वाले गैर-निगमित मामलों (इस रिपोर्ट के पैरा 2.4.4 देखें) पर चर्चा की गई है, जिसमें 211 निर्धारण और ₹ 1,677.15 करोड़[72] का कुल कर प्रभाव शामिल है, जिन्हें अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक मंत्रालय को भेजा गया। इन 194 मामलों में से, मंत्रालय ने मार्च 2025 तक केवल छह मामलों में जवाब दिया है। आयकर विभाग ने ₹ 1,150.96 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) से जुड़े 73 मामलों को स्वीकार किया, जबकि आयकर विभाग ने ₹ 2.63 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े दो मामलों में लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा, 194 मामलों में से, आयकर विभाग ने ₹ 1,589.65 करोड़ के कर प्रभाव वाले 175 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है, ₹ 36.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है, ₹ 1.47 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले में आंशिक सुधारात्मक कार्रवाई की है और ₹ 49.86 करोड़ के कर प्रभाव वाले शेष सात मामलों में आयकर विभाग ने मार्च 2025 तक कोई कार्रवाई नहीं की है/शुरू नहीं की है।

4.1.2 त्रुटियों की श्रेणियों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- निर्धारण की गुणवत्ता (106 मामलें)
- कर रियायतों/छूट/कटौतियों का प्रशासन (29 मामलें)
- चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय (21 मामलें)
- अन्य - कर/ब्याज का अधिक प्रभार (38 मामलें)

बाद के पैराग्राफ में ऊपर उल्लिखित त्रुटियों की प्रत्येक श्रेणी के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरणात्मक मामलों की पहचान मुद्दों के महत्व और शामिल कर प्रभाव के आधार पर की गई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मुद्दों के व्यापक कवरेज के लिए, आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय संरचनाओं के मामलों पर विचार किया गया है।

---

[72] इसमें ₹ 400.73 करोड़ का अतिरिक्त प्रभार शामिल है

4.2 निर्धारण की गुणवत्ता

4.2.1 कुछ मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निर्धारण में गलतियाँ कीं। गलत निर्धारण के ये मामलें आईटीडी की ओर से आंतरिक नियंत्रण में निरंतर दोषों की ओर इशारा करते हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने करने की आवश्यकता है।

नीचे दी गई तालिका 4.1 त्रुटियों की उप-श्रेणियाँ दिखाती है जिन्होंने निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण

उप श्रेणियाँ	मामलें	टीई (₹ करोड़ में)	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	42	141.31	बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. कर, अधिभार आदि की दरों का गलत अनुप्रयोग	7	598.12	गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल
ग. ब्याज लगाने में त्रुटियाँ	56	355.63	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	1	41.11	ओडिशा
कुल	**106**	**1,136.17**	

4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने आठ राज्यों में ₹ 141.31 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 42 मामलों में आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ देखीं। ऐसे तीन मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारणकर्ता की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना होगा तथा कर या प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करनी होगी, जैसा भी मामला हो। आयकर अधिनियम,

1961 की धारा 143(3ए)/(3बी)/(3सी) केंद्र सरकार को अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए निर्धारण हेतु अधिसूचना द्वारा योजना बनाने की शक्ति प्रदान करती है। उक्त अधिनियम की धारा 143(3ए) निम्नलिखित के माध्यम से अधिनियम की धारा 143(3) या धारा 144 के अंतर्गत निर्धारणकर्ता की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए एक योजना तैयार करने को अधिकृत करती है: तकनीकी रूप से संभव सीमा तक निर्धारण अधिकारी और निर्धारणकर्ता के बीच आदान-प्रदान को समाप्त करके, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके और गतिशील क्षेत्राधिकार के साथ टीम-आधारित निर्धारण शुरू करके। अधिनियम की धारा 154 में आयकर अभिलेखों में गलतियों को सुधारने या निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के तहत सुधार का प्रावधान है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (छूट), भोपाल**
	निर्धारिती	**:**	**बीवी**
	स्थिति	**:**	**गैर-मानव न्यायिक व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) सह पठित धारा 143(3ए) और 143(3बी) के तहत मार्च 2021 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, गलत तरीके से ₹ 38.98 करोड़ की सही निर्धारित आय के बजाय शून्य के रूप में निर्धारित आय की गणना की। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 18.55 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (जनवरी 2022) और फरवरी 2023 में धारा 154 के तहत फिर से सुधार किया गया।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-I, मुंबई**
	निर्धारिती	**:**	**एफएसी**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत ₹ 28.35 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा किया। बाद में

मामलें को मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 148 के तहत फिर से खोला गया और आय का पुनर्मूल्यांकन करते समय, निर्धारण अधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 69ए[73] के तहत ₹ 35.87 करोड़ की वृद्धि की। लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2022 में पुनर्मूल्यांकन समाप्त करते समय, निर्धारण अधिकारी ने मूल जांच निर्धारण के दौरान किए गए ₹ 15.47 करोड़ के परिवर्धन पर विचार करना छोड़ दिया। इसके अलावा, पुनर्मूल्यांकन आदेश में धारा 69ए के तहत किए गए ₹ 35.87 करोड़ के परिवर्धन को कर गणना पत्रक में कर लगाने से छोड़ दिया गया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 51.34 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.45 करोड़ का कम कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति (अगस्त 2023) को स्वीकार करते हुए सूचित किया कि अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती को सुधार लिया गया है (जून 2023)*। इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-13, कोलकाता**
	निर्धारिती	**:**	**एएस**
	स्थिति	**:**	**व्यक्तिगत**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के साथ धारा 144 के तहत मार्च 2022 में ₹ 12.39 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आयकर विवरणी दाखिल नहीं किया। यह मानने के कारण कि आय निर्धारण से बच गई, विभाग ने मामलें को फिर से खोला और मार्च 2021 में धारा 148[74] के तहत निर्धारिती को नोटिस दिया। निर्धारिती ने जारी किए गए किसी भी नोटिस का अनुपालन नहीं

---

[73] आयकर अधिनियम की धारा 69ए में अस्पष्टीकृत धन के मूल्यांकन का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, जहां किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का स्वामी पाया जाता है और ऐसा धन, बुलियन, आभूषण या मूल्यवान वस्तु उसके द्वारा आय के किसी स्रोत के लिए बनाए गए खातों में दर्ज नहीं है, और निर्धारिती धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के अधिग्रहण की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, कर निर्धारण अधिकारी की राय में, संतोषजनक नहीं है, तो धन और बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु का मूल्य उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय माना जाएगा।

[74] आयकर अधिनियम की धारा 148 में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि कुछ आयकर निर्धारण से बच गई है, तो वह करदाता को धारा 148 के अंतर्गत नोटिस भेज सकता है।

किया या नोटिस के अनुसार कोई आयकर विवरणी दाखिल नहीं किया। कर मांग की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने गलत तरीके से ₹ 12.39 करोड़ की सही आय के बजाय ₹ 1.24 करोड़ के रूप में निर्धारित आय पर विचार किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 11.15 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 7.54 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने अपने जवाब में कहा (सितंबर 2023) कि अधिनियम की धारा 147 के साथ धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है (मई 2023)।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.2.3 कर और अधिभार आदि की दरों का गलत अनुप्रयोग।

संबंधित निर्धारण वर्ष का वित्त अधिनियम, निर्धारितीओं की विभिन्न श्रेणियों पर लागू होने वाले कर स्लैब निर्धारित करता है। किसी भी वित्त अधिनियम की अनुसूची में आयकर की दरें, आयकर पर अधिभार, स्रोत पर कर कटौती की दरें और अग्रिम कर का विवरण दिया जाता है। निर्धारण अधिकारी के पास आयकर विवरणी की जांच करने, कर योग्य आय की पुनः गणना करने और निर्धारण आदेश और कर मांग जारी करने का अधिकार है। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलें देखे, जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय विभिन्न शुल्कों पर निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन पर कर और अधिभार की गलत दरें लागू कीं। हमने चार राज्यों में ₹ 598.12 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े सात मामलें देखे। ऐसे दो मामलें नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) में संबंधित वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार, निर्धारिती की पिछले वर्ष की कुल आय पर आयकर लगाने का प्रावधान है। 2020-21 के लिए प्रासंगिक वित्त अधिनियम में पांच करोड़ से अधिक की शुद्ध आय वाले निर्धारितिओं के लिए निर्दिष्ट स्लैब दरों[75] पर आयकर लगाने और आयकर का 37 प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रावधान है।

---

[75] ₹ पांच करोड़ से अधिक की शुद्ध आय के लिए लागू आयकर दर ₹ 1.48 करोड़ प्लस ₹ पांच करोड़ से अधिक की कुल आय का 30 *प्रतिशत* है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (केंद्रीय)-3, मुंबई**
	निर्धारिती	**:**	**मेसर्स बीसीसी**
	स्थिति	**:**	**ट्रस्ट**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2020-21**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण ₹ 3,213.71 करोड़ की आय पर पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने वैध पंजीकरण के अभाव में धारा 11 के तहत छूट देने से इनकार कर दिया और कर के उद्देश्य से निर्धारिती को एओपी माना गया। इसके अलावा, एओपी के लिए प्रासंगिक 30 *प्रतिशत* की लागू दर और 37 *प्रतिशत* के अधिभार के मुकाबले 25 *प्रतिशत* की कर दर और 10 *प्रतिशत* के अधिभार के गलत आवेदन के कारण सिस्टम द्वारा देय कर ₹ 1,373.67 करोड़ के सही कर के बजाय ₹ 919.12 करोड़ पर काम किया गया। इस गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 571.71 करोड़ का कम कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए (मार्च 2024) सूचित किया कि अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती को सुधार लिया गया है (मार्च 2022)।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम की धारा 115बीबीई में यह प्रावधान है कि जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में धारा 68/69/69ए/69बी/69सी/69डी में निर्दिष्ट कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कोई आय शामिल है, वहां देय आयकर धारा 68/69/69ए/69बी/69सी/69डी में निर्दिष्ट आय पर साठ प्रतिशत की दर से गणना की गई आयकर की राशि और कर की वह राशि जो निर्धारिती पर तब लगती यदि उसकी कुल आय को धारा 68/69/69ए/69बी/69सी/69डी में निर्दिष्ट आय की राशि से घटा दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 143(3) में यह प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही आकलन करना होगा और कर या प्रतिदाय की सही राशि, जैसा भी मामला हो, निर्धारित करना होगा।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-13, कोलकाता**
	निर्धारिती	**:**	**वीकेजी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्तिगत**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल 2021 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ धारा 144 के तहत सर्वोत्तम निर्णय तरीके से, ₹ 31.56 करोड़ की आय पर, निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, दाखिल की गई आय में धारा 69सी के तहत अस्पष्टीकृत व्यय के रूप में ₹ 31.52 करोड़ की वृद्धि की। हालांकि, अधिनियम की धारा 115बीबीई के तहत लागू विशेष दरों के बजाय सामान्य दर पर कर की गणना की गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 18.40 करोड़ का कर कम लगाया गया। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (मार्च 2025) कि दिसंबर 2022 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

4.2.4 ब्याज लगाने में त्रुटियाँ

हमने 14 राज्यों में ₹ 355.63 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 56 मामलों में ब्याज लगाने में त्रुटियाँ देखी हैं। हम अपनी अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लगातार ऐसी त्रुटियों को उजागर करते रहे हैं। इस प्रकार, यह एक आवर्ती और लगातार त्रुटि है।

ऐसे तीन मामलें नीचे दर्शाए गए है:

आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारिती की ओर से चूक के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज लगाने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 234ए में यह प्रावधान है कि यदि आयकर विवरणी नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो निर्धारिती को अधिनियम की धारा 144 के तहत नियत तिथि के तुरंत बाद की तिथि से शुरू होने वाली अवधि में शामिल प्रत्येक महीने या महीने के हिस्से के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा और आयकर विवरणी प्रस्तुत करने या निर्धारण पूरा करने की तिथि को समाप्त होना होगा। अधिनियम की धारा 234सी में निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के कारण ब्याज लगाने का प्रावधान है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी(केंद्रीय), कानपुर**
	निर्धारिती	**:**	**आरएस**
	स्थिति	**:**	**व्यक्तिगत**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18 एवं 2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में धारा 144 के साथ धारा 153ए के तहत निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः ₹ 161.68 करोड़ और ₹ 183.99 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में चूक और अधिनियम की धारा 153ए के तहत आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए जारी नोटिस का अनुपालन न करने के लिए ब्याज नहीं लगाया। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए धारा 234ए के तहत कोई ब्याज नहीं लगाया गया, जबकि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए धारा 234ए के तहत क्रमशः ₹ 61.76 करोड़ और ₹ 52.03 करोड़ की देय ब्याज राशि के बजाय ₹ 15.47 करोड़ लगाया गया। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 98.32 करोड़ (₹ 61.76 करोड़ एवं ₹ 36.56 करोड़ का जोड़) का ब्याज कम लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए (फरवरी 2024) सूचित किया कि अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती को सुधार लिया गया है (जुलाई 2023)।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी(केंद्रीय)-I, दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**आईडब्ल्यू**
	स्थिति	**:**	**व्यक्तिगत**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16 से 2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 147 के साथ धारा 144 के तहत क्रमशः ₹ 36.76 करोड़, ₹ 42.82 करोड़ और ₹ 178.32 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए ब्लॉक निर्धारण पूरा किया। निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अधिनियम की धारा 69ए के तहत क्रमशः ₹ 36.76 करोड़ और ₹ 42.82 करोड़ की कुल वृद्धि की गई। यद्यपि धारा 115बीबीई के तहत शामिल की गई आय पर 30 *प्रतिशत* की दर से कर लगाया जाना था, लेकिन इस पर व्यक्तियों पर लागू स्लैब दरों पर कर लगाया गया। इस प्रकार, क्रमशः ₹ 12.49 करोड़ और ₹ 14.82 करोड़ की सही देय राशि के बजाय ₹ 12.47 करोड़

और ₹ 14.53 करोड़ का कर लगाया गया। निर्धारिती ने न तो निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए आयकर का मूल आयकर विवरणी दाखिल किया और न ही मार्च 2021 में धारा 148 के तहत जारी नोटिस के जवाब में आयकर विवरणी दाखिल किया और सभी निर्धारण वर्ष के लिए गैर-अनुपालन रहा। तदनुसार, निर्धारण को नियमित निर्धारण माना जाना था और धारा 234ए के तहत 79 महीने (सितंबर 2015 से मार्च 2022), 68 महीने (अगस्त 2016 से मार्च 2022) और 56 महीने (अगस्त 2017 से मार्च 2022) के लिए क्रमशः ₹ 9.80 करोड़ , ₹ 10.08 करोड़ और ₹ 77.14 करोड़ का ब्याज लगाया जाना था। हालांकि, बिना किसी औचित्य के केवल 11 महीनों के लिए ₹ 1.36 करोड़, ₹ 1.60 करोड़ और ₹ 15.15 करोड़ का ब्याज लगाया गया। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के तहत ब्याज की कम वसूली सहित कुल ₹ 79.43 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने तीनों निर्धारण वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती को सुधार लिया है (अगस्त 2022)।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी(केंद्रीय)-I, चेन्नई'**
	निर्धारिती	**:**	**जेसी**
	स्थिति	**:**	**ट्रस्ट (एओपी)**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2011-12 से 2016-17**

मार्च 2022 में धारा 153ए के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने धारा 234बी के तहत ₹ 8.26 करोड़ (नि.व. 2011-12), ₹ 9.58 करोड़ (नि.व. 2012-13), ₹ 6.93 करोड़ (नि.व. 2013-14), ₹ 8.41 करोड़ (नि.व. 2014-15), ₹ 12.22 करोड़ (नि.व. 2015-16) और ₹ 7.86 करोड़ (नि.व. 2016-17) की सीमा तक कुल मिलाकर ₹ 53.27 करोड़ का ब्याज कम लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.27 करोड़ का ब्याज कम लगाया गया। *विभाग ने नवंबर 2022 में सभी निर्धारण वर्षों के लिए धारा 154 के तहत गलतियों को सुधार लिया। हालाँकि,*

निर्धारण वर्ष 2016-17 के संबंध में, विभाग ने सुधार आदेश में ₹ 14.08 करोड़ के मुकाबले ₹ 7.82 करोड़ का ब्याज लगाया। विभाग ने इस गलती को सुधार लिया और मई 2023 में सुधार आदेश पारित कर दिया। इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.2.5 अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने एक राज्य में ₹ 41.11 लाख के कर प्रभाव से संबंधित अतिरिक्त प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित एक मामला देखा। मामला नीचे दर्शाया गया है:

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही आकलन करना होगा तथा देय कर या प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करनी होगी, जैसा भी मामला हो। अधिनियम की धारा 237 निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त कर की वापसी से संबंधित है। अधिनियम की धारा 244ए निर्धारिती को देय प्रतिदाय पर अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ब्याज के भुगतान से संबंधित है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर**
	निर्धारिती	**:**	**मेसर्स पीपीटी**
	स्थिति	**:**	**स्थानीय प्राधिकारी**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2013-14 एवं 2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2021 में अधिनियम की धारा 254 के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा किया, जिसमें क्रमशः निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए ₹ 183.96 करोड़ और ₹ 430.04 करोड़ की आय निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर देयता की गणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 6.75 करोड़ की मांग के बजाय ₹ 15.44 करोड़ के प्रतिदाय और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 49.72 करोड़ की मांग के बजाय ₹ 30.82 करोड़ की मांग उत्पन्न की। गणना में इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 41.11 करोड़ की कुल कम मांग हुई (निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 22.20 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 18.91 करोड़)। *विभाग ने दोनों वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार कर लिया (जून 2023) और निर्धारण वर्ष 2013-14 के*

लिए अधिनियम की धारा 264 के साथ धारा 143(3) के तहत (जुलाई 2024) और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए नवंबर 2023 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की। इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 अधिनियम अध्याय VI-ए के तहत कुल आय की गणना करने में और इसके प्रासंगिक प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए निर्धारिती को रियायतें/छूट/कटौतियाँ प्रदान करता है। हमने पाया कि कुछ मामलों में, कर अधिकारियों ने अनियमित रूप से अयोग्य लाभार्थियों को कर रियायतों/छूट/कटौतियों का लाभ दिया था।

नीचे दी गई तालिका 4.2 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है, जिन्होंने कर रियायतों/छूट/कटौतियों के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 4.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियाँ

उप-श्रेणियाँ	संख्या	टीई (₹ करोड़ में)	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	4	6.20	गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान
ख. एओपी/फर्म/एजेपी/ सोसायटी/ ट्रस्ट को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	7	23.50	गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
ग. व्यवसाय व्यय की गलत अनुमति	9	14.08	असम, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
घ. मूल्यह्रास/व्यवसायिक घाटे/ पूंजीगत घाटे की अनुमति देने में अनियमितता	9	18.64	गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
कुल	**29**	**62.42**	

4.3.2 व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौतियाँ/राहत

हमने तीन राज्यों में ₹ 6.20 करोड़ के कर प्रभाव वाले चार मामलों में व्यक्तियों को दी गई अनियमित कटौतियों को देखा। एक मामले का विवरण नीचे दिया गया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 में यह प्रावधान है कि यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य कोई आय निर्धारण से छूट गई है, तो वह धारा 148 से 153 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी आय का तथा कर योग्य किसी अन्य आय का, जो निर्धारण से छूट गई है तथा जो धारा 147 के अधीन कार्यवाही के दौरान बाद में उसके संज्ञान में आती है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है, या संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए, जैसा भी मामला हो, हानि या मूल्यह्रास अनुमति या किसी अन्य अनुमति की पुनर्गणना कर सकता है। अधिनियम की धारा 54एफ आवासीय संपत्ति के अलावा किसी भी दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से अर्जित पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान करती है, यदि आय को आवासीय संपत्ति में पुनर्निवेशित किया जाता है। इसके अलावा, गोएट्ज़ (इंडिया) लिमिटेड बनाम सीआईटी 2006 284 आईटीआर 323 (एससी) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, संशोधित आयकर विवरणी दाखिल किए बिना निर्धारिती कोई नया दावा नहीं कर सकता। आयकर अधिनियम की धारा 80पी(2)(डी) में प्रावधान है कि, जहां निर्धारिती एक सहकारी समिति है, सकल कुल आय में सहकारी समिति द्वारा किसी अन्य सहकारी समिति के साथ अपने निवेश से प्राप्त ब्याज या लाभांश के रूप में कोई आय शामिल है, ऐसी पूरी आय निर्धारिती की कुल आय की गणना करते समय घटा दी जाएगी।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	:	**प्र. सीआईटी, वलसाड**
	निर्धारिती	:	**जेडीपी**
	स्थिति	:	**व्यक्तिगत**
	निर्धारण वर्ष	:	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में धारा 144 के साथ धारा 147 के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय, अधिनियम की धारा 54एफ के तहत ₹ 3.67 करोड़ की कटौती की अनुमति देने के बाद दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में ₹ 64.83 लाख की आय का आकलन किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मूल्यांकनकर्ता ने ₹ 4.32 करोड़ के विचार के लिए दो अचल संपत्तियां बेची थीं। हालांकि, मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान मूल्यांकनकर्ता ने न तो आयकर विवरणी दाखिल किया था और न ही अधिनियम की धारा 54एफ के तहत

कटौती का दावा किया था। इसलिए, कटौती स्वीकार्य नहीं थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 3.67 करोड़ के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का कम मूल्यांकन हुआ, जिसमें ₹ 2.20 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (फरवरी 2024) और मार्च 2024 में धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की।* सुधारात्मक कार्रवाई का आगे का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.3.3 एओपी/फर्म/एजेपी/सोसायटियों/ट्रस्टों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

हमने एओपी/फर्मों/सोसायटियों/ट्रस्टों को दी गई अनियमित छूट/कटौतियों/राहत के सात मामलों को संज्ञान में लाया जिनमें ₹ 23.50 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। ऐसे दो मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

धारा 36(1)(viiए) के अनुसार निर्धारित बैंक या अनिर्धारित बैंक या सहकारी बैंक द्वारा अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी भी प्रावधान हेतु कटौती की अनुमति 01/04/2018 से सकल कुल आय के आठ और डेढ़ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-I, मुंबई**
	निर्धारिती	**:**	**जेएसबी लिमिटेड**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2018 में ₹ 4.12 करोड़ के नुकसान पर संवीक्षा निर्धारण पूरा करते हुए अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के तहत ₹ 10.69 करोड़ के डूबंत और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती की अनुमति दी। हालाँकि, चूंकि निर्धारिती की कुल आय ₹ 10.47 करोड़ थी, इसलिए धारा 36(1)(viiए) के तहत कटौती को ₹ 89.03 लाख तक सीमित किया जाना आवश्यक था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 9.80 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 3.46 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने फरवरी 2023 में धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के तहत आदेश पारित करके सुधारात्मक*

कार्यवाही पूरी की। इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम की धारा 80पी में सहकारी समितियों को विशिष्ट गतिविधियों से अर्जित आय पर कर कटौती का प्रावधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सहकारी समिति द्वारा किसी अन्य सहकारी समिति में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज और लाभांश के रूप में आय भी शामिल है।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, सिलीगुड़ी**
	निर्धारिती	**:**	**डीएसीएस लिमिटेड**
	स्थिति	**:**	**एओपी**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 4.04 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, धारा 80पी के तहत ₹ 1.45 करोड़ की कटौती की अनुमति दी, जिसमें सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से अर्जित ब्याज और लाभांश आय के ₹ 1.44 करोड़ शामिल थे। चूँकि सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड एक सहकारी समिति के रूप में योग्य नहीं है, इसलिए निर्धारिती उक्त राशि के लिए कटौती का हकदार नहीं था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसका कर प्रभाव धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 65.77 लाख था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (दिसंबर 2023) कि मार्च 2023 में धारा 144/263 के तहत आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक कर दिया गया।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.3.4 व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति

हमने सात राज्यों में ₹ 14.08 करोड़ के कर प्रभाव वाले नौ मामलों में व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति संज्ञान में लायी। ऐसे चार मामलें नीचे दिये गए हैं:

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, पणजी**
	निर्धारिती	**:**	**मेसर्स एस**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 143(3ए) और (3बी) के तहत 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के तहत ₹4.73 करोड़ जोड़ने के बाद आगे बढ़ाये जाने वाले नुकसान को ₹22.65 करोड़ तक सीमित करके शून्य आय पर निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती लौह अयस्क के खनन और निष्कर्षण के व्यवसाय में लगा हुआ है। लेखापरीक्षा ने देखा कि कर निर्धारण आदेश में, निर्धारण अधिकारी ने माना कि निर्धारिती ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण वर्ष के दौरान कोई खनन गतिविधि नहीं की और, इसलिए, निर्धारिती द्वारा कोई व्यावसायिक आय की पेशकश नहीं की गई, इसलिए वर्ष के दौरान किए गए व्यय को मिलान सिद्धांत पर पूंजीकृत किया गया। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के तहत ₹4.73 करोड़ की राजस्व आय को वापस जोड़ दिया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹6.12 लाख की हानि को अतिरिक्त रूप से आगे बढ़ाये जाने की अनुमति दे दी गई। इसमें ₹2.12 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए (अप्रैल 2024) कहा कि जनवरी 2024 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के तहत आदेश को प्रभावी करने के लिए आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की गई।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(vii) के प्रावधान के अनुसार, पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में वसूली न किए जाने योग्य के रूप में लिखे गए किसी भी अशोध्य ऋण या उसके हिस्से की राशि कटौती योग्य है। इसके अलावा, सीबीडीटी ने 2008 के निर्देश संख्या 17 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किसी भी अनिर्धारित देयता या ऐसी देयता जो अर्जित नहीं हुई है, के बारे में कोई भी प्रावधान कटौती के लिए योग्य नहीं है।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	:	**प्र. सीआईटी-1 आगरा**
	निर्धारिती	:	**मैसर्स एजेडएसबी लिमिटेड**
	स्थिति	:	**एओपी**
	निर्धारण वर्ष	:	**2017-18**

दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के तहत एओपी का संवीक्षा निर्धारण ₹ 2.83 करोड़ के निर्धारित नुकसान पर पूरा किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारणकर्ता ने क्रमशः ब्याज की बकाया राशि के प्रावधान हेतु और संरक्षित डूबंत ऋण के प्रावधान के लिए ₹ 3.27 करोड़ और ₹ 2.50 करोड़ डेबिट किए थे। हालांकि, निर्धारण पूरा करते समय, निर्धारण अधिकारी ने प्रावधानों को अनिश्चित नहीं माना, और जिन्हें अप्राप्य के रूप में भी नहीं लिखा गया था और इसलिए, यह एक स्वीकार्य कटौती नहीं थी और उन्हें कुल आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5.77 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 2.35 करोड़ का कर कम लगाया गया, जिसमें ₹ 98.38 लाख का संभावित कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 144 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की है (मार्च 2023)।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

सीबीडीटी निर्देश संख्या 17, 2008 के पैरा (vii) और आरबीआई के 16 अक्टूबर 2000 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है, जैसे कि परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), व्यापार के लिए धारित (एचएफटी), और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य पर अंकित करने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें अधिग्रहण लागत पर रखा जाता है, जब तक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो। इस मामले में, प्रीमियम को परिपक्वता तक शेष अवधि में परिशोधित किया जाना चाहिए। बैंक के व्यापार में स्टॉक बनाने वाली एचएफटी और एएफएस प्रतिभूतियों के मामले में, मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि को स्क्रिप वार एकत्रित किया जाना है, और केवल सकल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को खातों में प्रदान करने की आवश्यकता है।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर**
	निर्धारिती	**:**	**ओएससीबी लिमिटेड**
	स्थिति	**:**	**एओपी**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने जून 2021 में धारा 143(3) के तहत ₹ 5.24 करोड़ की कुल आय पर एओपी के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 21.62 करोड़ के लिए स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में माने जाने वाले निवेश की परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी पर मूल्यह्रास का दावा स्वीकार किया, लेकिन ₹ 13.57 करोड़ के ऐसे निवेश के मूल्य में वृद्धि पर विचार करना छोड़ दिया। उपरोक्त गलती के परिणामस्वरूप ₹ 13.57 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 5.16 करोड़ का कर प्रभाव शामिल *था। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2023) और अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की (मार्च 2024)।* आगे की उपचारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 144, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आयकर विवरणी या किसी भी उप-धारा (4), (5) या 8ए के तहत संशोधित विवरण या अद्यतन विवरण जमा करने में विफल रहता है या धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत जारी नोटिस की सभी शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय राशि निर्धारित करेगा। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 184 के उप-खंड (v) में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी बात के बावजूद, धारा 144 में उल्लिखित अनुसार, पुष्टि करने में फर्म की ओर से किसी विफलता की स्थिति में, ऐसी फर्म द्वारा अपने किसी भागीदार को किए गए ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के भुगतान के माध्यम से कटौती को फर्म के "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना में अनुमति नहीं दी जाएगी।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, शिलांग**
	निर्धारिती	**:**	**केएमए**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती का निर्धारण धारा 144 के तहत ₹ 21.07 लाख की आय पर पूरा किया गया था। निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 142(1) के तहत जारी नोटिस का अनुपालन नहीं किया था और आय का कोई विवरण दाखिल नहीं किया था। निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने भागीदार के पारिश्रमिक के कारण ₹ 34.30 लाख की कटौती की अनुमति दी, जिसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 184 के उप-खंड (v) की शर्तों के अनुसार अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। कटौती को अस्वीकृत करने में चूक के परिणामस्वरूप आय का ₹ 34.30 लाख कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 16.85 लाख का कर प्रभाव पड़ा। *विभाग ने मई 2022 में धारा 154 के तहत सुधार आदेश जारी करके गलती को सुधार लिया।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.3.5 मूल्यह्रास/ व्यावसायिक हानि/ पूंजीगत हानि की अनुमति देने में अनियमितताएं

हमने छः राज्यों में ₹ 18.64 करोड़ के कर प्रभाव वाले नौ मामलों में मूल्यह्रास/व्यावसायिक हानि/पूंजीगत हानि की अनुमति देने में अनियमितताएं देखीं। ऐसे तीन मामलें नीचे दिये गये हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 में यह प्रावधान है कि, जहां 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ' शीर्षक के अंतर्गत गणना का निवल परिणाम निर्धारिती के लिए हानि है और मूल्यह्रास सहित ऐसी हानि को किसी भी प्रासंगिक वर्ष के शीर्षक के अंतर्गत आय के विरुद्ध पूर्णतः समायोजित नहीं किया जा सकता है, वहां वह हानि जो समायोजित नहीं की गई, उसे 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ' के विरुद्ध समायोजित करने के लिए आगामी कर निर्धारण वर्ष/वर्षों में आगे ले जाया जाएगा।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, वडोदरा**
	निर्धारिती	**:**	**पीसी लिमिटेड**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने, मई 2021 में धारा 143(3) के तहत शून्य आय का निर्धारण करते हुए निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि, संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित ₹ 18.84 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्रास को आगे लाने की अनुमति दी थी। निर्धारण अभिलेख के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित सीआईटी (अपील) के आदेश को प्रभावी करने के बाद कोई भी आगे लाया गया अनवशोषित मूल्यह्रास उपलब्ध नहीं था। इसलिए, निर्धारण वर्ष 2018-19 में ₹ 18.84 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्रास को समायोजित करने का दावा गलत था और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 18.84 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें अधिनियम की धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 9.24 करोड़ के कर की कम वसूली शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार कर लिया है (मार्च 2023) और मार्च 2023 में धारा 154 के तहत गलती को सुधार लिया है।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 74 के अनुसार, "जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में, "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत गणना का निवल परिणाम निर्धारिती के लिए हानि है, तो संपूर्ण हानि को उस निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद के आठ निर्धारण वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए हानि की पहली बार गणना की गई।" इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 3 में यह प्रावधान है कि यदि विवरण मूल देय तिथि के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है तो हानि को अग्रेनीत नहीं किया जा सकता।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी (केंद्रीय), बेंगलुरु**
	निर्धारिती	**:**	**एचपीआर**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने, सितंबर 2021 में धारा 153ए[76] के तहत ₹ 1.32 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 7.49 करोड़ के आगे लाए गए नुकसान को समायोजित करने की अनुमति दी, जो कि निर्धारण वर्ष 2014-15 से अग्रेनीत दीर्घकालिक पूंजीगत नुकसान था, जैसा की निर्धारिती ने दावा किया था। निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण आदेश के अनुसार, "अग्रेनीत चालू वर्ष के नुकसान" शून्य पर निर्धारित किए गए थे।

इसके अलावा, मूल आयकर विवरणी दिसंबर 2014 में देरी के बाद दाखिल किया गया था। इस प्रकार, हानि की भरपाई के लिए अनुमति उचित नहीं पाया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.49 करोड़ की आय की कम गणना हुई, जिसमें ₹ 2.51 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जून 2024) और जून 2024 में धारा 154 के तहत गलती का सुधार किया।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-9, कोलकाता**
	निर्धारिती	**:**	**डीएच**
	स्थिति	**:**	**व्यक्तिगत**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

अप्रैल 2021 में निर्धारण अधिकारी ने धारा 144 के तहत एक व्यक्ति का निर्धारण ₹ 2.35 करोड़ की आय पर पूरा किया। लेखापरीक्षा ने निर्धारण आदेश से पाया कि करदाता को उसकी वापिस की गई आय के अलावा ₹ 12.24 करोड़ की अनुमानित हानि हुई, जिसे कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान करदाता के गैर-अनुपालन और इस तरह के नुकसान को सही ठहराने के लिए किसी भी लेनदेन विवरण या विवरण की अनुपस्थिति के मद्देनजर भविष्य के वर्षों में भरपाई करने के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, इसे गणना पत्र में आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। इस गलती के परिणामस्वरूप

[76] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153A तलाशी या अधिग्रहण के मामले में किसी व्यक्ति की आय के आकलन से संबंधित है। यह कर अधिकारियों को तलाशी और जब्ती अभियान चलाने का अधिकार देता है, यदि उनके पास यह मानने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास अघोषित आय या संपत्ति है। यह ऐसी अघोषित आय या संपत्ति के आकलन का भी प्रावधान करता है

₹ 12.24 करोड़ का नुकसान अतिरिक्त रूप से आगे बढ़ गया, जिसका संभावित कर प्रभाव ₹ 4.35 करोड़ था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (अक्टूबर 2023) और नवंबर 2022 में धारा 154 के तहत गलती में सुधार किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.4 चूक के कारण कर निर्धारण से बचने वाली आय

4.4.1 अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तव में प्राप्त या उपार्जित या प्राप्त या उपार्जित मानी जाने वाली सभी आय शामिल होगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारित किया, जिस पर कर लगाया जाना आवश्यक था। नीचे दी गई तालिका 4.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है, जिनके परिणामस्वरूप आय निर्धारण से बच गई है।

तालिका 4.3: त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियाँ

उप श्रेणियों	संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. आय का निर्धारण नहीं किया गया	10	42.85	गुजरात, हरियाणा, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	04	2.41	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश
ग. आय की गलत गणना	1	1.13	महाराष्ट्र
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	2	1.90	नई दिल्ली
ङ. अस्पष्टीकृत निवेश/नकद जमा आदि।	4	29.54	असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल
कुल	**21**	**77.83**	

4.4.2 निर्धारित नहीं की गई आय

हमने छह राज्यों में 10 मामलों में कर निर्धारण से बचने वाली आय के संबंध में अनियमितताएं पाईं, जिनमें ₹ 42.85 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। ऐसे चार मामले नीचे दिये गये हैं:

आयकर अधिनियम की धारा 41(1) में यह प्रावधान है कि यदि पूर्व कर निर्धारण वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उठाए गए नुकसान, व्यय या व्यापारिक दायित्व के संबंध में कोई छूट या कटौती की गई है और तत्पश्चात किसी पूर्व वर्ष के दौरान उसके छूट या समाप्ति के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त किया गया है, तो निर्धारिती को प्राप्त होने वाले लाभ का मूल्य व्यवसाय का लाभ और प्राप्ति माना जाएगा तथा उस पर उस पूर्व वर्ष में आयकर लगेगा।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, सूरत**
	निर्धारिती	**:**	**पीडी**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 28.57 करोड़ की हानि अवधारित करते हुए निर्धारण समाप्त किया। निर्धारण अभिलेख की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 31/03/2016 को ₹ 20.76 करोड़ के जमानती ऋण का शेष 31/03/2017 को घटकर 'शून्य' हो गई थी और इसे भागीदारों के पूंजी खातों से ₹ 19.01 करोड़ के लिए तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) के अनुसूची में काटा गया "बकाया बैंक ऋण" के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार, भागीदार के पूंजी खाते के साथ लिखी गई राशि समायोजित क्रम में नहीं थी और इस पर अधिनियम की धारा 41(1) के तहत देयता की छूट के रूप में कर लगाया जाना आवश्यक था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 19.01 करोड़ का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.58 करोड़ का कम संभावित कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया था (मार्च 2022) और मार्च 2023 में आयकर अधिनियम की धारा 144 सहपठित धारा 263 सहपठित धारा 144बी के तहत आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की।*

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

आयकर अधिनियम की धारा 184(5) में यह प्रावधान है कि जहां किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी फर्म की ओर से धारा 144 में उल्लिखित कोई विफलता होती है, तो फर्म का इस प्रकार कर निर्धारण किया जाएगा कि ऐसी फर्म द्वारा अपने किसी भागीदार को दिए गए ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के भुगतान के रूप में कोई कटौती "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना करने में नहीं की जाएगी और ऐसा ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक धारा 28 के खंड (v) के अंतर्गत आयकर हेतु प्रभार्य नहीं होगा।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-I, कोयंबटूर**
	निर्धारिती	**:**	**एसजी**
	स्थिति	**:**	**फर्म**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 6.58 करोड़ के सही राशि (यानी बैंक खाते में करदाता द्वारा जमा की गई कुल नकदी राशि) के बजाय ₹ 3.74 करोड़ की कुल निर्धारित आय को अभिग्रहित कर, कर देयता की गणना की। निर्धारित आय के गलत अभिग्रहण के परिणामस्वरूप धारा 234ए और 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 4.62 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने जून 2023 में धारा 154 के तहत सुधार आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

धारा 10(20) के प्रावधान के अनुसार, अभिव्यक्ति 'स्थानीय प्राधिकरण' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में निर्दिष्ट पंचायत, या संविधान के अनुच्छेद 243पी के खंड (ङ) में निर्दिष्ट नगरपालिका, या नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड से है, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से हकदार है या सरकार द्वारा सौंपा गया है, या छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 3 में परिभाषित छावनी बोर्ड से है।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, वडोदरा**
	निर्धारिती	**:**	**पीसी लिमिटेड**
	स्थिति	**:**	**एओपी**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने मई 2021 में धारा 143(3) के तहत 'शून्य' आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 2.68 करोड़ का टीडीएस क्रेडिट की अनुमति दी, जो विभिन्न बैंकों से अर्जित ₹ 26.82 करोड़ की ब्याज आय से संबंधित था। हालांकि, लाभ और हानि खाते और कुल आय के विवरण में, निर्धारणकर्ता ने ₹ 26.82 करोड़ की सही ब्याज आय के बजाय ₹ 19.29 करोड़ की ब्याज आय

दिखाई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप आय में ₹ 7.53 करोड़ की कमी आई और परिणामस्वरूप ₹ 3.69 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (मार्च 2023) और मार्च 2023 में धारा 143(3) के साथ सहपठित धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला IV	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, संबलपुर**
	निर्धारिती	**:**	**एसएसबीई ट्रस्ट**
	स्थिति	**:**	**एओपी**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 147 के तहत ₹ 17.91 लाख की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 1.95 करोड़ के विभेदक लिखित मूल्य वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) को अस्वीकार करना छोड़ दिया, अर्थात, 31/03/2014 के समापन डब्ल्यूडीवी और 01/04/2014 को प्रारंभिक डब्ल्यूडीवी के बीच का अंतर, जिसका विवरण न तो निर्धारिती द्वारा किया गया था और न ही निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई थी। इसके अलावा, विकास निधि के लिए ₹ 54.50 लाख की अस्पष्ट देयता का दावा आय और व्यय विवरण के माध्यम से बताए बिना सीधे तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) में किया गया था। इन चूकों के परिणामस्वरूप ₹ 2.50 करोड़ (₹ 1.95 करोड़ और ₹ 0.55 करोड़ का जोड़) की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 2.15 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (फरवरी 2023) और मार्च 2024 में अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, वसूली मांग की स्थिति प्रतीक्षित थी (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.4.3 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना

हमने चार राज्यों में चार मामलों में पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना देखी, जिसमें ₹ 2.41 करोड़ कर प्रभाव शामिल था। ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के प्रावधान के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को करदाता की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना होता है तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय राशि या उसे वापसी योग्य राशि का निर्धारण करना होता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 50सी के अनुसार, यदि हस्तांतरण के दस्तावेज में उल्लिखित मूल्य स्टाम्प ड्यूटी प्राधिकारियों द्वारा अपनाए गए या निर्धारित या करयोग्य निर्धारण से कम है, तो स्टाम्प ड्यूटी प्राधिकारियों के ऐसे मूल्यांकन को भूमि या भवन या दोनों के हस्तांतरण पर होने वाले पूंजीगत लाभ की गणना के प्रयोजन के लिए बिक्री प्रतिफल के रूप में माना जाएगा।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी, बरेली**
	निर्धारिती	**:**	**एचके**
	स्थिति	**:**	**व्यक्तिगत**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2017-18**

निर्धारण अधिकारी ने, फरवरी 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत संवीक्षा निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 2.03 करोड़ के संपूर्ण दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) जिस पर छूट का दावा किया गया था, को अस्वीकार करने के बजाय केवल ₹ 8.51 लाख की वाणिज्यिक संपत्ति से संबंधित दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को अस्वीकार किया। कटौती के पूरे दावे को अस्वीकार करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.94 करोड़ के एलटीसीजी की कम गणना हुई, जिसमें ₹ 46.07 लाख का कर कम लगाया गया। *विभाग ने अधिनियम, 1961 की धारा 144बी के साथ धारा 147 के तहत आदेश पारित करके (मार्च 2023) और धारा 143(3) के साथ धारा 154 के तहत (जनवरी 2024) आदेश पारित करके गलती को सुधार लिया।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.4.4 आय की गलत गणना

हमने एक राज्य में ₹ 1.13 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े एक मामले में आय की गलत गणना देखी। मामला नीचे दर्शाया गया है:

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी छूट, नागपुर**
	निर्धारिती	**:**	**टीएपीईएस**
	स्थिति	**:**	**ट्रस्ट**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने कुल आय में क्रमशः ₹ 28.08 लाख और ₹ 8.52 लाख के कॉर्पस और नॉन-कॉर्पस दान को जोड़ने के बाद ₹ 36.61 लाख की आय पर मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत निर्धारण को अंतिम रूप दिया। हालांकि, निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1.71 करोड़ के नॉन-कॉर्पस दान को गुमनाम दान के रूप में वर्गीकृत किया, लेकिन कुल आय में केवल ₹ 8.52 लाख वापस जोड़े। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 28.08 लाख के कॉर्पस दान की अस्वीकृति को जोड़ना छोड़ दिया। इन गलतियों के परिणामस्वरूप परिणामी ब्याज सहित ₹ 1.13 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने अक्टूबर 2023 में कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार्य था और मार्च 2024 में अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की।* मूल्यांकन कार्यवाही की आगे की स्थिति की प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.4.5 स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)/स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के प्रावधानों को लागू करने में चूक

हमने दो मामलों में टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक देखी, जिसमें एक राज्य में ₹ 1.90 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 201(1) में भुगतान करते समय अधिनियम में निर्दिष्ट अनुसार कर का पूरा या आंशिक हिस्सा काटने या भुगतान करने में विफलता के परिणामों का प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 201(1ए) में इस अधिनियम के तहत या इसके तहत किए गए भुगतान पर कर की कटौती न करने या भुगतान न करने के लिए करदाता द्वारा चूक के मामले में दंडात्मक ब्याज लगाने का प्रावधान है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी, टीडीएस-2 दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**मेसर्स वीडी प्राइवेट लिमिटेड**
	स्थिति	**:**	**एओपी**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2021 में अधिनियम की धारा 201(1)/201(1ए) के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय, ₹ 9.42 करोड़ की बकाया टीडीएस देनदारी पर धारा 201(1ए) के तहत लगाये जाने वाला सही ब्याज छोड़ दिया और 96 महीनों के बजाय केवल 84 महीनों के लिए ब्याज लगाया। ब्याज की गणना में गलती के कारण ₹ 1.13 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने अधिनियम की धारा 201(1)/201(1ए) के सहपठित धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (अप्रैल 2023)।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

4.4.6 अस्पष्टीकृत निवेश/नकद ऋण आदि।

हमने तीन राज्यों में चार मामलों में अस्पष्टीकृत निवेश/नकद ऋण के संबंध में अनियमितताएं देखीं, जिनमें ₹ 29.54 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। ऐसे दो मामले नीचे दिये गये हैं:

अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के प्रावधानों के अनुसार, बही-खातों में जमा की गई कोई भी नकदी, अस्पष्टीकृत निवेश जो खाता पुस्तकों में दर्ज नहीं है, धन, सोना, आभूषण जो खाता पुस्तकों में दर्ज नहीं है, निवेश की राशि आदि जो खाता पुस्तकों में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की गई है, अस्पष्टीकृत व्यय और बैंक पर आहरित खाता आदाता चेक के अलावा हुंडी पर उधार ली गई या चुकाई गई राशि, जिसके लिए करदाता प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, उसे करदाता की आय माना जाएगा। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, (1961) की धारा 115बीबीई के प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि, जहां किसी करदाता की कुल आय में धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी या धारा 69डी में निर्दिष्ट कोई आय शामिल है, देय आयकर की राशि ऐसी आय पर साठ प्रतिशत की दर से गणना की जाएगी। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2016, जो निर्धारण वर्ष 2017-18 से लागू है, ऐसे आयकर पर पच्चीस प्रतिशत की दर से अधिभार लगाने का प्रावधान करता है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-2, चेन्नई**
	निर्धारिती	**:**	**एमसीपीसी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2015-16**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के तहत पुनर्निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 25.91 करोड़ के अस्पष्टीकृत निवेशों पर कर लगाना छोड़ दिया और दिसंबर 2017 में अधिनियम

की धारा 143(3) के तहत निर्धारित की गई ₹ 1.05 करोड़ की कुल आय पर ही कर की गणना की। इस गलती के परिणामस्वरूप धारा 234 बी के तहत परिणामी ब्याज सहित ₹ 16.21 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती में सुधर किया (जून 2022)।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-13, कोलकाता**
	निर्धारिती	**:**	**एनडी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्ति**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2013-14**

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में धारा 144/147 के तहत ₹ 8.15 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्धारिती द्वारा ₹ 19.27 करोड़ के लिए किए गए पूरे नकद जमा को वापस जोड़ना छोड़ दिया और केवल ₹ 8.15 करोड़ वापस जोड़े। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 11.12 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसका कर प्रभाव ₹ 10.36 करोड़ था, जिसमें धारा 234ए और 234बी के तहत ब्याज भी शामिल था। *विभाग ने दिसंबर 2022 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च) 2025).

4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 आय का अधिक निर्धारण और कर/ब्याज का अधिक प्रभार न केवल कर निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी की ओर से समुचित श्रम की कमी/ देय कर की गणना करते समय आईटीडी प्रणालियों की कमज़ोरियों को इंगित करता है, बल्कि वास्तविक करदाता के लिए संभावित रूप से परिहार्य कठिनाई का कारण भी बन सकता है। हमने आठ राज्यों, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु और तेलंगाना में आय के अधिक प्रभार के 38 मामलों को देखा जिसमें ₹ 400.73 करोड़ के कर/ब्याज का अधिक प्रभार शामिल था। ऐसे तीन मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के तहत, संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी को करदाता की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना होता है और ऐसे निर्धारण के आधार पर करदाता द्वारा देय या करदाता को वापस की जाने वाली सही राशि निर्धारित करनी होती है। इसके अलावा, बोर्ड ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं कि कर योग्य आय और कर की गणना में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आगे अधिनियम की धारा 144बी 01 अप्रैल 2023 से आयकर विवरणी के फेसलेस मूल्यांकन के संचालन की प्रक्रिया को रेखांकित करती है। अधिनियम की धारा 147 में कर निर्धारण कार्यवाही को पुनः आरम्भ करने का प्रावधान है, जब कर निर्धारण अधिकारी के पास यह मानने के कारण हों कि सम्पूर्ण आय या आय का कुछ भाग कर निर्धारण से बच गया है।

मामला I	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी सेंट्रल-3, दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**जेजी**
	स्थिति	**:**	**व्यक्तिगत**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2014-15**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 153ए के तहत ₹ 517.86 करोड़ की आय और ₹ 346.70 करोड़ की कर देयता पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, अधिनियम की धारा 234बी के तहत ब्याज का अतिरिक्त शुल्क लगाया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 104.69 करोड़ का अतिरिक्त कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती में सुधार कर किया गया (अगस्त 2023)।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला II	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**सीआईटी (छूट), मुंबई**
	निर्धारिती	**:**	**केइएस**
	स्थिति	**:**	**एओपी (ट्रस्ट)**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2016-17**

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2022 में शून्य आय पर धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के तहत निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए एक ट्रस्ट का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कर गणना पत्र की गणना करते समय, सकल कुल आय को वास्तविक शून्य निर्धारित आय के मुकाबले गलत तरीके से ₹ 107.31 करोड़ के रूप में अपनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.93 करोड़ की निष्फल मांग हुई। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार*

करते हुए कहा (सितंबर 2023) कि मार्च 2023 में धारा 154 के तहत आदेश पारित करके त्रुटि को सुधारा गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मामला III	**सीआईटी प्रभार**	**:**	**प्र. सीआईटी-1, दिल्ली**
	निर्धारिती	**:**	**एनएसडीएफ**
	स्थिति	**:**	**ट्रस्ट**
	निर्धारण वर्ष	**:**	**2018-19**

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 143(3ए) के तहत ₹ 73.23 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 146.46 करोड़ की आय पर अनुचित तरीके से कर लगाया। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 234सी के तहत ₹ 1.31 करोड़ का ब्याज भी गलत तरीके से लगाया गया। इस गलती के कारण धारा 234ए, 234बी और 234सी के तहत ब्याज सहित ₹ 36.70 करोड़ का अधिक कर लगाया गया। लेखापरीक्षा अवलोकन दिसंबर 2021 में विभाग को सूचित किया गया था, हालांकि, प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

संस्तुतियाँ

(i) ***कर और अधिभार की गलत दरों का प्रयोग, ब्याज लगाने में त्रुटियाँ, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आयकर विभाग के आंतरिक नियंत्रण में कमज़ोरियों की ओर संकेत करते हैं, जिन्हें आईटीबीए प्रणाली संकेतों के माध्यम से ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे निर्धारण अधिकारी मामले को अंतिम रूप देने से पहले गणनाओं को सत्यापित कर सकेगा।***

(ii) ***जबकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों में सुधार आरंभ करने के लिए कार्रवाई की है, यह उल्लेख किया जाता है कि ये केवल कुछ उदाहरणात्मक मामले हैं, जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई है। गैर-संवीक्षा निर्धारण सहित सभी निर्धारणों में, चूक या भूल की ऐसी त्रुटियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीबीडीटी को न केवल वर्ष के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारणों की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक पूर्णतया सुरक्षित आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करना चाहिए।***

(iii) सीबीडीटी इस बात की जांच कर सकता है कि क्या पाई गई "त्रुटियां" चूक या फिर भूल की वजह से हुई हैं, और भूल की स्थिति में आयकर विभाग को कानून के अनुसार जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

नई दिल्ली **(मोनिका वर्मा)**
दिनांक: 28 जुलाई 2025 **महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 29 जुलाई 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 (संदर्भ- पैराग्राफ 1.13.1 और 2.2.3)

फेसलेस मूल्यांकन योजना, सदस्य (प्रशासन एवं फेसलेस योजना) की प्रत्यक्ष देखरेख में काम करती है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारण कार्यवाही की कार्यात्मक संरचना में बदलाव किया गया है। फेसलेस योजना की शुरुआत के कारण, प्रधान सीसीआईटी (एनएएफएसी) की अध्यक्षता में दिल्ली में एक राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र (एनएएफएसी) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, देश में 20 स्थानों पर क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र (आरईएसी) स्थापित किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक आरईएसी का नेतृत्व एक सीसीआईटी (आरईएसी) करता है। कार्यभार के आधार पर, फेसलेस मूल्यांकन को पूरा करने के लिए प्रत्येक आरईएसी में निम्नलिखित इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं:

i. क्षेत्रीय ई-फेसलेस मूल्यांकन केंद्र (निर्धारण इकाइयाँ) [आरईएफएसी (एयू),
ii. क्षेत्रीय ई-फेसलेस मूल्यांकन केंद्र (सत्यापन इकाइयां) [आरईएफएसी (वीयू)],
iii. क्षेत्रीय ई-फेसलेस मूल्यांकन केंद्र (समीक्षा इकाइयाँ) [आरईएफएसी (आरयू)] और
iv. कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्षेत्रीय ई-फेसलेस मूल्यांकन केंद्र (तकनीकी इकाइयाँ) [आरईएफएसी (टीयू)]

इनमें से प्रत्येक इकाई का नेतृत्व एक प्रधान सीआईटी (आरईएफएसी)(एयू)/प्रधान सीआईटी (आरईएफएसी)(वीयू)/प्रधान सीआईटी (आरईएफएसी)(आरयू)/ प्रधान सीआईटी (आरईएफएसी)(टीयू) द्वारा किया जाता है।

फेसलेस मूल्यांकन योजना 2019 के प्रयोजनों के लिए, विभिन्न इकाइयों की स्थापना [77][जिसे फेसलेस मूल्यांकन (प्रथम संशोधन) योजना, 2021 के रूप में संशोधित किया गया है] और उनके कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र [78](एनएएफएसी)

ई-निर्धारण कार्यवाही को केंद्रीकृत तरीके से संचालित करने की सुविधा के लिए एनएएफएसी की स्थापना की गई है। यह संबंधित निर्धरितों को नोटिस भेजता है और इस योजना के तहत ई-निर्धारण के उद्देश्य से चुने गए मामलों को

[77] जैसा कि प्रमुख फेसलेस मूल्यांकन योजना में अधिसूचना संख्या 61/2019/एफ.सं. 370149/154/2019-टीपीएल दिनांक 12/09/2019 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है

[78] सीबीडीटी ने अधिसूचना संख्या 27/2021/एफ. संख्या 370142/33/2020-टीपीएल दिनांक 31/03/2021 के तहत "राष्ट्रीय ई- निर्धारण केंद्र" शब्द को "राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र" शब्द से प्रतिस्थापित किया।

स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से किसी भी क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र में विशिष्ट निर्धारण इकाइयों को सौंपता है। इसके बाद, संबंधित निर्धारण इकाइयों से मसौदा निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर, निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने की उम्मीद की जाती है। निर्धारण पूरा होने के बाद, यह मामले के सभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए उक्त मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरित करता है।

(ii) क्षेत्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र (आरईएसीएस)

आरईएसी से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित प्रधान सीसीआईटी के कैडर नियंत्रण क्षेत्रों में ई-निर्धारण कार्यवाही के संचालन को सुगम बनाएं। उन्हें इस योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण करने की शक्ति भी दी गई है। आरईएसी को, इसके तहत बनाई गई विभिन्न इकाइयों की सहायता से, फेसलेस तरीके से निर्धारण करने और निर्धारण को अंतिम रूप देने में एनएएफएसी को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

चार्ट 1.14: एनएएफएसी और एनएफएसीएस का संगठनात्मक आरेख

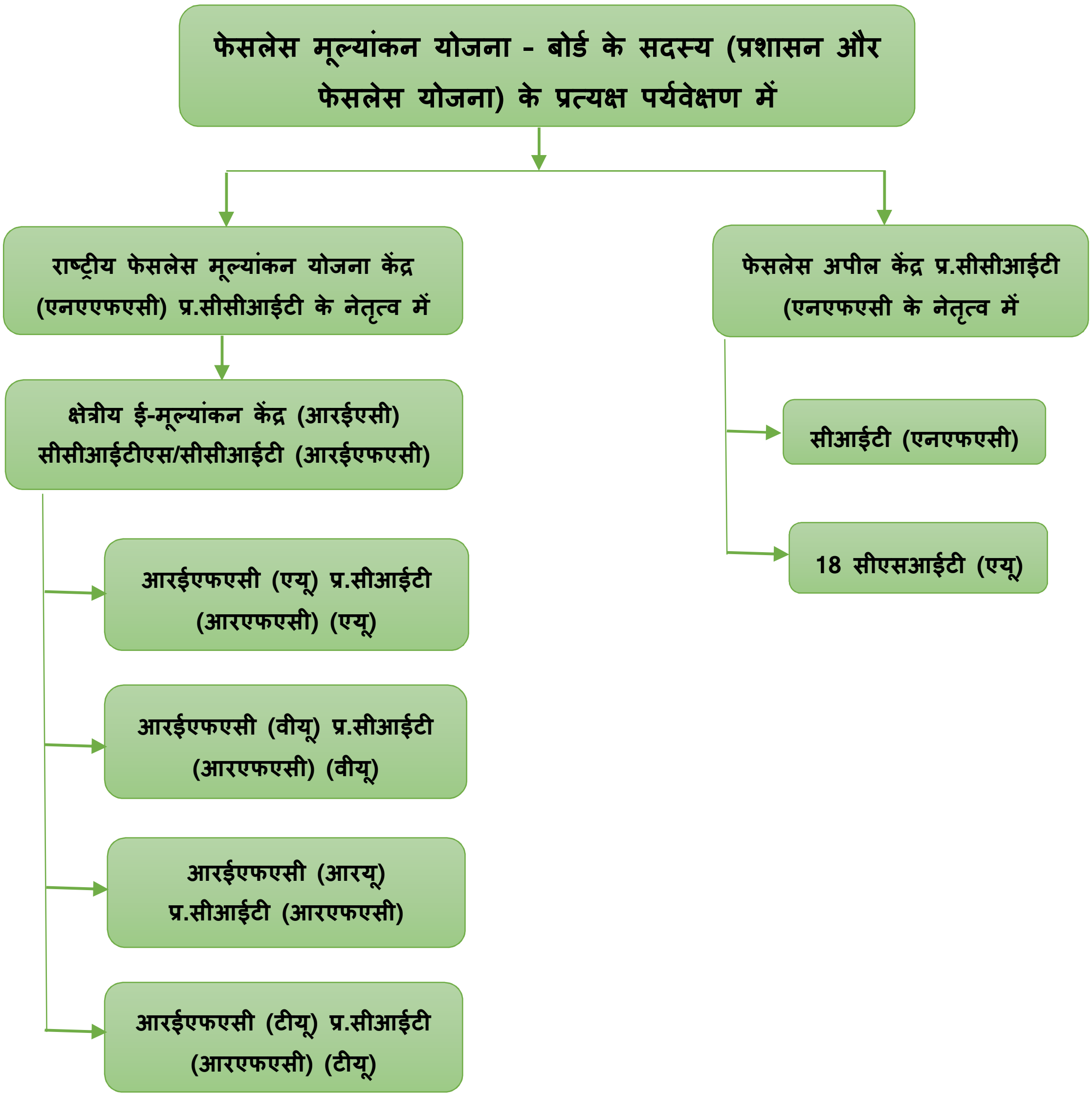

(iii) निर्धारण इकाइयाँ (एयू)

एयू से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारण करने का कार्य करके ई-निर्धारण के संचालन को सुगम बनाएं, जिसमें अधिनियम के तहत किसी भी देयता (वापसी सहित) के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं या मुद्दों की पहचान करना, इस प्रकार पहचाने गए बिंदुओं या मुद्दों पर जानकारी या स्पष्टीकरण मांगना, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण करना और मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक ऐसे अन्य कार्य शामिल हैं। मामला सौंपे जाने पर, संबंधित एयू एनएफ़एसी से अनुरोध कर सकता है: (i) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से आगे की जानकारी, दस्तावेज

या साक्ष्य प्राप्त करना (ii) सत्यापन इकाइयों द्वारा कुछ जांच या सत्यापन करना; और (iii) तकनीकी इकाइयों से तकनीकी सहायता प्राप्त करना। अभिलेखों में उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद, एयू लिखित रूप में, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, निर्धारिती द्वारा देय आय या राशि, या करदाता को वापस की जाने वाली राशि, उसके विवरण के अनुसार स्वीकार करना, या ऐसी आय या राशि में परिवर्तन करना, और ऐसे आदेश की एक प्रति एनएफ़एसी को भेजना।

(iv) सत्यापन इकाइयाँ (वीयू)

निर्धारण इकाई (एयू) से प्राप्त अनुरोध पर वीयू से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कुछ जांच या सत्यापन के लिए सत्यापन का कार्य करें, जिसमें जांच, प्रतिसत्यापन, लेखा पुस्तकों की जांच, गवाहों की जांच और बयानों को अभिलेखबद्ध करना, तथा सत्यापन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य कार्य शामिल हैं।

(v) तकनीकी इकाइयाँ (टीयू)

व्यापारिक संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य करना अपेक्षित है, जिसमें कानूनी, लेखांकन, फोरेंसिक, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्धारण, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण, डाटा विश्लेषण, प्रबंधन या किसी अन्य तकनीकी मामले पर कोई सहायता या सलाह शामिल है, जो इस योजना के अंतर्गत किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग में आवश्यक हो सकती है।

(vi) समीक्षा इकाइयाँ (आरयू)

जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र (एनईएसी) द्वारा मामलों को समीक्षा इकाइयों (आरयू) को सौंपा जाता है। आरयू से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मसौदा निर्धारण आदेशों की समीक्षा का कार्य करें, जिसमें यह जांच करना शामिल है कि क्या प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य अभिलेख के तौर पर लाए गए हैं, क्या तथ्य और कानून के प्रासंगिक बिंदुओं को मसौदा आदेशों में विधिवत शामिल किया गया है, क्या जिन मुद्दों पर संयोजन या अस्वीकृति की जानी चाहिए, उन पर मसौदा आदेशों में चर्चा की गई है, क्या लागू न्यायिक निर्णयों पर विचार किया गया है और मसौदा आदेशों में उनका

निपटान किया गया है, प्रस्तावित संशोधनों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच, यदि कोई हो, और ऐसे अन्य कार्य जो समीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार को निर्दिष्ट कर सकते हैं।

निर्धारण इकाई, समीक्षा इकाई, सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाइयों के बीच या निर्धारणकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, सूचना या दस्तावेजों या साक्ष्य या किसी अन्य विवरण के संबंध में सभी सम्प्रेषण, जो इस योजना के तहत निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकते हैं, एनएएफएसी के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है। एनएएफएसी का संगठनात्मक आरेख **चार्ट 1.14** में दिया गया है।

फेसलेस अपील योजना

सीबीडीटी ने दिसंबर 2021 में जारी अधिसूचना के माध्यम से 'फेसलेस अपील योजना' को अधिसूचित किया और इस योजना के उद्देश्य से इसने (i) एक राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी) की स्थापना की**,** ताकि केंद्रीकृत और फेसलेस तरीके से ई-अपील कार्यवाही के संचालन की सुविधा मिल सके; और (ii) आयुक्त (अपील) द्वारा ई-अपील कार्यवाही के संचालन की सुविधा के लिए अपील इकाइयाँ। राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी) दिल्ली में स्थापित किया गया है और इसका नेतृत्व प्रधान सीसीआईटी (एनएफएसी) करते हैं। इसके अलावा, दिल्ली में सीआईटी (एनएफएसी) और देश भर में 18 स्थानों पर विभिन्न सीएसआईटी (एयू) भी स्थापित किए गए हैं। एनएएफएसी और एनएफएसी का संगठन **चार्ट 1.14** में दिया गया है।

राष्ट्रीय फेसलेस शास्ति योजना (एनएफपीएस)

एनएफपीएस को सीबीडीटी द्वारा अधिसूचना संख्या 3/2021 दिनांक 12/01/2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, जिसमें दंड लगाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया गया था। इस योजना में दंड कार्यवाही के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय फेसलेस शास्ति केंद्र, क्षेत्रीय दंड केंद्र, दंड इकाइयाँ और दंड समीक्षा इकाइयाँ स्थापित करना अनिवार्य किया गया था। राष्ट्रीय फेसलेस शास्ति केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया है और इसका नेतृत्व प्रधान सीसीआईटी (एनएफपीसी) करते हैं। इसके अलावा, दिल्ली और देश के

अन्य स्थानों पर सीएसआईटी (एनएफपीसी) हैं। दंड इकाइयों और दंड समीक्षा इकाइयों का नेतृत्व अतिरिक्त सीआईटी और उसके बाद डीसीआईटी करते हैं।

क्षेत्राधिकार निर्धारण कार्यालय (जेएओ)

जेएओ का नेतृत्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त करते हैं। जेएओ के कार्यों में अपील या विशेष मुकदमेबाजी याचिकाएं दाखिल करना, सुधार करना, मांग जारी करना, राजस्व लेखापरीक्षा के पुराने लंबित पैरा का निपटान, साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियां आदि शामिल हैं।

परिशिष्ट 1.2 (संदर्भ पैराग्राफ 1.13.2)

कर प्रशासन प्रक्रिया	
स्थायी खाता संख्या (पैन)	प्रत्येक व्यक्ति[79] जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139ए के प्रावधानों के तहत आयकर विवरणी (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक है और उसे स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है, वह पैन के आवंटन के लिए आयकर विभाग में आवेदन करेगा।
आयकर विवरणी	अधिनियम की धारा 139 के तहत, प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी या फर्म है; या कंपनी या फर्म से इतर कोई व्यक्ति है, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत कर योग्य है, उस अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो उसे नियत तिथि पर या उससे पहले पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। सीबीडीटी ने विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए आईटीआर के विभिन्न फॉर्म निर्धारित किए हैं। करदाताओं को आयकर नियम, 1962 के नियम 12(3) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक है।
सारांश प्रसंस्करण {धारा 143(1), 143(1ए), 143(1बी)}	सारांश प्रसंस्करण के अंतर्गत, आईटीआर की अंकगणितीय सटीकता, आंतरिक स्थिरता आदि की जांच की जाती है। इसके अलावा, फॉर्म 26एएस या फॉर्म-16ए या फॉर्म-16 में दर्शाई जाने वाली आय को भी जोड़ा जाता है, जिसे आईटी विवरण में कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है। सारांश प्रसंस्करण आईटीआर में उपलब्ध आंकड़ों के साथ होता है और करदाता से अभिलेख और जानकारी मांगे बिना होता है। इस प्रकार, सारांश प्रसंस्करण प्रकृति में गैर-हस्तक्षेपकारी है। प्रसंस्करण के बाद, यदि करदाता से कोई मांग बकाया है, तो उसे मांग नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है। कर के अधिक भुगतान के मामले में, प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से प्रतिदाय जारी किए जाते हैं, सिवाय कुछ अपवादात्मक मामलों को छोड़कर, जिनमें मैनुअल रूप में प्रतिदाय की अनुमति है।
संवीक्षा निर्धारण	करदाता द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर को कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सेलेक्शन (सीएएसएस) के माध्यम से विस्तृत जांच के लिए चुना जाता है और कुछ मामलों में सीबीडीटी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा मैन्युअल रूप से जांच की जाती है। अधिनियम में दो प्रकार के नियमित जांच निर्धारण का प्रावधान है: (ए) करदाता को एक अवसर प्रदान करने और अभिलेख पर करदाता के सभी प्रासंगिक तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को लेने के

[79] कंपनी, फर्म, व्यक्ति, एचयूएफ, ट्रस्ट, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, सहकारी समितियां, स्थानीय प्राधिकरण, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सरकारी अभिकरण।

	कर प्रशासन प्रक्रिया
	बाद धारा 143(3) के तहत निर्धारण (बी) धारा 144 (सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण) के तहत निर्धारण तब तैयार किया जाता है, जब नोटिस के बावजूद निर्धारिती जवाब नहीं देता/जवाब दाखिल नहीं करता। उपरोक्त के अलावा, जांच मामलों (धारा 153ए/153सी) के मामलों में ब्लॉक निर्धारण की जांच की जाती है। संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी (एओ) आयकर विभाग के पास उपलब्ध निर्धारिती से संबंधित सभी अभिलेख और जानकारी प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त निर्धारिती से अभिलेख और जानकारी मांगता है ताकि वह स्वयं संतुष्ट हो सके कि कोई भी आय अघोषित नहीं है तथा कर की गणना सही ढंग से की गई है। फेसलेस मूल्यांकन योजना के कार्यान्वयन के बाद, संवीक्षा फेसलेस तरीके से किया जा रहा है।
गलती का सुधार	अधिनियम में स्वप्रेरणा से या निर्धारिती के अनुरोध पर कर निर्धारण आदेशों में बाद में सुधार का भी प्रावधान है (धारा 154)।
निर्धारण से बची आय	यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर योग्य कोई आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर से छूट गई है, तो वह ऐसी आय का तथा कर योग्य किसी अन्य आय का, जो बाद में पुनर्निर्धारण के दौरान उसके ध्यान में आती है, अधिनियम के प्रावधानों (धारा 147) के अधीन कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है। फेसलेस मूल्यांकन योजना के कार्यान्वयन के बाद, फेसलेस तरीके से पुनर्निर्धारण किया जा रहा है।
आदेशों का संशोधन	प्रधान आयकर आयुक्त, धारा 263/264 के अंतर्गत कर निर्धारण आदेश को संशोधित कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश त्रुटिपूर्ण है, जो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है।
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन)	टीएएन, या कर कटौती और संग्रह खाता संख्या, एक 10-अंकीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है जिसे अधिनियम की धारा 203 (ए) के तहत उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक है जो कर काटने या संग्रह करने के लिए जिम्मेदार हैं।
पूर्व-निर्धारण संग्रह	अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक निर्धारिती को अपनी आयकर देनदारियों का मूल्यांकन करना और अग्रिम कर (धारा 207) तथा स्व-निर्धारण कर (धारा 140ए) का भुगतान करना आवश्यक है। अधिनियम में कुछ भुगतान अधिकारियों को गैर-कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट को किए गए भुगतान का एक निश्चित *प्रतिशत* काटने और उसे सरकार के खाते में जमा करने की भी आवश्यकता होती है। कर एकत्र करने का एक अन्य तरीका स्रोत पर कर एकत्रित (टीसीएस) नामक नामित अधिकारियों के माध्यम से है जो सार्वजनिक

	कर प्रशासन प्रक्रिया
	प्राधिकरणों से कुछ अनुबंध/लीज अधिकार प्राप्त करने वाले कुछ व्यक्तियों/कॉर्पोरेट से कर एकत्र करते हैं। इन चार तंत्रों - अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, टीडीएस और टीसीएस के माध्यम से आयकर का संग्रह कर संग्रह का पूर्व-निर्धारण तरीका कहलाता है।
अपील प्रक्रिया	एक पीड़ित करदाता आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। इसके अलावा, अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध तथ्य और विधि के प्रश्नों पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की भी अनुमति है। यदि किसी मुद्दे पर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया है या गलत तरीके से विचार किया गया है, तो धारा 260ए के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और धारा 261 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में भी किसी ऐसे मामले में अपील की जा सकती है जिसे उच्च न्यायालय अपील के लिए उपयुक्त प्रमाणित करता है। फेसलेस अपील योजना के कार्यान्वयन के बाद, सीआईटी (अपील) के तहत ई-अपील की कार्यवाही केंद्रीकृत और फेसलेस तरीके से संचालित की जाती है।
प्रतिदाय	जहां भुगतान किए गए कर की राशि देय कर की राशि से अधिक है, वहां निर्धारिती निर्धारित दर पर साधारण ब्याज सहित अतिरिक्त राशि की वापसी के हकदार हैं।
कर बकाया की वसूली	निर्धारण से मांग प्राप्त होने पर, निर्धारिती को 30 दिनों के भीतर या निर्धारण द्वारा निर्धारित किसी अन्य समय सीमा के भीतर मांग का भुगतान करना आवश्यक है। यदि मांग उठाने के एक वर्ष के भीतर वसूली नहीं होती है, तो निर्धारण को कर वसूली प्रमाणपत्र (टीआरसी) तैयार करने के लिए कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) को बकाया मामलों का विवरण भेजना आवश्यक है।
दंड और अभियोजन	अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उल्लंघनों के लिए निवारक प्रभाव डालने के लिए, अधिनियम में जुर्माना लगाने और अभियोजन शुरू करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ प्रदान की गई हैं। कई दंडात्मक प्रावधानों का लगाया जाना विवेकाधीन प्रकृति का है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे माफ किया जा सकता है।

परिशिष्ट 1.3 (संदर्भ पैराग्राफ 1.13.2)

कर प्रशासन प्रक्रिया

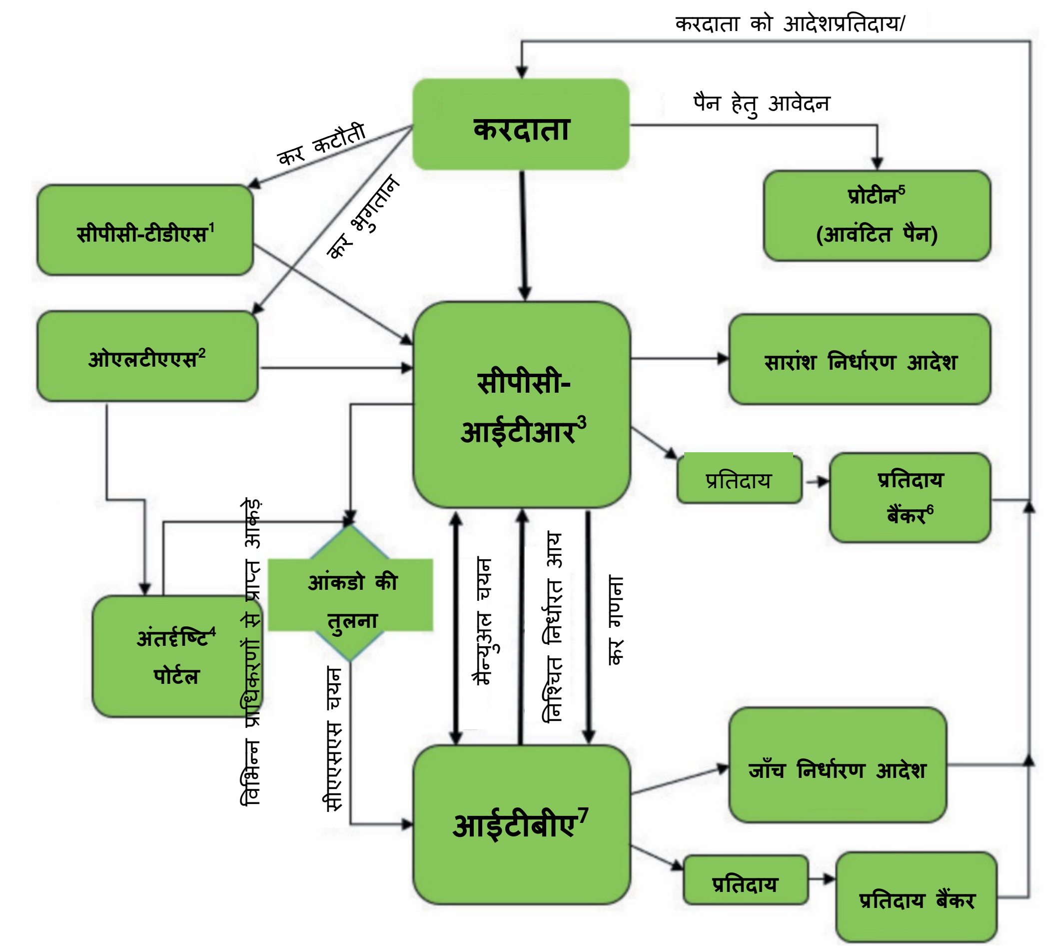

1. सीपीसी-टीडीएस (केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र - स्रोत पर कर संग्रहण) बैंकों, कटौतीकर्ताओं, कर निर्धारण अधिकारियों (एओ) और कर पेशेवरों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का मिलान और सह-सम्बन्ध करता है।
2. ओएलटीएएस (ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम) सभी प्रकार के करदाताओं से प्रत्यक्ष करों की प्राप्तियों और भुगतानों के संग्रह, लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन एक प्रणाली है।
3. आयकर विवरणी (आईटीआर) के थोक प्रसंस्करण के लिए सीपीसी-आईटीआर (केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - आयकर विवरणी) करदाता द्वारा देय कर या देय प्रतिदाय का शीघ्रता से निर्धारण करता है।
4. अंतर्दृष्टि पोर्टल काले धन और कर चोरी के विरुद्ध आंकड़ा विश्लेषण, अनुसंधान और विश्लेषण का उपयोग करता है तथा सीएएसएस (कम्प्यूटर एडेड स्क्रूटनी सेलेक्शन) चयन के लिए इनपुट प्रदान करता है।
5. प्रोटीन (प्रोटीन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) {पहले, एनएसडीएल (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)} अपनी टीआईएन-सुविधाओं (टीआईएन-एफसी) और पैन केंद्रों की श्रृंखला के माध्यम से पैन आवेदन स्वीकार करता है और पैन जारी करता है।
6. सीपीसी/निर्धारण अधिकारी द्वारा तैयार प्रतिदाय को करदाताओं को आगे वितरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक, सीएमपी शाखा में भेजने की सुविधा प्रदान करता है।
7. आईटीबीए (आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग) एक व्यवसाय अनुप्रयोग है, जो कागज रहित इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाएं तैयार करता है तथा आयकर विभाग की विभिन्न कार्यात्मकताओं तक पहुंचने के लिए एकल उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करता है।

परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.4)

निर्धारण में त्रुटियों के राज्यवार उदाहरण							
राज्य	2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में पूरा किया गया निर्धारण	2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत निर्धारण	2021-22 के दौरान उठाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ[80](संख्या)	त्रुटि सहित निर्धारण (संख्या)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटिपूर्ण निर्धारण का *प्रतिशत* (कॉलम 5/ कॉलम 3x100)	कॉलम 3 में से आईएपी द्वारा जांचे गए निर्धारणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	23,193	14,852	1,727	1,727	2,117.56	11.63	594.00
असम	10,819	8,274	349	350	404.44	4.23	0.00
बिहार	7,273	5,442	444	444	279.08	8.16	0.00
छत्तीसगढ	6,507	3,820	155	154	377.99	4.03	0.00
दिल्ली	16,800	16,599	1,414	1,414	7,182.07	8.52	796.00
गोवा	1,449	1,446	64	61	116.45	4.22	27.00
गुजरात	34,742	28,525	1,709	1,483	5,210.70	5.20	0.00
हरियाणा	21,367	8,897	500	485	1,346.08	5.45	0.00
हिमाचल प्रदेश	1,400	966	100	100	115.50	10.35	0.00
जम्मू और कश्मीर	1,014	957	25	25	114.36	2.61	0.00
झारखंड	8,235	4,593	445	362	1,954.98	7.88	0.00
कर्नाटक	12,881	10,171	687	570	5,548.06	5.60	48
केरल	7,345	7,066	588	535	770.42	7.57	375.00
मध्य प्रदेश	12,439	10,073	856	856	2,058.02	8.50	76.00
महाराष्ट्र	63,653	32,352	1,859	1,364	18,761.30	4.22	294
ओडिशा	4,560	4,441	439	405	482.99	9.12	147.00
पंजाब	7,221	4,189	190	190	472.09	4.54	0.00
राजस्थान	24,124	12,605	657	634	1,234.79	5.03	0.00
तमिलनाडु	39,329	27,865	2,025	1,872	4,696.72	6.72	7
केंद्र शासित चंडीगढ़	4,046	2,520	162	162	414.49	6.43	0.00
उत्तराखंड	2,922	2,912	117	117	99.20	4.02	0.00
उतार प्रदेश	26,543	26,151	927	919	4,875.20	3.51	0.00
पश्चिम बंगाल	35,989	33,574	1,878	1,511	5,830.51	4.50	21.00
कुल	**3,73,851**	**2,68,290**	**17,317**	**15,740**	**64,463.00**	**5.87**	**2,385**

[80] इसमें निगम कर, आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों में अवनिर्धारण के साथ-साथ अतिनिर्धारण संबंधी सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं।

परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.8)

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान निगम कर और आयकर के संबंध में अवनिर्धारण का श्रेणीवार विवरण

(₹ करोड़ में)

उप श्रेणी	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
क. मूल्यांकन की गुणवत्ता	**8,159.00**	**19,161.59**
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	2,443.00	9,414.86
ख. कर, अधिभार आदि की दर का गलत अनुप्रयोग।	2,231.00	5,979.35
ग. आयकर विवरणी जमा करने में देरी, कर के भुगतान में देरी आदि के लिए कोई ब्याज/जुर्माना नहीं लगाया जाता है।	3,241.00	3,515.51
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	212.00	231.22
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में गलती	32.00	20.66
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	**2,319.00**	**16,840.05**
क. कॉर्पोरेट को दी गई अनियमित छूट/कटौतियां/राहत	188.00	1,356.17
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसायटियों को दी गई अनियमित छूट/कटौतियां/राहतें	191.00	218.49
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौतियां/राहतें	153.00	114.87
घ. व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति	1,500.00	8,404.70
ङ. मूल्यह्रास/व्यावसायिक घाटे/पूंजीगत घाटे की अनुमति देने में अनियमितताएं	275.00	6,738.35
च. डीटीएटी राहत की गलत अनुमति	12.00	7.47
ग. चूक के कारण कर निर्धारण से बचने वाली आय	**1,100.00**	**5,486.07**
क. एमएटी/एएमटी/टन भार कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत।	62.00	367.71
ख. अस्पष्टीकृत निवेश/नकद ऋण आदि।	661.00	4,224.22
ग. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	154.00	238.65
घ. स्थानांतरण मूल्य निर्धारण का गलत अनुमान	13.00	21.10
ङ. पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय को शामिल न करना।	38.00	268.66
च. गृह संपत्ति से आय की गलत गणना	28.00	38.98
छ. वेतन आय की गलत गणना	18.00	36.24
ज. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	126.00	290.51
घ अन्य	**3,857.00**	**11,790.69**
कुल	**15,435.00**	**53,278.41**

परिशिष्ट 2.3 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.4.4)

मंत्रालय को भेजे गए उच्च मूल्य के मामलों के संबंध में टिप्पणियों का श्रेणीवार विवरण		
उप श्रेणी	**मामले**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
क. मूल्यांकन की गुणवत्ता	**230**	**3,643.85**
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	90	2178.04
ख. कर, अधिभार आदि की दर का गलत अनुप्रयोग।	19	690.53
ग. विवरण जमा करने में देरी, कर के भुगतान में देरी आदि के लिए ब्याज/जुर्माना न लगाना/कम लगाना।	113	715.89
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	7	58.25
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय मूल्यांकन में गलती	1	1.14
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	**114**	**1,553.05**
क. ट्रस्टों/फर्मों/सोसायटियों को दी गई अनियमित छूट/कटौतियां/राहतें	7	23.49
ख. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौतियां/राहतें	4	6.20
ग. कॉर्पोरेट्स को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत/एमएटी जमा	28	310.48
घ. व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति	25	132.37
ङ. मूल्यह्रास/व्यावसायिक घाटे/पूंजीगत घाटे की अनुमति देने में अनियमितताएं	50	1080.50
ग. चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	**59**	**1,127.10**
क. एमएटी/एएमटी/टन भार कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत।	5	605.37
ख. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	6	5.36
ग. व्यावसायिक आय की गलत गणना	1	1.13
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	6	106.34
ङ. अस्पष्टीकृत निवेश/नकद ऋण	7	73.77
च. स्थानांतरण मूल्य निर्धारण का गलत अनुमान	8	22.49
छ. सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय का निर्धारण नहीं किया गया/कम निर्धारण किया गया	26	312.65
घ अन्य	**78**	**1,605.21**
कर/ब्याज का अधिक प्रभार	78	1,605.20
कुल	**481**	**7,929.21**

परिशिष्ट 2.4 (संदर्भ पैराग्राफ 2.7.2)

ऐसे मामले जहां वित्त वर्ष 2022-23 में सुधारात्मक कार्रवाई समय बाधित हुई		
राज्य	**लेखापरीक्षा अवलोकन जहां सुधारात्मक कार्रवाई समय-बाधित हो गई**	
	मामले	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	95	6.62
असम	0	0.00
बिहार	43	3.57
छत्तीसगढ	74	51.23
दिल्ली	3	0.12
गोवा	0	0.00
गुजरात	50	2.00
हरियाणा	641	452.80
हिमाचल प्रदेश	55	7.74
जम्मू और कश्मीर	31	2.87
झारखंड	32	3.15
कर्नाटक	64	28.97
केरल	2	0.11
मध्य प्रदेश	92	121.69
महाराष्ट्र	360	2,112.27
ओडिशा	107	44.15
पंजाब	455	663.95
राजस्थान	4	0.34
तमिलनाडु	764	327.87
यूटी चंडीगढ़	227	1,156.98
उत्तराखंड	1	0.01
उतार प्रदेश	69	28.87
पश्चिम बंगाल	1	0.02
कुल	**3,170**	**5,015.33**

परिशिष्ट 2.5 (संदर्भ पैराग्राफ 2.8.2)

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने का विवरण					
राज्य	वित्त वर्ष 2022-23 में मांगे गए अभिलेख	वित्त वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेख	वित्त वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेखों का *प्रतिशत*	वित्त वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का *प्रतिशत*	वित वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत नहीं किये गए अभिलेखों का *प्रतिशत*
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	15,313	461	3.01	11.86	3.03
असम	8,773	420	4.79	14.5	7.94
बिहार	5,519	77	1.40	1.2	4.72
छत्तीसगढ	3,820	3	0.08	1.97	0
दिल्ली	20,412	2,174	10.65	7.06	6.2
गोवा	1,518	3	0.20	0	0
गुजरात	28,879	354	1.23	1.89	1.53
हरियाणा	8,923	0	0.00	5.2	0.74
हिमाचल प्रदेश	972	2	0.21	0.84	1.18
जम्मू और कश्मीर	957	6	0.63	7.09	0
झारखंड	4,878	11	0.23	1.14	8.27
कर्नाटक	10,868	351	3.23	5.07	4.11
केरल	7,509	321	4.27	4.93	5.14
मध्य प्रदेश	12,439	803	6.46	4.54	4.12
महाराष्ट्र	37,828	4,023	10.63	9.46	18.33
ओडिशा	4,560	119	2.61	9.48	9.32
पंजाब	4,211	6	0.14	6.85	1.1
राजस्थान	17,254	132	0.77	1.91	0.65
तमिलनाडु	19,886	1,021	5.13	14.96	17.88
यूटी चंडीगढ़	2,525	0	0.00	0.45	1.49
उत्तराखंड	2,922	10	0.34	5.86	1.35
उत्तर प्रदेश	22,841	392	1.72	3.87	4.47
पश्चिम बंगाल	36,709	2,544	6.93	6.87	7.57
कुल	**2,79,516**	**13,233**	**4.73**	**6.63**	**6.61**

शब्द-संक्षेप	
एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
अधिनियम	आयकर अधिनियम, 1961
एआई	निर्धारित आय
एआईआर	वार्षिक सूचना विवरण
एएलपी	स्थानांतरण मूल्य निर्धारण
एओ/नि.अ.	निर्धारण अधिकारी
एओपी	व्यक्तियों का संघ
एएसटी	निर्धारण सूचना प्रणाली
एवाई/नि.व.	निर्धारण वर्ष
सीइएसएस	कंप्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी(ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीपीसी-आईटीआर	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - आयकर रिटर्न
सीपीसी-टीडीएस	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - स्रोत पर कर कटौती
सीटी	निगम कर/कॉर्पोरेट कर
डीसीआईटी	आयकर उपायुक्त
डीजीआईटी (प्रणाली)	आयकर महानिदेशक (प्रणाली)
डीओआर	राजस्व विभाग
डीटी	प्रत्यक्ष कर
वि.व.	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर प्राप्तियां
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आईटीबीए	आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर/विवरण	आयकर विवरणी
जेसीआईटी	संयुक्त आयकर आयुक्त
एलटीसीजी	दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
प्रधान सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
प्रधान सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त

शब्द-संक्षेप	
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओपी	कार्यालयीन प्रक्रिया नियमावली
एनएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
ओएलटीएएस	ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली
प्रधान डीजीआईटी	प्रधान आयकर महानिदेशक
नियम	आयकर नियम, 1962
एसटीटी	प्रतिभूति लेनदेन कर
टीसीएस	स्रोत पर कर संग्रहण
टीई	कर प्रभाव
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीपी	स्थानांतरण मूल्य निर्धारण
टीपीओ	स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in